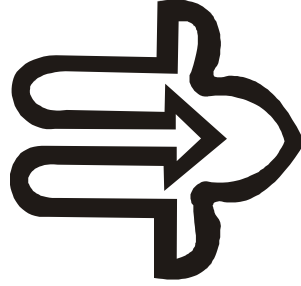


वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2012-2013



राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
परिवहन मार्ग, चौमूँ हाऊस, जयपुर-302001
PARIVAHAN MARG, CHOMU HOUSE, JAIPUR-302001
www.rsrtc.rajasthan.gov.in
RSRTC Help Line:- 1800-2000-103

अनुक्रमणिका

3

निगम एक नजर में

गौरवमयी उपलब्धियाँ

4-5

दूरभाष नम्बर

6-9

टिकिट बुकिंग कियोस्क नम्बर

10

गति-प्रगति 1965-2013

11

प्रस्तावना

12

व्यवस्थापन एवं प्रशासन

13-16

संचालन एवं स्वचालित अभियांत्रिकी

17-23

क्रय एवं भण्डार

24-26

निर्माण अभियांत्रिकी

27-29

वित्त

30-33

सुरक्षा एवं सतर्कता

34

श्रम एवं जनसुविधाएँ

35-38

प्रशिक्षण एवम् वाहन फिटनेस संस्थान

39

सूचना एवम् प्रौद्योगिकी

40-41

निगम की गौरवमयी उपलब्धियाँ

निगम बेड़े में शामिल नवीनतम बसें :-

1. वर्ष 2012-13 में 448 नई बसें बेड़े में शामिल।
2. आधुनिक मर्सडीज बसें निगम बेड़े में यथावत।
3. मर्सडीज एवम् वोल्वो बसों में एल.सी.डी.टीवी पर यात्रियों को फिल्म दिखाने एवं प्रत्येक सीट पर मोबाईल चार्ज करने की सुविधा यथावत।
4. मर्सडीज एवम् वोल्वो बसों में हीटिंग सुविधा यथावत।

बस संचालन में प्रगति :-

1. प्रदेश की जनता की मांग को मध्य नजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 5 नवीन आगारों (करौली, राजसमन्द, प्रतापगढ़, जैसलमेर एवम् सवाईमाधोपुर) की स्थापना।
2. वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवम् 2012-13 में न्यूनतम दुर्घटना के लिए भारतीय स्टेट ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग (एस.टी.यू) के द्वारा ट्राफी एवम् नकद पुरस्कार।
3. वर्ष 2005-06 में ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की अधिकतम वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार से पुरस्कार।
4. वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रतिवाहन प्रतिदिन आय 8904 रुपये थी, जिसको निगम द्वारा अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर वर्ष 2012-13 में 9296 रूपयों तक बढ़ाया गया।
5. निगम बसों की प्रति एक लाख कि.मी. पर दुर्घटना दर वर्ष 2011-12 में 0.07 व 2012-13 में भी 0.07 रही, जो अब तक की सबसे न्यूनतम है।
6. वित्तीय वर्ष 2012-13 में भी 99 प्रतिशत बसों को समय पर संचालित कर समय पाबन्दी के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया।
7. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय पारस्परिक परिवहन करार के तहत वाहनों का संचालन।

निगम की गौरवमयी उपलब्धियाँ

सूचना एवम् प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :-

1. समेकित यातायात प्रबन्धकीय प्रणाली के तहत निगम के समस्त आगारों में ऑनलाईन आरक्षण प्रणाली पूर्ण रूप से लागू।
2. निगम की मुख्य सेवाओं यथा वोल्वो, वातानुकूलित, डीलक्स एवम् द्रुतगामी सेवाओं का इन्टरनेट के माध्यम से आरक्षण का कार्य।
3. मोबाइल एवम् निजी बुकिंग द्वारा टिकिट जारी करने हेतु ई.टी.आई.एम मशीनों का प्रयोग।
4. निगम की समस्त वाहनों में टिकिट जारी करने हेतु स्मार्ड कार्ड एवम् जी.पी.आर. एस प्रणाली युक्त ई.टी.आई.एम मशीनों का प्रयोग।
5. राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न श्रेणियों की रियायती दरों पर यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाले नागरिकों हेतु आर.एफ.आई.डी.तकनीक पर आधारित आर. एफ.आई.डी.स्मार्ट कार्ड योजना दिनांक 16.10.2013 से शत-प्रतिशत लागू।
6. निगम की समस्त वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर।

**निगम के प्रमुख कार्यालयों के दूरभाष नम्बर
निगम मुख्यालय, जयपुर**

फैक्स: अध्यक्ष 0141-2374658
प्रबन्ध निदेशक 0141-2374654
केन्द्रीय भण्डार 0141-2281912
पी.आर.ओ. 0141-2374652

दूरभाष लाईने : 2373043, 2373044, 2373051, 2373048, 2373054, 2374664
2368847, 2372747
मोबाईल नं.: - 9549456755, टोल फ्री :- 18002000103

इन्टरनेट : 0141-2360736

टेलीग्राम : राजट्रान्स, पोस्ट बाक्स नं.- 210, एस. टी. डी. कोड - जयपुर - 0141

website Address :- www.rsrc.rajasthan.gov.in.

क्र.सं. पद	कार्यालय	निवास	मोबाइल
1. अध्यक्ष	2369266	2709994	9829032211
2. प्रबन्ध निदेशक	2369109	2709373	8696998888
3. वित्तीय सलाहकार	2374671	2701544	9413340054
उप महाप्रबन्धक (वित्त/बजट)	2374645	—	9549658020
उप महाप्रबन्धक (वित्त/संस्था)	2374655	—	9549234580
3. कार्यकारी निदेशक(यातायात) 2374644		2553490	9549658003
महाप्रबन्धक (यातायात)	2374647	—	9549658015
महाप्रबन्धक (निरीक्षण)	—	—	9672979011
उप महाप्रबन्धक (सांख्यिकी)	2374651	—	9549658018
उप महाप्रबन्धक (आई.टी)	2374662	—	9549234592
कम्प्यूटर कक्ष	2364273	—	—
4. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) 2369265		2525413	9549658001
सचिव निगम	2374650	2622026	9549658002
उप महाप्रबन्धक (प्रशासन)	2374648	2351993	9549658019
नियन्त्रण कक्ष, मुख्यालय 1800-2000-103		—	9549456745
सांय 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक 2373044		—	9549456745
5. कार्यकारी निदेशक (यान्त्रिक) 2374672		—	9549658005
महाप्रबन्धक (क्रय भण्डार)	2281912	—	9549658007
महाप्रबन्धक (टायर)	2373366	—	9549658014
महाप्रबन्धक (गुणवत्ता)	2281980	—	9549653531
6. कार्यकारी निदेशक (विधि) 2374663		2783427	9549658004
कार्यकारी प्रबन्धक (श्रम/विधि)	—	—	9549234591

7. ज़ोनल मैनेजर

डीलक्स	2304057	—	9549653243
जयपुर	2207902	—	9549653247
अजमेर	2633191	—	9549653524
भरतपुर	261976	—	9549653189
बीकानेर	2540569	—	9549653230
जोधपुर	2546891	—	9549653263
उदयपुर	2484179	—	9549653315
कोटा	2320539	—	9549653290
सीकर	241560	—	9549653214
जेसीटीएसएल	2360313	—	9549653332

8. निर्माण शाखा :-

अधीक्षण अभियन्ता (निर्माण)	2374674	—	9549658006
कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण)	—	—	9549234582

9. केन्द्रीय बस स्टैण्ड,

सिन्धी कैम्प, जयपुर।	2207902		—
ड्यूटी अधिकारी	2207903	—	
प्रबन्धक (दुर्घटना)	2207908	—	—
कम्प्यूटर कक्ष, सी.बी.एस. जयपुर	2207906	—	—

10. पूछताछ कार्यालय

प्लेट फार्म नं. — 1	2207906	—	—
प्लेट फार्म नं. — 2	2207912	—	—
प्लेट फार्म नं. — 3 (डीलक्स वाहन सेवा)	2204445	—	—
प्लेट फार्म नं. — 4	2207914	—	—
क्रेडिट कार्ड बुकिंग प्लेट फार्म नं.—3	2207913	—	—
आरक्षण, सुविधा वाहन सेवा	2205790		
नारायण सिंह सर्किल, जयपुर	2574645	—	—
मांजी की छतरी, जयपुर	2670159	—	—
लाल निवास, जयपुर	2574904	—	

11. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक

केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर	2373365	—	9549456733
----------------------------	---------	---	------------

12. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक

केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर	2695856	—	9549456734
----------------------------	---------	---	------------

13. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक

केन्द्रीय कार्यशाला, जोधपुर	2572817	—	9549456735
-----------------------------	---------	---	------------

आगार कार्यालय

क्र.सं.आगार	एस.टी.डी.कोड	कार्यालय	निवास	पूछताछ	मोबाइल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आबूरोड़	2974	222192	—	222323	9549653267
2.	अजमेर	145	2431351	—	25461264	9549653169
3.	अजयमेरू	145	2426798	—	—	9549653172
4.	अलवर	144	2700019	—	2334983	9549653208
5.	अनूपगढ़	1498	252171	—	252173	9549653237
6.	बांसवाड़ा	2962	240254	—	242825	9549653315
7.	बारां	7453	230014	—	230220	9549653307
8.	बाड़मेर	2982	224698	—	220199	9549653282
9.	ब्यावर	1462	257896	—	257560	9549653180
10.	भरतपुर	5644	260289	—	260333	9549653205
11.	भीलवाड़ा	1482	220130	—	220111	9549653177
12.	बीकानेर	151	2528143	—	2523800	9549653240
13.	बून्दी	747	2443482	—	2445422	9549653310
14.	चित्तौड़गढ़	1472	241038	—	241177	9549653319
15.	चुरू	1562	253386	—	250904	9549653218
16.	दौसा	1427	223419	—	223764	9549653257
17.	डीलक्स	141	2304057	—	2204445	9549653244
18.	धौलपुर	5642	241578	—	240859	9549653211
19.	झुंझरपुर	2964	232432	—	232260	9549653322
20.	डीडवाना	1580	222474	—	220018	9549653183
21.	फालना	2938	236278	—	236124	9549653273
22.	गंगानगर	154	2466523	—	2472220	9549653234
23.	हनुमानगढ़	1552	260752	—	269075	9549653525
24.	हिण्डौन	7469	232167	—	232171	9549653202
25.	जयपुर	141	2373788	—	—	9549653251
26.	सी—बी—एस जयपुर	141	2207902	—	—	9549653260
27.	जालौर	2973	222311	—	222589	9549653279
28.	जैसलमेर	2992	251541	—	251541	9549653288
29.	झालावाड़	7432	231147	—	232386	9549653294
30.	झुंझुनू	1592	232597	—	232664	9549653215
31.	जोधपुर	291	2544223	—	2544686	9549653264
32.	करौली	—	—	—	—	9549653199
33.	खेतड़ी	1593	234450	—	234450	9549653227
34.	कोटा	744	2327910	—	2451020	9549653297
35.	कोटपुतली	1421	248089	—	222069	9549653248
36.	लोहागढ़	5644	260277	—	260330	9549653193
37.	मत्स्यनगर	144	2701521	—	2338285	9549653196
38.	नागौर	1582	240782	—	240863	9530258786
39.	पाली	2932	232778	—	232978	9549653276
40.	फलोदी	2925	222127	—	223562	9549653285
41.	प्रतापगढ़	—	—	—	—	9549653330
42.	राजसमन्द	—	—	—	—	9549653328
43.	सांगानेर	141	2170082	—	—	9549653518
44.	सरदारशहर	1564	220014	—	220119	9549653231
45.	शाहपुरा	—	—	—	—	—
46.	सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	9549653313
47.	सीकर	1572	270412	—	222511	9549653221
48.	सिरोही	2972	222511	—	222511	9549653270
49.	श्रीमाधोपुर	1575	252005	—	252006	9549653224
50.	तिजारा	1469	262045	—	—	9549653190
51.	टोंक	1432	247609	—	—	9549653291
52.	उदयपुर	294	2481009	—	2484191	9549653325
53.	वैशालीनगर	141	2373789	—	—	9549653254
54.	विधाघर नगर	141	2232231	—	—	9549653521
55.	दिल्ली	11	23864417	—	23864417	9810071760
56.	अहमदाबाद	79	25430103	—	25461264	9427009890

निगम बस स्टैण्डों के दूरभाष नम्बर

बस स्टैण्ड का नाम	दूरभाष नम्बर		बस स्टैण्ड का नाम	दूरभाष नम्बर	
बीकानेर हाऊस, दिल्ली	011	23383469	अनूपगढ़	01498	222173
बीकानेर हाऊस, दिल्ली	011	23386698	गंगानगर	0154	2472220
सराय कालेखौ, दिल्ली	011	24353731	हनुमानगढ़	01552	269075
अहमदाबाद	079	25461264	सरदारशहर	01564	220119
इन्दौर	0731	2447215	चूरु	01562	250904
सी.बी.एस, जयपुर			झुन्झुनू	01592	232664
प्लेट फार्म नं. – 1	0141	2207906	खेतड़ी	01593	234450
प्लेट फार्म नं. – 2	0141	2207912	श्रीमाधोपुर	01575	252006
प्लेट फार्म नं. – 3	0141	2204445	अलवर	0144	2334984
प्लेट फार्म नं. – 4	0141	2207914	धौलपुर	05642	240859
क्रेडिट कार्ड बुकिंग	0141	2207913	लोहागढ़	05644	260330
आरक्षण, डीलक्स वाहन सेवा	0141	2205790	मत्स्यनगर	0144	2338285
नारायण सिंह सर्किल, जयपुर	0141	2574645	बाड़मेर	02982	220199
मांजी की छतरी, जयपुर	0141	2670159	फालना	02938	236124
बीकानेर	0151	2523800	जालौर	02973	222589
केन्द्रीय बस स्टैण्ड, अजमेर	0145	2429398	पाली	02932	232978
उदयपुर	0294	2484191	फलौदी	02925	223562
कोटा	0744	2451020	बालोतरा	02988	221241
जोधपुर	0291	2544686	डीडवाना	01580	220018
भरतपुर	05644	260330	हनुमानगढ़ टाऊन	01552	222009
सीकर	01572	270339	झालरापाटन	07432	241102
ब्यावर	01462	257560	केकड़ी	01467	220909
भीलवाड़ा	01482	220111	मेडता सिटी	01590	220087
नागौर	01582	240863	पिलानी	01596	242263
बांसवाड़ा	02962	242825	पुष्कर	01458	2772008
चित्तौड़गढ़	01472	241177	शाहपुरा	01422	222065
झूँगरपुर	02964	232260	कांकरोली	02952	222411
बारां	07453	230220	करौली	07464	231041
बून्दी	0747	2445422	नाथद्वारा	02957	234266
झालावाड़	07432	232386	आबूपर्वत	02974	235434
टोंक	01432	247497	जैसलमेर	02992	251541
दौसा	01427	223764	सवाई माधोपुर	07462	223700
हिण्डौन	07469	232171			

निगम के अधिनस्थ यात्री टिकट बुकिंग कियोस्क

कियोस्क का स्थान	कियोस्क धारी का नाम एवम् पता	दूरभाष
खातीपुरा	श्री मनीष अग्रवाल जी-9, तृप्ती टावर, खातीपुरा मोड़, जयपुर।	4003150
इन्दिरा बाजार	श्री कन्हैयालाल बाहेती मै. दी इण्डिया ट्यूर एण्ड ट्रेवल, 17-ए, रायसर प्लाजा, इन्दिरा बाजार, जयपुर।	2392693
बरकत नगर	श्री सुनील गुप्ता मै.गुप्ता एन्टरप्राइजेज, एस-84, बरकत नगर, लवकुश नगर-II, टॉक फाटक, जयपुर।	2591517
बासन गेट, भरतपुर	श्री दिनेश राजोरिया ई-मित्र कियोस्क धारक, बासन गेट, भरतपुर।	9828547712
बड़ी चौपड़	श्री राजीव कुमार जैन मै.छाया संचार, 6.मानक चौक, बड़ी चौपड़, जयपुर।	2615085
कलेक्ट्रेट, भरतपुर	श्री अनिल जिन्दल अक्ष आप्टीफाइबर लि., कलेक्ट्रेट, भरतपुर।	9414059654
मानसरोवर	श्री अभय पुरोहित सफैक्स कण्ट्रीवाइड, 119/347, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।	2396024
मानसरोवर	श्री नरेन्द्र मिश्रा मै.गोविन्दम् 51/224, रजत पथ चौराहा, मानसरोवर जयपुर।	2782758
मानसरोवर	श्री मनीष कुमार 38/359, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।	2782066
मानसरोवर	श्री राजेश जैन मै. जैन कम्यूनिकेशन, 5/एस/47, एस.एफ.एस., अग्रवाल फार्म, जयपुर।	2395073
मानसरोवर	श्री इन्द्रदत्त दीक्षित एस.12, न्यू आतिश मार्केट, मानसरोवर, जयपुर।	2391686
मानसरोवर	श्री अशोक कुमार शर्मा दु.नं.06, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।	8955084454
मानसरोवर	श्री नितिन पंजाबी शॉप नं.08, सेव.94.शॉपिंग सेन्टर, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।	3050817
मालवीय नगर	श्री गोपाल गुप्ता मै.सोल्यूशन, एस-413, मालवीय नगर, जयपुर।	2521161
मालवीय नगर	श्री निहित रस्तोगी मै.क्रियेटिव आर्गेनाइजेशन, 23, जे.डी.ए.शॉपिंग सेन्टर, P&T. कॉलोनी, जगतपुरा मोड़।	2754166
विद्याधरनगर	श्री दिनेश खण्डेलवाल जी-4, हनुमन्त टावर, विद्याधरनगर, जयपुर।	2336696
विद्याधरनगर	श्री अजय गर्ग शॉप नं.15, विनायक टावर, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधरनगर, जयपुर।	2236022
राजापार्क	श्रीमती सुदेश परनामी 170, गुरुनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर।	4107648
राजापार्क	श्री लवकुमार बत्रा मै. बत्रा कम्यूटर, गुरुनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर।	2624240
सीतापुरा	श्री अक्षय ऑटोफाईबर एम-18 ईपीआईपी रिको, सीतापुरा, जयपुर।	2770085
सांगानेर	श्री उमेश छीपा शॉप नं.72, ग्रीन सिटी सर्विस, गुर्जरों की तलाई, सांगानेर, जयपुर।	9351448787
सोडाला	श्री आशीष अग्रवाल 62 जी 3, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर।	2291505
सोडाला	श्री राकेश विजयवर्गीय 74, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर।	9414462022
सवाई गेटोर जगतपुरा	श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी सी-406, सिद्धार्थ नगर, सवाई गेटोर, जगतपुरा, जयपुर।	9414054038
स्टेशन रोड़	श्री निथलेश शर्मा शॉप नं.27, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय के पास, रेलवे स्टेशन के सामने, स्टेशन रोड़, जयपुर।	9828116689
वैशाली नगर	श्री शंकर सिंह राठौड़ ए-282, गंगा सागर कॉलोनी, पाच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर।	9828997777
वैशाली नगर	श्री कपिल मेहरा मै.गौरव कम्यूटर कम्यूनिकेशन, दुकान नं.बी-40, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर, जयपुर।	9828172459
जवाहर नगर	श्रीमती पुष्पा मेहता 3 ट 31, जवाहर नगर, जयपुर।	2650313
जवाहर नगर	श्री रवि लालवानी रवि ट्रेवल्स, 118, बर्फखाना बाजार, जवाहर नगर, जयपुर।	9928865700
जगतपुरा	श्रीमती नीलम गोगिया 09, केशर विहार, जगतपुरा, जयपुर।	9829182801
जवाहर नगर	श्री कमल वसन्तानी प्लेट नं.4, सत्यम अपार्टमेंट, जवाहर नगर, जयपुर।	8094444092
जगतपुरा	श्री सुरेश चन्द गुप्ता 2-राधे कृष्णा कॉलोनी, बस स्टैण्ड के पास, जगतपुरा, जयपुर।	2759510
जौहरी बाजार	श्री सुशील कुमार जैन 2405, दाई की गली, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।	9414049699
अम्बाबाड़ी	श्री सतीश गुप्ता पूजा ट्रेवल्स, मेघना शॉपिंग सेन्टर, अम्बाबाड़ी, जयपुर।	2338448
VKI एरिया	श्री रविन्द्र अग्रवाल पायल मेडिकल हॉल, एस-5, 32 दुकान VKI एरिया, जयपुर।	2330131
टॉक रोड़	श्री सुभाष ओझा जे-1, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड़, टॉक रोड़, जयपुर।	2705386
टॉक रोड़	श्री पंकज गुप्ता गुप्ता ट्यूर एण्ड ट्रेवल्स, प्रताप नगर, टॉक रोड़, जयपुर।	9887056070
टॉक रोड़	श्रीमती बिन्दू बाला शर्मा एस.जी.एस-18, नेहरू प्लेस, लालकोठी, टॉक रोड़, जयपुर।	9829022005
भांकरोटा	श्री शंकर लाल चौधरी 1-जे.पी.सर्किल, प्रताप नगर, अजमेर रोड़, भांकरोटा	9887409292
दुर्गापुरा	श्रीमती अनिता जैन 6, बजरंग विहार, रेलवे स्टेशन के सामने, दुर्गापुरा, जयपुर।	9829325106
गोपालपुरा	श्री संजय माथुर बी-218, गोमती पथ, शांति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।	9214307582
गोपाल बाड़ी	श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत ए.जी.21, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, गोपालबाड़ी, जयपुर।	9928090273
मानासर, नागौर	श्री रामाकिशन मु.पो.मोड़ी मानासर, नागौर।	9413141420
जायल, नागौर	श्री मनीराम मु.पो.सोलियाणां, जायल, नागौर।	9252549292
श्री बालाजी, नागौर	श्री दुलीचन्द बदर मु.पो.श्री बालाजी, नागौर।	9509456056
पादू, नागौर	श्री रामकिशोर मु.पो.बेड़ास कलां, नागौर।	9828073815
गोशाला, हिण्डौन	श्री विनोद कुमार तिवाड़ी गोशाला, जाट की सराय, हिण्डौन सिटी।	9928887567
महुवा	श्री सीताराम गुर्जर ग्रा.दुडावली, तह.टोड़ाभीम, जि.करौली।	8058240348
कैलादेवी	श्री सन्दीप कुमार शर्मा ग्राम मचानी, पो.चैनपुर, जि.करौली।	-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
गति-प्रगति 1965-2013

क्र.सं. विवरण	इकाई	1964-65	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1. संगठन :-					
(क) सम्भाग / जोन	संख्या	2	10	10	10
(ख) आगार	संख्या	8	48	46	51
(ग) केन्द्रीय कार्यशाला	संख्या	—	3	3	3
(घ) सम्भागीय कार्यशाला	संख्या	1	—	—	—
(ङ) आगार कार्यशाला	संख्या	8	48	46	51
(च) कर्मचारीगण	संख्या	2047*	20486	21053	19822
(छ) कर्मचारी प्रति अनुसूचित वाहन	अनुपात	9.66*	4.82	4.81	4.44
2. संचालन स्थिति (31 मार्च) :-					
(क) कुल यात्री वाहन	संख्या	421	4397	4533	4555
(ख) अनुसूचित वाहन	संख्या	—	67	130	242
(ग) अनुसूचित वाहन	संख्या	212	4041	4145	4208
(घ) मार्ग	संख्या	70	2575	2672	2421
(ङ) मार्ग कि.मी.	कि.मी.	7468	510058	564156	479022
3. यातायात सेवाएँ :-					
(क) अनुसूचित कि.मी. (प्रतिदिन)	लाखों में	0.48	17.14	17.59	17.35
(ख) संचालित कि.मी. (प्रतिदिन)	लाखों में	0.45	16.42	16.57	16.18
(ग) यात्रियों की संख्या (प्रतिदिन)	लाखों में	0.29	9.29	9.04	8.57
(घ) यातायात आय (प्रति कि.मी.)	पैसों में	83	1955	2201	2342
4. कार्यक्षमता :-					
(क) बेड़ा उपयोगिता	प्रतिशत	69	93	94	91
(ख) प्रति वाहन औसत दौड़ (आयिक कि.मी. पर)	कि.मी.	159	394	405	397
(ग) यंत्रदोष (प्रति दस हजार कि.मी.)	दर	0.51	0.13	0.18	0.18
(घ) दुर्घटना (प्रति लाख कि.मी.)	दर	0.21	0.08	0.07	0.07
(ङ) यात्रीभार	प्रतिशत	64	74	73	72
5. वित्तीय परिणाम :-					
(क) वर्ष में नियोजित औसत पूँजी	लाख रुपये	203.23	22006.25	22006.25	40896.25
(ख) औसत पूँजी पर प्रतिफल शुद्ध लाभ / हानि					
(1) पूँजी ऋणों पर ब्याज रहित	लाख रुपये (+) 7.81\$	(-) 18499.84	(-) 13059.86	(-) 64840.39	
(2) पूँजी ऋणों पर ब्याज सहित	लाख रुपये (+) 2.70\$	(-) 14534.86	(-) 7020.27	(-) 53919.81	
(3) पूँजी पर प्रतिफल	लाख रुपये (+) 2.70\$	(-) 14534.86	(-) 7020.27	(-) 53919.81	

* वर्ष 1966-67 से सम्बन्धित

X यह संख्या 2 (क) में सम्मिलित है।

\$ 01.10.1964 से 31.03.1965

वर्ष 2010-11 से सांगानेर एवम् विद्याधर नगर आगार के जे.सी.टी.एस.एल में कार्यरत स्टाफ को कम करके कर्मचारी प्रति अनुसूचित वाहन निकाले गये हैं।



प्रस्तावना

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर, 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन की गयी थी। इसी नियम की उप धारा 35 (2) के अन्तर्गत निगम का यह 49 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न कार्य कलापों का क्षेत्रवार विस्तृत विवरण समाहित है, जिसका सारांश इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

निगम बोर्ड की संरचना :-

निगम मण्डल की संरचना एक अध्यक्ष एवं 11 संचालकों को सम्मिलित करते हुये की गई है, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों पर निम्न अधिकारी पदासीन रहे हैं :-

व /; {k,oe~ieU/k fin\$ld

MlWcut hr fl g

1 Ei wko "2012& 13%

राष्ट्रीयकरण एवं यात्री किराया :-

प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान भी राष्ट्रीयकृत सड़कों की लम्बाई पूर्वानुसार 16389 कि.मी. रही, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कुल सड़क लम्बाई 128350 कि.मी. (31.03.11) का 12.77 प्रतिशत है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रचलित रहे यात्री किराये का विवरण पृष्ठ संख्या 18 पर अंकित है।

संचालन :-

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 51 आगार कार्यालयों एवं कार्यशालाओं द्वारा वाहन संचालन कर जन आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। वर्ष के दौरान 3877 निगम की तथा 198 अनुबन्धित वाहनों निजी मालिकों से अनुबन्ध पर लेकर 2421 मार्गों पर संचालित कर 5904.33 लाख आयिक कि.मी. संचालित किये गये, जिससे दैनिक औसत 857286 यात्रियों को निगम सेवाएँ प्रदान की गई।

निर्माण अभियान्त्रिकी :-

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों पर 624.90 लाख रुपये व्यय किये गये, जिसमें 126.57 लाख रुपये अर्थात् 20.25 प्रतिशत राशि यात्री सुविधाओं पर व्यय की गई, यह राशि निगम यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये व्यय की गयी।

वित्तीय परिणाम :-

(अ) पूँजीगत स्थिति :-

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम द्वारा 50000.00 लाख रुपये के ऋण पत्र जारी कर ,3.00 लाख रुपये कार्पस फण्ड से, सामान्य प्रावधानी निधि से 1000.00 लाख रुपये एवम् राज्य सरकार से 1000.00 लाख रुपये का ऋण लेकर पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति की गई।

(ब) राजस्व :-

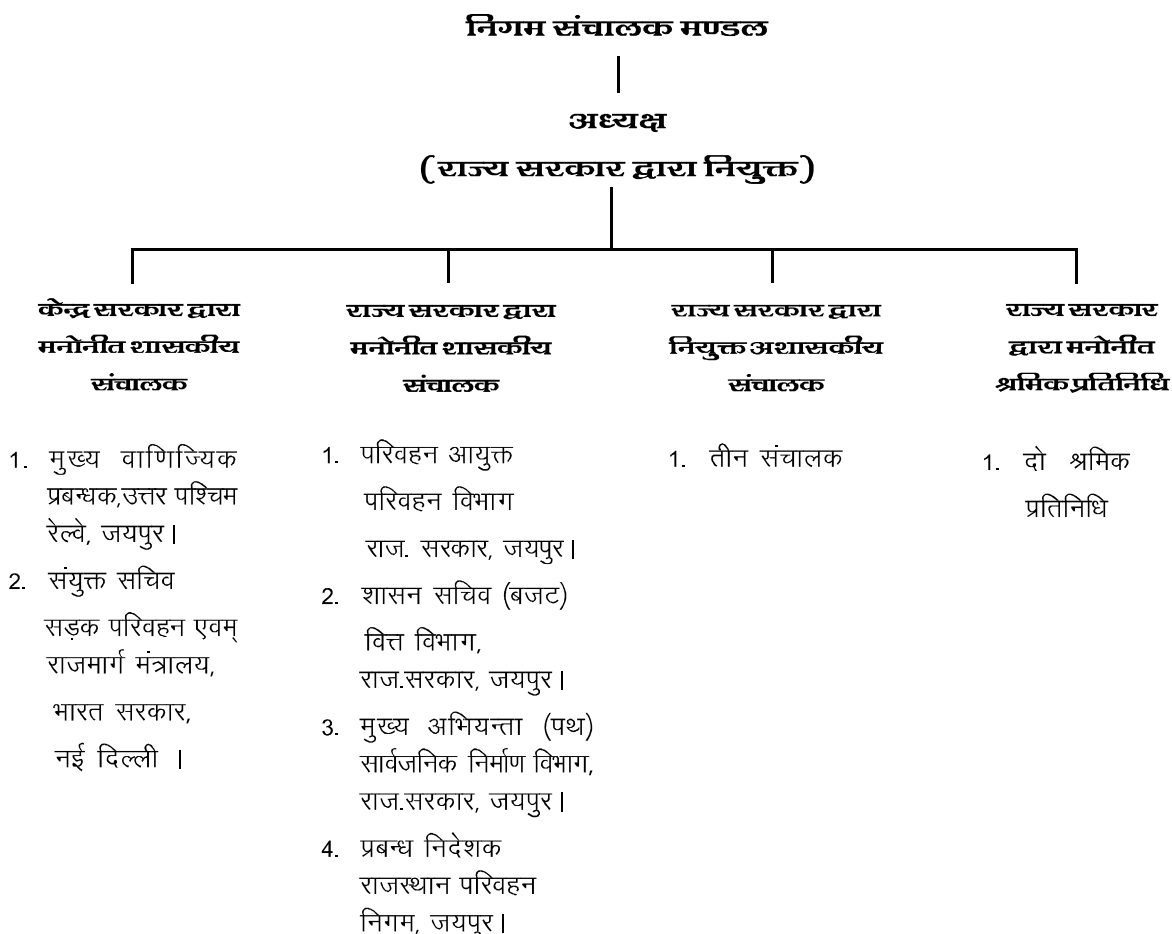
प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 144331.97 लाख रूपयों का सकल राजस्व अर्जित किया गया जो गतवर्ष की तुलना में 4469.38 लाख रुपये अर्थात् 3.20 प्रतिशत अधिक है।



1 व्यवस्थापन एवं प्रशासन

1.1 निगम संचालक मण्डल की संरचना :-

- 1.11 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नियम, 1964 की धारा —3 के अन्तर्गत निगम संचालक मण्डल की संरचना एक अध्यक्ष एवं 11 संचालकों को सम्मिलित करते हुए की गई है। इनमें अध्यक्ष की नियुक्ति, चार शासकीय संचालकों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा, दो शासकीय संचालकों का मनोनयन केन्द्र सरकार द्वारा (राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत), तीन अशासकीय संचालकों की नियुक्ति एवं दो श्रमिक प्रतिनिधियों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान है। उक्त संचालकों के पदनामों का विवरण निम्न प्रकार है :-



1.2 निगम संचालक मण्डल में प्रतिवेदन वर्ष के दौरान हुये परिवर्तन :-

1.21 वर्ष 2012-13 के दौरान निगम संचालक मण्डल में निम्नांकित परिवर्तन हुये :-

1. वर्ष 2012-13 के दिसम्बर, 2012 माह में सम्पन्न निगम संचालक मण्डल की बैठक में श्री दीपक उप्रेती, आई.ए.एस परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार-शासकीय संचालक, निगम मण्डल के स्थानान्तरण होने के कारण श्री ओ.पी.मीणा, आई.ए.एस नवनियुक्त परिवहन आयुक्त एवम् अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार-शासकीय संचालक द्वारा भाग लिया गया, जो कि प्रतिवेदन वर्ष में निरन्तर जारी है।
2. वर्ष 2012-13 के फरवरी, 2013 माह में सम्पन्न निगम संचालक मण्डल की बैठक में श्री जी.एल.मीना, मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर शासकीय संचालक (केन्द्रीय सरकार) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री दीपक दवे, नवनियुक्त, मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर द्वारा भाग लिया गया जो कि प्रतिवेदन वर्ष में निरन्तर जारी है।

उक्त परिवर्तनों के पश्चात् प्रतिवेदन वर्ष के अन्तिम दिवस (दिनांक 31.03.13) को निगम संचालक मण्डल का स्वरूप निम्न प्रकार रहा :-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | डॉ. मनजीत सिंह | अध्यक्ष |
| | अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर। | |
| 2. | श्री ओ.पी.मीणा | संचालक |
| | परिवहन आयुक्त एवम् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर। | |
| 3. | श्री अखिल अरोड़ा | संचालक |
| | शासन सचिव (बजट), वित्त विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर। | |
| 4. | श्री संजय बन्दोपाध्याय | संचालक |
| | संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली। | |
| 5. | श्री जी.एल.राव | संचालक |
| | मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर। | |
| 6. | श्री दीपक दवे | संचालक |
| | मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर। | |

1.22 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान तीन अशासकीय संचालकों एवम् दो निगम कर्मकारों के प्रतिनिधियों के पद रिक्त रहे।

1.3 प्रतिपाद्य विषय एवं पारित प्रस्ताव :-

1.31 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम संचालक मण्डल की पाँच बैठकें आयोजित की गयी। इन बैठकों में प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों एवं निर्णयों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	बैठक संख्या	दिनांक	प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	पारित निर्णयों की संख्या
1.	252 वीं	18.05.2012	19	19
2.	253 वीं	10.07.2012	12	11
3.	254 वीं	31.08.2012	11	10
4.	255 वीं	07.12.2012	19	19
5.	256 वीं	15.02.2013	10	10
सरकूलेशन के माध्यम से पारित प्रस्ताव व निर्णय				
1.	<u>सी-1/12</u> 31/12	02.04.2012	1	1
2.	<u>सी-2/12</u> 51/12	21.06.2012	1	1
3.	<u>सी-3/12</u> 52/12	09.07.2012	1	1
4.	<u>सी-4/12</u> 74/12	12.10.2012	1	1
5.	<u>सी-5/12</u> 75/12	06.11.2012	1	1
6.	<u>सी-2/13</u> 11/13	28.03.2013	1	1
7.	<u>सी-1/13</u> 28.03.13	28.03.2013	1	1

1.4 प्रशासनिक व्यवस्था :-

1.41 निगम द्वारा यातायात की बढ़ती हुई मांग को मध्यनजर रखते हुए माननीय मुख्यमन्त्री की बजट घोषणा की पालना में 5 नवीन आगारों यथा करौली, राजसमन्द, प्रतापगढ़, जैसलमेर एवम् सवाईमाधोपुर की स्थापना कर कुल 51 आगारों एवं कार्यशालाओं द्वारा प्रदेश की जनता की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया गया। इन आगारों द्वारा 10 जोनल कार्यालयों के नियन्त्रण में कार्य किया गया। आगारों की स्थानीय समस्या के समाधान एवं आगारीय क्रिया कलापों के पर्यवेक्षण कार्य को त्वरित गति से सम्पादन एवं सुव्यवस्थित वाहन संचालन करने हेतु प्रतिवेदन वर्ष के दौरान जोन व्यवस्था को यथावत रखा जाकर 10 जोनल मैनेजर स्तर के अधिकारी जोनों में कार्यरत रहे, इनका नियन्त्रण मुख्यालय स्तर से किया गया। वाहनों की बड़ी मरम्मत का कार्य निगम की तीन केन्द्रीय कार्यशालाओं द्वारा सम्पादित किया गया। इन केन्द्रीय कार्यशालाओं के अधीन आवंटित आगारों का विवरण तालिका-1 में दिया गया है :-

तालिका-1

केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर	केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर	केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर
कोटपूतली, दौसा, जयपुर, वैशालीनगर, विद्याधरनगर, डीलक्स, भरतपुर, लोहागढ़, धौलपुर, हिण्डौन एवम् करौली आगार।	अजमेर, अजयमेरु, अनूपगढ़, बारां, बून्दी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा, टोंक, अलवर, मत्स्यनगर, सरदारशहर तिजारा सवाईमाधोपुर एवम् डीडवाना आगार।	जोधपुर, आबूरोड़, फालना, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ब्यावर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुन्झुनू, सीकर, खेतड़ी, नागौर, पाली, उदयपुर, राजसमन्द, चूरु, डूंगरपुर एवम् श्रीमाधोपुर आगार।

1.5 कार्मिक स्थिति :-

- 1.51 प्रतिवेदन वर्ष के अन्तिम दिवस (31.03.2013) को निगम की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों का गत दो वर्षों से तुलनात्मक विवरण तालिका-2 में दर्शाया गया है :-

तालिका-2

क्र.सं.	वर्ष	इकाई का नाम			योग
		मुख्यालय	केन्द्रीय कार्यशालाएँ, केन्द्रीय बस स्टैण्ड एवं टायर प्लांट	आगार कार्यालय एवं कार्यशालाएँ	
1.	2010-11	743	1350	18393	20486
2.	2011-12	677	1274	19102	21053
3.	2012-13	625	1216	17981	19822

- 1.52 निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, श्रेणीवार विवरण एवं कर्मचारी बस अनुपात का विवरण तालिका-3 में प्रदर्शित है :-

तालिका-3

क्र.सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या 31.03.2013	कुल से प्रतिशत	कर्मचारियों का अनुपात (अन्तिम दिवस)	
				प्रति अनुसूचित वाहन	प्रति वाहन
1.	प्रशासन	2100	10.60	0.47	0.43
2.	यातायात	14526	73.28	3.25	3.01
3.	मरम्मत एवं सुधार	3196	16.12	0.72	0.66
योग		19822	100.00	4.44	4.10

* कर्मचारी अनुपात में सांगानेर एवम् विद्याघर नगर के जे.सी.टी.एस.एल स्टाफ को अलग करके गणना की गयी है।

1.6 नियुक्तियाँ एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

- 1.61 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 335 कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ दी गयी, इनमें 206 सीधी भर्ती एवम् 129 मृतक आश्रित कर्मचारी हैं, दी गयी नियुक्तियों का पदवार विवरण तालिका-4 में प्रदर्शित है :-

तालिका-4

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1.	परिचालक	117
2.	आर्टिजन ग्रेड-तृतीय	04
3.	सहायक संभाग प्रबन्धक	07
4.	सहा.यातायात निरीक्षक	99
5.	कनिष्ठ लिपिक (महिला)	06
6.	यातायात निरीक्षक	20
7.	चालक	02
8.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	08
9.	लेखाधिकारी	02
10.	कनिष्ठ अभियन्ता-ब	70
योग		335

- 1.62 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कार्मिक विभाग द्वारा 27 अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये तथा 06 प्रकरणों की जाँच निर्णित की गयी। 994 अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया गया।

1.7 प्रशिक्षण :-

- 1.71 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 148 अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जिसका विवरण तालिका-5 में अंकित है :-

तालिका-5

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
1.	हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।	51
2.	सी.आई.आर.टी.पूना।	53
3.	अन्य	44
योग		148



2 संचालन एवं स्वचालित अभियांत्रिकी

2.1 राष्ट्रीयकरण :-

- 2.11 सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान भी राष्ट्रीयकृत सड़कों की लम्बाई पूर्वानुसार 16389 कि.मी. ही रही, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कुल सड़क लम्बाई 128350 कि.मी.(31.3.2011) का 12.77 प्रतिशत है।

2.2 मार्ग,मार्ग कि.मी. एवं शिड्यूल्स :-

- 2.21 प्रतिवेदन वर्ष के अन्तिम दिवस (31 मार्च) को निगम द्वारा संचालित मार्ग, मार्ग कि.मी. एवं सेवाओं को गत दो वर्षों से तुलना कर तालिका-5 (अ)में दर्शाया जा रहा है :-

तालिका-5 (अ)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च की स्थिति			गतवर्ष से अन्तर का प्रतिशत
		2011	2012	2013	
1.	मार्ग संख्या	2575	2672	2421	(-) 9.39
2.	मार्ग कि.मी. (लाखों में)	5.10	5.64	4.79	(-) 15.07
3.	औसत मार्ग दूरी (कि.मी.)	198	211	198	(-) 6.16
4.	शिड्यूल्स संख्या	4041	4145	4208	(+) 1.52
5.	दैनिक शिड्यूल्स कि.मी.(लाखों में)	17.14	17.59	17.35	(-) 1.36

2.3 बस सेवाओं की प्रकृति :-

- 2.31 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम द्वारा मुफसिल सेवाओं का संचालन किया गया, मुफसिल सेवाओं में वातानुकूलित, डीलक्स, सेमीडीलक्स, स्लीपर कोच, द्रुतगामी एवं साधारण सेवाओं का संचालन राज्यीय एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर किया गया। वोल्वो बसों एवं स्लीपर कोच बसों के संचालन को निर्धारित मार्गों पर यथावत जारी रखा गया।

2.4 यात्री किराया एवं कर ढ़ाँचा :-

- 2.41 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान वातानुकूलित, डीलक्स, सेमीडीलक्स, द्रुतगामी, साधारण आदि सेवाओं के यात्री किराये में वृद्धि की गयी, किराया वृद्धि कार्यालय आदेश क्रमांक 833 दिनांक 14.09.2012 द्वारा की गई है, जिसे 16.09.2012 से प्रभावी करने के आदेश जारी किये गये हैं, किराया दरों का विवरण तालिका- 6 में दर्शाया जा रहा है :-

तालिका-6

क्र.सं.	सेवाओं की प्रकृति	यात्री किराया (पैसे) (प्रति यात्री प्रति कि.मी.)	प्रभावी दिनांक
1.	साधारण	63.00	16.09.2012
2.	द्रुतगामी	67.00	16.09.2012
3.	स्टार लाईन / सेमी डीलक्स	70.00	16.09.2012
4.	डीलक्स (राज्य के मार्गों पर)	90.00	16.09.2012
5.	डीलक्स (अन्तर्राज्यीय मार्गों पर)	110.00	16.09.2012
6.	वातानुकूलित (राज्य के मार्गों पर)	130.00	16.09.2012
7.	वातानुकूलित (अन्तर्राज्यीय मार्गों पर)	150.00	16.09.2012
8.	वातानुकूलित सुपर लजरी	160.00	16.09.2012
9.	वातानुकूलित सुपर लजरी (मल्टीएक्सल)	170.00	16.09.2012

उक्त किराया दरों के अतिरिक्त यात्रियों से वसूल किये जाने वाले दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार तथा मानव संसाधन अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	कि.मी.	प्रति यात्री दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार दर रु.	मानव संसाधन अधिभार रु.
1.	0 से 30 तक	1.00	0.00
2.	31 से 50 तक	2.00	0.00
3.	50 से 100 तक	3.00	2.00
4.	100 से अधिक	5.00	3.00

2.42 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विशेष सड़क कर की दरें निम्नानुसार रही हैं :-

क्र.सं.	विवरण	विशेष सड़क कर की प्रभावी दरें।
1.	स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत संचालित वाहन :-	(अ) चैसिस लागत का 2.10 प्रतिशत प्रतिमाह (01.04.07 से 31.07.07 तक) (ब) चैसिस लागत का 2.05 प्रतिशत प्रतिमाह (01.08.07 से प्रभावी)
2.	अस्थायी अनुज्ञा पत्रों के लिए :- (अ) स्टेज कैरिज के रूप में संचालित वाहन जिसकी बैठक क्षमता 45 तक हो (चालक एवं परिचालक को छोड़कर)।	(i) एक दिन में 150 कि.मी. तक संचालित होने वाली वाहन :- (अ) चैसिस के रूप में क्रय करने पर - चैसिस लागत का 0.437% (ब) वाहन के रूप में क्रय करने पर - वाहन लागत का 0.306% (ii) एक दिन में 150 कि.मी. से अधिक संचालित होने वाली वाहन :- (अ) चैसिस के रूप में क्रय करने पर - 25 कि.मी. अतिरिक्त संचालन अथवा उसके भाग पर चैसिस लागत का 0.130 % यह दर 2(अ)(i)(अ) में अंकित दर के अतिरिक्त देय होगी। (ब) वाहन के रूप में क्रय करने पर - 25 कि.मी. अतिरिक्त संचालन अथवा उसके भाग पर वाहन लागत का 0.091 % यह दर 2(अ)(i)(ब) में अंकित दर के अतिरिक्त देय होगी।
	(ब) स्टेज कैरिज के रूप में संचालित वाहन जिसकी बैठक क्षमता 45 से अधिक हो (चालक एवं परिचालक को छोड़कर)।	(i) एक दिन में 150 कि.मी. तक संचालित होने वाली वाहन :- (अ) चैसिस के रूप में क्रय करने पर - चैसिस लागत का 0.534% (ब) वाहन के रूप में क्रय करने पर - वाहन लागत का 0.373% (ii) एक दिन में 150 कि.मी. से अधिक संचालित होने वाली वाहन :- (अ) चैसिस के रूप में क्रय करने पर - 25 कि.मी. अतिरिक्त संचालन अथवा उसके भाग पर चैसिस लागत का 0.180% यह दर 2(ब)(i)(अ) में अंकित दर के अतिरिक्त देय होगी। (ब) वाहन के रूप में क्रय करने पर - 25 कि.मी. अतिरिक्त संचालन अथवा उसके भाग पर वाहन लागत का 0.126 %, यह दर 2(ब)(i)(ब) में अंकित दर के अतिरिक्त देय होगी।
3.	(अ) अखिल भारतीय/अखिल राजस्थान परमिट पर संचालित साधारण वाहन जिसकी बैठक क्षमता 30 से अधिक एवं 40 तक हो (चालक एवं परिचालक को छोड़कर)। (ब) अखिल भारतीय/अखिल राजस्थान परमिट पर संचालित साधारण वाहन जिसकी बैठक क्षमता 40 से अधिक हो (चालक एवं परिचालक को छोड़कर)।	चैसिस लागत का 36 प्रतिशत वार्षिक चैसिस लागत का 36 प्रतिशत वार्षिक
4.	नगर वाहन सेवा	चैसिस लागत का 0.80 प्रतिशत वार्षिक जिसका भुगतान त्रैमासिक देय होगा।

2.5 संचालन प्रगति :-

2.51 प्रतिवेदन वर्ष में संचालन के विभिन्न बिन्दुओं का विवरण गतवर्ष से तुलना कर तालिका-7 में दर्शाया जा रहा है :-
तालिका-7

क्र.सं.	मद	2011-2012	2012-2013	गतवर्ष से अन्तर का प्रतिशत
1.	वाहन स्थिति (निगम+निजी)			
	(अ) अन्तिम दिवस (31 मार्च)	4403+130=4533	4313+242=4555	(+) 0.49
	(ब) औसत वाहनों	4314+69=4383	4271+209=4480	(+) 2.21
	(स) औसत संचालित वाहनों	4032+62=4096	3877+198=4075	(-) 0.51
2.	बेड़ा उपयोगिता का प्रतिशत (निगम वाहनों)			
	(अ) आगार स्तर पर	96	95	(-) 1
	(ब) निगम स्तर पर	94	91	(-) 3
3.	अनुसूचित परिचक्र	4364904	4267434	(-) 2.23
4.	निरस्त परिचक्र	534273	527585	(-) 1.25
5.	निरस्त परिचक्रों का अनुसूचित से प्रतिशत	12	12	(±) 0
6.	अतिरिक्त परिचक्र	91752	68691	(-) 25.13
7.	संचालित कुल परिचक्र	3922383	3808540	(-) 2.90
8.	अनुसूचित कि.मी. (लाखों में)	6439.71	6332.24	(-) 1.67
9.	संचालित आधिक कि.मी. (लाखों में)	6066.24	5904.33	(-) 2.67
10.	कुल कि.मी. (लाखों में)	6216.55	6064.64	(-) 2.44
11.	अनायिक कि.मी. (लाखों में)	150.31	160.31	(+) 6.65
12.	अनायिक कि.मी. का आयिक कि.मी. से प्रतिशत	2.48	2.72	(+) 0.24
13.	निरस्त कि.मी. का प्रतिशत	8.64	9.24	(+) 0.60
14.	औसत बैठक क्षमता	50	50	(±) 0
15.	प्रतिदिन प्रवाहित की जाने वाली सीटों की संख्या (लाखों में)	2.05	2.04	(-) 0.49
16.	यात्रियों की संख्या (लाखों में)	3307.72	3129.09	(-) 5.40
17.	वाहन उपयोगिता (कि.मी.)			
	(अ) निगम वाहनों	402	390	(-) 2.99
	(ब) अनुबन्धित वाहनों	585	536	(-) 8.38
	(स) कुल वाहनों	405	397	(-) 1.98

2.52 उक्त तालिका के विवेचन से दृष्टिगत होता है कि गतवर्ष की तुलना में संचालन के अधिकांश मदों में गिरावट अंकित हुई है।

2.6 संचालन आय :-

2.61 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान प्राप्त यातायात राजस्व के समंक गतवर्ष से तुलना कर तालिका-8 में दर्शाये जा रहे हैं :-

तालिका-8

क्र.सं.	मद	2011-2012	2012-2013	गतवर्ष से वृद्धि का प्रतिशत
1.	कुल यातायात राजस्व (रूपये लाखों में)	133492.61	138259.80	(+) 3.57
2.	आय प्रति कि.मी. (पैसे में)	2201	2342	(+) 6.41
3.	यात्रीभार (प्रतिशत)	73	72	(-) 1.00
4.	प्रतिवाहन प्रतिदिन औसत आय (रूपये)	8904	9296	(+) 4.40
5.	औसत आय प्रति सीट प्रति कि.मी. (पैसे में)	44.02	46.84	(+) 6.41
6.	प्रति यात्री औसत आय (रूपये)	40.36	44.19	(+) 9.49

नोट :- तालिका के सभी संमकों की गणना लेखा शाखा से प्राप्त यातायात राजस्व के आधार पर की गयी है।

- 2.62 उक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यात्रीभार में गतवर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत की कमी हुई है। यातायात राजस्व में गतवर्ष से 4767.19 लाख रुपये (3.57%) की वृद्धि लाई गई। आय प्रति कि.मी. में (6.41%), प्रतिवाहन प्रतिदिन औसत आय में (4.40%), औसत आय प्रति सीट प्रति कि.मी. में (6.41%) तथा प्रति यात्री औसत आय में 9.49 प्रतिशत की गतवर्ष से हुयी वृद्धि उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग का द्योतक है।

2.7 विशेष सेवार्य :-

- 2.71 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान भी पूर्व वर्ष की भाँति जनता को धार्मिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक उत्सवों पर लगने वाले मेलों में संचालन हेतु निगम बसें उपलब्ध करायी गयी। मेलों से प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 18.49 लाख कि.मी. का संचालन कर निगम ने 577.88 लाख रुपये यातायात राजस्व के रूप में प्राप्त किये तथा 11.19 लाख यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

2.8 अनुबन्धित वाहन :-

- 2.81 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान बढ़ी हुयी यातायात की माँग की आपूर्ति, निगम के उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त बस मालिकों से वाहन अनुबन्ध पर लेकर की गयी। इन वाहनों के संचालन परिणाम तालिका-9 में गतवर्ष से तुलना कर दर्शाये गये हैं :-

तालिका-9

क्र.सं.	मद	2011-2012	2012-2013	गतवर्ष से अन्तर का प्रतिशत
1.	वाहन स्थिति :-			
	(अ) वर्ष के अन्तिम दिवस (31 मार्च)	130	242	(+) 86.15
	(ब) वाहनों की औसत संख्या	69	209	(+) 202.90
	(स) औसत संचालित वाहन	62	198	(+) 219.35
2.	संचालित कि.मी. (लाखों में)	133.84	386.71	(+) 188.93
3.	संचालन आय (रुपये लाखों में)	4805.53	9681.32	(+) 101.46
4.	आय प्रति कि.मी. (पैसे में)	3591	2504	(-) 30.27

- 2.82 उक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवेदन वर्ष के दौरान गतवर्ष की तुलना में निगम द्वारा अधिक अनुबन्धित वाहन संचालित की गयी, परन्तु इनके द्वारा अर्जित आय प्रति कि.मी. में गिरावट प्रदर्शित हो रही है।

2.9 सेवाओं की गुणवत्ता :-

- 2.91 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम बेड़े की गुणवत्ता के संमक गतवर्ष से तुलना कर तालिका-10 में दर्शाये जा रहे हैं :-

तालिका-10

क्र.सं.	मद	2011-2012	2012-2013	गतवर्ष से अन्तर का प्रतिशत
1.	समय पाबन्दी का प्रतिशत			
	(अ) प्रस्थान	98	99	(+) 1.00
	(ब) आगमन	99	99	(±) 0.00
2.	यन्त्रदोष दर (प्रति दस हजार कि.मी. पर)	0.18	0.18	(±) 0.00
3.	दुर्घटनाओं की संख्या			
	(अ) प्राणघातक	167	149	(-) 10.78
	(ब) बड़ी	59	65	(+) 10.17
	(स) छोटी एवं अन्य	227	176	(-) 22.47
	(द) योग	453	390	(-) 13.91
4.	दुर्घटनाओं की दर (प्रति लाख कि.मी. पर)			
	(अ) प्राणघातक	0.02	0.03	(+) 0.01
	(ब) बड़ी	0.01	0.01	(±) 0.00
	(स) छोटी एवं अन्य	0.04	0.03	(-) 0.01
	(द) योग	0.07	0.07	(±) 0.00

- 2.92 उक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवेदन वर्ष के दौरान भी समय पाबन्दी एवं यन्त्रदोष दर गतवर्ष के लगभग समान ही रही है। दुर्घटनाओं की संख्या गतवर्ष से कम रही है तथा दुर्घटना दर गतवर्ष के समान ही रही है अर्थात् निगम बेड़े की गुणवत्ता गतवर्ष से अच्छी रही है।

2.10 वाहन बेड़े की स्थिति :-

2.101 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम बेड़े की स्थिति गतवर्ष से तुलना कर तालिका-11 में दर्शायी जा रही है :-

तालिका-11

क्र.सं. मद्	2011-2012					2012-2013				
	लीले.	टाटा	बोल्वो	मर्स.	योग	लीले.	टाटा	बोल्वो	मर्स.	आई. योग
1. वर्ष के प्रारम्भ में वाहनों की संख्या	3072	1198	15	10	4295	3086	1292	15	10	— 4403
2. वर्ष के दौरान नई वाहनों की प्राप्ति	204	185	—	—	389	318	119	—	—	11 448
3. वर्ष के दौरान निष्प्रयोजित वाहनों	190	91	—	—	281	304	234	—	—	— 538
4. वर्ष के अन्त में वाहनों की संख्या	3086	1292	15	10	4403	3100	1177	15	10	11 4313

2.102 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम के वाहन बेड़े में 448 नयी वाहनों सम्मिलित की गयी तथा 538 वाहनों को निष्प्रयोजित कर बेड़े से हटाया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में निगम वाहनों की संख्या 4313 रही जो गतवर्ष की तुलना में 90 अधिक हैं।

2.11 आयुवार वाहन बेड़ा :-

2.111 प्रतिवेदन वर्ष के अन्तिम दिवस (31 मार्च 2013) को निगम बेड़े में सम्मिलित वाहनों की आयुवार स्थिति तालिका-12 में दर्शायी जा रही है :-

तालिका-12

आयु वर्षों में	वाहनों की संख्या						कुल से प्रतिशत					
	लीलेण्ड	टाटा	बोल्वो	मर्सडीज	आयसर	योग	लीलेण्ड	टाटा	बोल्वो	मर्सडीज	आयसर	योग
0 वर्ष से अधिक	3100	1177	15	10	11	4313	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1 वर्ष से अधिक	2782	1058	15	10	—	3865	89.74	89.89	100.00	100.00	—	89.61
2 वर्ष से अधिक	2580	873	15	10	—	3478	83.23	74.17	100.00	100.00	—	80.64
3 वर्ष से अधिक	1930	528	—	—	—	2458	62.26	44.86	—	—	—	56.99
4 वर्ष से अधिक	1683	528	—	—	—	2211	54.29	44.86	—	—	—	51.26
5 वर्ष से अधिक	780	528	—	—	—	1308	25.16	44.86	—	—	—	30.33
6 वर्ष से अधिक	780	528	—	—	—	1308	25.16	44.86	—	—	—	30.33
7 वर्ष से अधिक	550	385	—	—	—	935	17.74	32.71	—	—	—	21.68
8 वर्ष से अधिक	281	198	—	—	—	479	9.06	16.82	—	—	—	11.11
9 वर्ष से अधिक	275	198	—	—	—	473	8.87	16.82	—	—	—	10.97

2.112 निगम बेड़े की औसत आयु प्रतिवेदन वर्ष के अन्तिम दिन 4.07 वर्ष रही है, जो गतवर्ष की औसत आयु 4.41 वर्ष से 0.34 वर्ष कम रही है।

2.12 डीजल एवं आयल खपत दर :-

2.121 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम वाहनों के डीजल एवं आयल खपत दर के संमकों को गत दो वर्षों से तुलना कर तालिका-13 में दर्शाया गया है :-

तालिका-13

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1.	डीजल खपत दर (कि.मी.प्रति लीटर)	5.05	4.97	4.93
2.	आयल टॉप अप खपत दर (कि.मी.प्रति लीटर)	5204	5328	5066

- 2.122 उक्त तालिका से स्पष्ट है कि गतवर्ष की तुलना में डीजल खपत दर में 0.04 कि.मी.प्रति लीटर की गिरावट रही है, तथा ऑयल टॉपअप खपत दर में भी 262 कि.मी. प्रति लीटर की गिरावट अंकित हुयी है।

2.13 टायर दक्षता :-

- 2.131 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान रही टायर दक्षता के संमकों का गत दो वर्षों से तुलनात्मक विवरण तालिका -14 में दर्शाया जा रहा है :-

तालिका-14

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1.	क्रय किये गये टायरों की संख्या	21003+7140* =28143	23988+2723* =26711	24482+3136* =27618
2.	स्क्रेप टायरों की संख्या			
	(अ) नये	1673	1573	2145
	(ब) रिट्रेड	21824	24456	21036
	(स) योग	23497	26029	23181
3.	रिट्रेडिबिलिटी फैक्टर	2.32	2.18	2.09
4.	कुल केसिंग लाईफ (कि.मी.)	164775	160341	160149
5.	टायर रिट्रेडिबिलिटी (प्रतिशत)			
	(अ) नये	94	94	92
	(ब) रिट्रेड	61	59	61
	(स) योग	72	70	71
6.	नये टायर की खपत (प्रति लाख कि.मी. पर)	4.67	4.47	4.79
7.	रिट्रेड टायरों की खपत (प्रति लाख कि.मी. पर)	10.27	9.94	10.16
8.	रिट्रेड टायरों की संख्या			
	(अ) जयपुर	40945	42029	40221
	(ब) अजमेर	21000	22215	21372
	(स) योग	61945	64244	61593
9.	औसत कि.मी.			
	(अ) नये	69354	68903	73878
	(ब) रिट्रेड	39162	41234	40914
10.	औसत रिट्रेड लागत (रूपयों में)	2386	3047	2990

- 2.132 उपरोक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कुल टायर केसिंग लाईफ में गतवर्ष से 192 कि.मी.की गिरावट अंकित हुई है। प्रति लाख कि.मी.पर नये टायरों की खपत में 0.32 की वृद्धि की गयी है अर्थात् प्रति लाख कि.मी. पर टायर का उपभोग गतवर्ष की तुलना में अधिक किया गया है। टायर रिट्रेडिबिलिटी का प्रतिशत गतवर्ष से एक प्रतिशत अधिक रहा है।

2.14 असेम्बली दक्षता :-

- 2.141 आलोच्य वर्ष के दौरान तीन केन्द्रीय कार्यशालाओं द्वारा किये गये उत्पादन एवं इनकी दक्षता का तुलनात्मक विवरण तालिका-15 में दर्शाया जा रहा है :-

* चैसिस टायर संख्या

तालिका - 15

क्र.सं. विवरण		औसत कि.मी. (लाखों में)			
		नई असेम्बली		नवीनीकृत असेम्बली	
		2011-2012	2012-2013	2011-2012	2012-2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. इंजन :-					
(अ) हिनो		— —	— —	3.18 (57)	2.77 (7)
(ब) टी.सी.		10.85 (55)	10.68 (20)	1.12 (76)	1.32 (102)
(स) यूरो		10.26 (41)	11.38 (5)	2.96 (340)	2.81 (276)
(द) बी.एस III		— —	3.09 (86)	— —	— —
(य) बी.एस-II		8.10 (118)	9.04 (62)	2.05 (103)	2.56 (133)
(र) ईटी आई		5.25 (250)	5.98 (337)	2.64 (13)	2.88 (56)
(ल) रीकोन		— —	— —	3.12 (151)	3.47 (112)
2. गीयर बॉक्स :-					
(अ) लीलैण्ड					
(1) जी.बी 13		8.49 (85)	6.92 (18)	1.38 (1132)	1.12 (853)
(2) जेड-एफ		6.37 (69)	6.46 (223)	1.60 (111)	1.68 (306)
(ब) टाटा		9.58 (57)	5.58 (66)	1.08 (1034)	0.95 (766)
3. रियर एक्सल :-					
(अ) लीलैण्ड		9.55 (339)	9.55 (281)	1.93 (1648)	2.97 (357)
(ब) टाटा		11.38 (138)	10.56 (121)	2.62 (138)	3.20 (126)
4. फ्रंट एक्सल :-					
(अ) लीलैण्ड		9.04 (321)	8.79 (338)	2.84 (295)	2.79 (384)
(ब) टाटा		10.76 (135)	10.25 (101)	2.59 (167)	2.64 (149)
5. स्टियरिंग बाक्स :-		13.61 (1)			
(अ) लीलैण्ड			— —	2.38 (42)	2.22 (20)
(ब) पॉवर स्टियरिंग		10.48 (232)	10.90 (185)	3.05 (137)	3.02 (199)
6. एफ.आई.पम्प :-					
(अ) हिनो		— —	— —	1.05 (20)	— —
(ब) यूरो		9.75 (19)	9.19 (2)	1.72 (762)	1.16 (456)
(स) बी.एस-III		— —	2.93 (69)	— —	0.61 (167)
(द) जैक्सल		— —	— —	2.32 (5)	— —
(य) टी.सी.		8.03 (39)	4.50 (13)	2.47 (36)	1.28 (143)
(र) बी.एस-II		6.30 (21)	4.35 (17)	1.50 (128)	0.99 (197)
(ल) ईटी आई		5.08 (69)	5.69 (327)	1.26 (7)	1.43 (8)
7. सेल्फ :-					
(अ) लीलैण्ड		— —	5.07 (240)	0.79 (85)	0.64 (1238)
(ब) टाटा					
(1) टी.सी.		3.77 (187)	3.27 (193)	0.64 (2566)	0.65 (1509)
8. अल्टरनेटर :-					
(अ) लीलैण्ड		4.15 (207)	4.23 (239)	0.76 (945)	0.89 (875)
(ब) टाटा					
(1) टी.सी.		2.84 (67)	2.63 (29)	1.04 (769)	1.03 (610)
(2) बी.एस-III		— —	2.82 (292)	— —	1.02 (38)
9. क्राउन क्रेज		7.48 (55)	6.28 (65)	1.71 (168)	2.13 (122)



3 क्रय एवं भण्डार

3.1 भण्डार सामग्री का विवरण :-

3.11 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान गत वर्ष की भाँति ही द्विस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार द्वारा सीधा सामान आगार इकाईयों को उपलब्ध करवाया गया। वर्ष के दौरान भण्डार सामग्री की प्राप्ति एवं उपभोग का विवरण तालिका -16 के अनुसार रहा है :-

तालिका-16

क्र.सं. विवरण		(रुपये लाखों में)				शेष का प्रतिशत
		प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान		अन्तिम शेष	
			प्राप्तियां	उपभोग		
		1-4-2012			31-3-2013	
1.	लीलैण्ड समूह	88.21	1357.00	1349.10	96.11	41.16
2.	टाटा समूह	44.11	545.73	538.86	50.98	21.83
3.	प्रोपराईटरी समूह	29.47	560.04	556.24	33.27	14.25
4.	जनरल एवं टूल्स समूह	28.69	352.48	350.07	31.10	13.32
5.	बैट्री	0.00	249.67	230.70	18.97	8.12
6.	पेपर एवम् कार्बन	20.64	131.39	148.94	3.09	1.32
7.	आर.सी.पार्टस	0.28	3.54	3.82	0.00	0.00
योग		211.40	3199.85	3177.73	233.52	100.00

3.2 भण्डार सामग्री का उपभोग :-

3.21 वर्ष के दौरान भण्डार सामग्री के उपभोग का गत दो वर्षों से तुलनात्मक विवरण तालिका-17 में अंकित किया जा रहा है :-

तालिका-17

क्र.सं. विवरण	(रुपये लाखों में)		
	2010-11	2011-12	2012-13
1. कुल भण्डार सामग्री			
(अ) प्राप्ति	2478.72	2893.43	3199.85
(ब) उपभोग	2430.43	2858.85	3177.85
2. बैट्री			
(अ) प्राप्ति	231.42	284.84	249.67
(ब) उपभोग	224.12	285.07	230.70

3.3 क्रय प्रणाली :-

- 3.31 भण्डार सामग्री की खरीद साधारणतया मुख्यालय स्थित क्रय विभाग द्वारा की जाती है। किन्तु आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इकाई प्रभारियों द्वारा भी स्थानीय स्तर पर सामान की खरीद करने का प्रावधान है।

3.4 क्रय नीति :-

- 3.41 निगम द्वारा दिनांक 03.08.1993 को संशोधित क्रय नीति बनाई गयी थी। जिसके अनुसार भण्डार सामग्री का क्रय किया जाता है। साधारणतया क्रय से पूर्व निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, किन्तु निम्नलिखित एजेन्सियों से बिना पूर्व निविदाएं आमंत्रित किये खरीद करने का प्रावधान है :-

1. डी.जी.एस. एण्ड डी. से दर अनुबन्ध किये हुये सप्लायर्स।
2. सी.एस.पी.ओ. से दर अनुबन्ध किये हुये सप्लायर्स।
3. चैसिस निर्माणकर्ता।
4. ओ.ई. निर्माणकर्ता।
5. ए.एस.आर.टी.यू. से दर अनुबन्ध किये हुये सप्लायर्स।
6. टायर निर्माणकर्ता (क्रय नीति के पैरा 2.10 के प्रावधानों के अधीन)
7. भारत सरकार का तेल मार्केटिंग अन्डरटेकिंग।
8. हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन एवं भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन।
9. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, इन्डियन स्टील कम्पनी, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, राजस्थान उद्योग निगम।
10. खादी ग्रामोद्योग मण्डल।
11. ऐसी एजेन्सियाँ जिनसे निगम ने विभागीय दर पर संविदाएं कर रखी हैं।
12. राजस्थान क्रय विक्रय एवं उपभोक्ता समिति।

3.5 क्रय समिति एवं बोर्ड :-

- 3.51 निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत टेक्नीकल बीड एवं फाइनेंशियल बीड अलग-अलग आमन्त्रित की जाती हैं। जिस फर्म का टेक्नीकल बीड निर्धारित शर्तों के अनुसार पाया जाता है, उसी को ही फाइनेंशियल बीड की शर्त पूर्ण होने पर निविदा समिति द्वारा निविदा स्वीकार की जाती है। प्राप्त निविदाओं पर क्रय बोर्ड एवं निविदा समिति का पूरा नियन्त्रण रहता है। इस समिति के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सदस्यों में वित्तीय सलाहकार तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत दो तकनीकी महाप्रबन्धक व महाप्रबन्धक (भण्डार) हैं।

- 3.52 बिना निविदाएं आमंत्रित किये विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा निम्न प्रकार है :-

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. कार्यकारी प्रबन्धक | 5,000 /— रुपये |
| 2. महाप्रबन्धक (भण्डार) | 10,000 /— रुपये |

- 3.53 जहाँ पर खरीद 20,00,000 /— रूपयों से अधिक है वहाँ क्रय मण्डल के निर्णय को अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है। (खुली निविदाओं से)

- 3.54 भण्डार के प्रत्येक मामले में खरीद की वित्तीय सीमा की सूचना तालिका-18 में दर्शायी जा रही है :-

तालिका-18

क्र.सं. विवरण	भण्डार सामग्री क्रय करने के प्रत्येक मामले में वित्तीय सीमा (रुपयों में)				
	कार्यकारी प्रबन्धक	महाप्रबन्धक	प्रबन्ध निदेशक	क्रय मण्डल	अध्यक्ष
	(क्रय/भण्डार)	(क्रय/भण्डार)			
1. एक निविदा पर खरीद	5000 /—	10000 /—	20000 /—	50000 /—	100000 /—
2. क्रय नीति के पैरा सं. 2.00 से 2.09 तक में वर्णित अधिकृत डीलरों से खरीद	10000 /—	20000 /—	50000* /—	100000 /—	200000 /—
3. क्रय नीति के पैरा सं. 2.00 से 2.09 तक में वर्णित एजेन्सियों से खरीद	20000 /—	50000 /—	100000* /—	पूर्ण शक्तियाँ	किसी भी विवाद में पूर्ण शक्तियाँ
4. स्टील आथोरिटी ऑफ इन्डिया से खरीद	100000 /—	पूर्ण शक्तियाँ	किसी भी विवाद में पूर्ण शक्तियाँ	—	—
5. राजस्थान राज्य के उन उद्यमियों से खरीद जिन्हें नये विकास हेतु प्रोत्साहित किया गया है	—	10000 /— उपभोग करने वाले विभाग के अध्यक्ष के परामर्श से	—	—	—

* वित्तीय सलाहकार के परामर्श से।

नोट :- एकल निविदा खरीद पर क्रय मण्डल को सूचना देनी चाहिये।

3.55 केन्द्रीय भण्डार से विभिन्न आगारों एवं केन्द्रीय कार्यशालाओं को सामान जारी करने की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। अब प्रत्येक इकाई को कम्प्यूटर के जरिये चालान तैयार कर सामान जारी किया जाता है। जिसमें जारी किये गये सामान की कीमत भी अंकित रहती है।

3.56 कम्प्यूटर से प्रत्येक ग्रुप में उपलब्ध सामान की सूची स्वतः ही प्राप्त हो जाती है साथ ही सामान की न्यूनतम मात्रा भी अंकित रहती है। इससे सामान के भण्डार पर प्रभावी नियन्त्रण सम्भव हो सका है।

3.6 अनुपयोगी भण्डार सामग्री का विक्रय :-

3.61 समय-समय पर नये मॉडल की वाहनों की खरीद तथा पुराने मॉडल की वाहनों को नकारा घोषित करने के उपरान्त कुछ भण्डार सामग्री ऐसी होती है जोकि अनुपयोगी/अप्रचलित हो जाती है। इस प्रकार की भण्डार सामग्री को कमेटी द्वारा निरीक्षण कर अनुपयोगी/अप्रचलित घोषित किया जाता है, उसके उपरान्त यह कोशिश की जाती है कि इस सामग्री को पुनः सप्लायर्स क्रय कर लें अथवा अन्य परिवहन निगमों के यदि कार्य योग्य हो तो बुक वैल्यू पर उन्हें बेच दी जावे तथा जो सामग्री बकाया रहती है, उसे केन्द्रीय कार्यशालाओं में समय समय पर होने वाली नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाता है।



4 निर्माण अभियांत्रिकी

4.1 निर्माण कार्यों की प्रगति :-

4.11 निर्माण कार्यों को सुव्यवस्थित एवं त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु निगम में अधीक्षण अभियन्ता (निर्माण) के अधीन कार्यकारी प्रबन्धक (निर्माण) पदस्थापित है। निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु राशि 1115.00 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया। इस बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि 624.90 लाख रुपये खर्च कर विभिन्न निर्माण कार्य सम्पन्न करवाये गये।

4.12 निर्माण कार्यों पर किये गये परियारों का विवरण तालिका -19 में दिया जा रहा है :-

क्र.सं. विवरण	तालिका-19		(रुपये लाखों में)
	वर्ष 2012-2013		
	आवंटित बजट योग	वास्तविक व्यय राशि योग	
1. आगार कार्यशाला/कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य	600.00	404.01	
2. यात्री सुविधाएँ (स्थायी शैड, बस स्टैण्ड, प्याऊ, शौचालय इत्यादि का निर्माण)	390.00	126.57	
3. मरम्मत एवं रखरखाव कार्य	125.00	94.32	
योग	1115.00	624.90	

4.2 आगार कार्यालय एवं कार्यशालाओं का निर्माण :-

4.21 आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यालय एवं कार्यशालाओं के निर्माण कार्यों पर 404.01 लाख रुपये व्यय किये गये। सम्पादित मुख्य कार्यों एवं उन पर व्यय की गई राशि का विवरण तालिका-20 में अंकित है :-

तालिका - 20

क्र. सं.	कार्य का विवरण	व्यय राशि (रुपये लाखों में)
01	बगराना, जयपुर में ट्यूब वेल का निर्माण कार्य	2.24
02	करौली आगार कार्यालय का निर्माण कार्य	2.86
03	सवाईमाधोपुर बस स्टैण्ड व आगार कार्यालय का निर्माण कार्य	3.09
04	राजसमंद आगार कार्यालय का निर्माण कार्य	7.08
05	राजसमंद बस स्टैण्ड पर चार दीवारी का निर्माण कार्य	5.00
06	राजसमंद आगार कार्यालय में विद्युतीकरण का कार्य	0.77
07	राजसमंद आगार कार्याशाला का निर्माण कार्य	35.74
08	राजसमंद आगार कार्याशाला में विद्युतीकरण का कार्य	4.88
09	राजसमंद आगार कार्याशाला में ट्यूबवेल का निर्माण कार्य	3.84
10	राजसमंद आगार कार्याशाला में चार दीवारी का निर्माण कार्य	6.11
11	राजसमंद आगार कार्याशाला में शेष सीसी पेवमेन्ट का निर्माण कार्य	18.00
12	जैसलमेर आगार कार्याशाला में विविध निर्माण कार्य	7.35
13	जैसलमेर आगार कार्याशाला में विद्युत केबल का कार्य	0.25
14	जैसलमेर आगार कार्यालय में निर्माण कार्य	9.75
15	जैसलमेर आगार कार्यालय में विविध निर्माण कार्य	10.27
16	जैसलमेर आगार कार्याशाला में शेष निर्माण कार्य	7.83
17	भरतपुर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	2.69
18	मत्स्यनगर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.50
19	अलवर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.49
20	झुन्झुनू आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.49
21	डूंगरपुर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.50
22	लोहागढ़ आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	2.83
23	बीकानेर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	2.74
24	गंगानगर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.98
25	हनुमानगढ़ आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	2.74
26	बून्दी आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.19
27	वैशाली नगर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.42
28	विधाधरनगर आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	2.74
29	बांसवाड़ा आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.49
30	चूरू आगार कार्याशाला में ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कार्य	3.41
31	सीकर बस स्टैण्ड पर ट्यूब वेल का निर्माण कार्य	3.50
32	विधाधर नगर आगार कार्याशाला में वाटर हार्वैस्टिंग का निर्माण कार्य	1.74
33	बाड़मेर आगार कार्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य	4.03
34	आबूरोड आगार कार्याशाला में शेड का निर्माण कार्य	2.71
35	विधाधर नगर आगार कार्यालय में शौचालय का निर्माण कार्य	0.50
36	बांसवाड़ा आगार कार्याशाला में शौचालय का निर्माण कार्य	1.49
37	बगराना, जयपुर में केन्द्रीय कार्यशाला का निर्माण कार्य	64.23
38	बगराना, जयपुर में केन्द्रीय भण्डार का निर्माण कार्य	51.37
39	बगराना जयपुर में केन्द्रीय भण्डार व कार्यशाला में विद्युतीकरण कार्य	4.07
40	बगराना जयपुर में केन्द्रीय कार्यशाला में यार्ड लाइटिंग का कार्य	2.83
41	सवाईमाधोपुर आगार कार्याशाला का निर्माण कार्य	8.65
42	सवाईमाधोपुर आगार कार्याशाला में सीसी पेवमेन्ट का निर्माण कार्य	38.34
43	राजसमंद आगार में शेष निर्माण कार्य	3.80
44	जैसलमेर आगार कार्याशाला में विद्युतीकरण का कार्य	2.15
45	जैसलमेर आगार कार्यालय में विद्युतीकरण का कार्य	0.68
46	सरदारशहर आगार कार्याशाला में शौचालय निर्माण कार्य	1.26
47	करौली आगार कार्याशाला का निर्माण कार्य	39.66
48	जयपुर मुख्यालय में आई.टी.सेल का विकास कार्य	2.73
योग		404.01

4.3 यात्री सुविधाओं हेतु निर्माण कार्य:-

4.31 आलोच्य वर्ष के दौरान यात्री सुविधाओं पर कुल 126.57 लाख रुपये व्यय किये गये। यात्री सुविधाओं के तहत करवाये गये कार्यों का विवरण तालिका-21 में दर्शाया गया है :-

तालिका - 21		
क्र. सं.	कार्य का विवरण	व्यय राशि (रुपये लाखों में)
01	अजमेर बस स्टैण्ड पर सीसी पेवमेन्ट निर्माण कार्य	8.38
02	अजमेर बस स्टैण्ड पर नवीनीकरण कार्य	4.57
03	राजसमद बस स्टैण्ड पर सीसी पेवमेन्ट का निर्माण कार्य	17.20
04	जयपुर केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर शौचालय का निर्माण कार्य	2.63
05	लूणकरणसर (बीकानेर) बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य	27.42
06	लूणकरणसर (बीकानेर) बस स्टैण्ड पर विद्युतीकरण कार्य	0.63
07	लूणकरणसर (बीकानेर) बस स्टैण्ड पर चार दीवारी व सड़क निर्माण कार्य	5.43
08	झुंजरपुर बस स्टैण्ड का नवीनीकरण कार्य	5.00
09	झुन्झुनू बस स्टैण्ड पर निःशक्तजन हेतु शौचालय का निर्माण कार्य	1.13
10	देवनी बस स्टैण्ड का सुधार कार्य	1.71
11	अजीतगढ़ बस स्टैण्ड हेतु चार दीवारी का निर्माण कार्य	4.00
12	दौसा बस स्टैण्ड पर विद्युतीकरण कार्य	0.43
13	झुंजरपुर, बांसवाड़ा व भरतपुर बस स्टैण्ड पर सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य	9.87
14	तिजारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य	3.38
15	तिजारा बस स्टैण्ड पर विद्युतीकरण कार्य	0.43
16	दौसा बस स्टैण्ड पर शेष निर्माण कार्य	2.13
17	दौसा बस स्टैण्ड पर सड़क निर्माण कार्य	7.56
18	विभिन्न बस स्टैण्डों पर उर्जा बचत हेतु विद्युत उपकरण लगाने का कार्य	24.67
योग		126.57

4.4 मरम्मत एवं रखरखाव कार्य :-

4.41 निगम के विभिन्न कार्यालयों/कार्यशालाओं एवम् बस स्टैण्डों की मरम्मत एवं रखरखाव पर प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कुल राशि 94.32 लाख रुपये का व्यय किया गया है।



5 वि त्त

5.1 पूँजीगत ढाँचा एवं प्राप्तियाँ :-

5.11 निगम पूँजी में राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार (रेल्वे) द्वारा 2:1 में पूँजीगत अंशदान करने का प्रावधान है, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम में राज्य सरकार का साधारण अंशदान 18890.00 लाख रुपये एवम् केन्द्र सरकार का अंशदान शून्य रहा है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम द्वारा अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण पत्र जारी कर, वाणिज्यिक बैंकों, पेन्शन एवं कार्पस फंड तथा सामान्य प्रावधायी निधि से ऋण प्राप्त कर की गयी, जिसका विवरण (वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस) तालिका-22 में दिया गया है :-

तालिका-22

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 की स्थिति	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/भुगतान	31.03.2013 की स्थिति
1.	राज्य सरकार का अंशदान			
	(अ) साधारण अंश पूँजी	16713.50	(+) 18890.00	35603.50
	(ब) पूँजी अंशदान	2610.00	—	2610.00
2.	केन्द्रीय सरकार का अंशदान			
	(अ) साधारण अंश पूँजी	2477.57	—	2477.57
	(ब) पूँजी अंशदान	205.18	—	205.18
3.	आन्तरिक संसाधन	32101.54	(+) 2660.45	34761.99
	(मूल्य ह्रास एवं सुरक्षा निधि)			
4.	ऋण			
	(अ) ऋण पत्र	—	(+) 50000.00	50000.00
	(ब) वाणिज्यिक बैंको से	41981.04	(-) 33051.59	8929.45
	(स) कार्पस फण्ड से	1647.72	(+) 3.00	1650.72
	(द) पेन्शन फण्ड (आर.एस.आर.टी.सी.)	7900.00	(-) 3400.00	4500.00
	(य) सामान्य प्रावधायी निधि से ऋण	1500.00	(+) 1000.00	2500.00
	(र) ऋण राज्य सरकार से	—	(+) 1000.00	1000.00
	योग	107136.55	(+) 37101.86	144238.41

नोट :- उक्त तालिका में दोनों वित्तीय वर्षों के समंक पुष्ट लेखों पर आधारित हैं।

5.2 पूँजीगत परिव्यय :-

5.21 प्रतिवेदन वर्ष के अन्तिम दिवस तक किए गए पूँजीगत परिव्यय एवं वर्ष के दौरान किए गये पूँजीगत परिवर्धन के समंक तालिका-23 में दर्शाये जा रहे हैं :-

तालिका-23

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 की स्थिति	वर्ष में परिवर्धन	31.03.2013 की स्थिति	कुल से प्रतिशत	गत वर्ष से अन्तर (प्रतिशत)
1.	भूमि, भवन एवं यात्री सुविधाएँ	3707.00	(+) 244.70	3951.70	6.38	(+) 6.60
2.	कलपुर्जे, मशीन एवं इंजन	649.52	(+) 59.19	708.71	1.14	(+) 9.11
3.	यात्री वाहनों एवं स्टाफ कार	58088.10	(-) 1064.59	57023.51	92.07	(-) 1.83
4.	फर्नीचर एवं कार्यालय साज सामान	135.99	(+) 24.42	160.41	0.26	(+) 17.96
5.	अन्य पूंजीगत व्यय (कार्य प्रगति पर)	260.23	(-) 168.30	91.93	0.15	(-) 64.67
योग		62840.84	(-) 904.58	61936.26	100.00	(-) 1.44

नोट :- उक्त तालिका में दोनों वित्तीय वर्षों के समक पुष्ट लेखों पर आधारित हैं।

- 5.22 उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम द्वारा यात्रियों को बेहतर वाहन बेड़ा उपलब्ध कराने के लिये नयी वाहनों बेड़े में सम्मिलित की गयी तथा पुरानी वाहनों को बेड़े से निष्पादित किये जाने के कारण यात्री वाहन मद में कुल व्यय का 92.07 प्रतिशत व्यय किया गया है।

5.3 निधि एवं विनियोजन :-

- 5.31 प्रतिवेदन वर्ष के अन्तिम दिवस (31 मार्च 2013) की विभिन्न निधियों की स्थिति का गतवर्ष से तुलनात्मक विवरण तालिका-24 में दर्शाया जा रहा है :-

तालिका-24

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	निधियों का विवरण	31 मार्च की स्थिति		गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)
		2012	2013	
1.	परिसम्पत्तियों के लिए पुनर्स्थापना निधि (वाहन)	215.91	215.91	(±) 0.00
2.	मूल्य ह्रास निधि	31567.81	31598.87	(+) 0.10
3.	आरक्षी निधि (व्यवहार एवं आकस्मिक कार्य)	3.00	3.00	(±) 0.00
4.	यात्री कल्याण एवं सुविधा निधि	13.88	13.88	(±) 0.00
5.	आब्सोलेन्स रिजर्व	193.09	203.36	(+) 5.32
6.	तृतीय पक्ष जोखिम बीमा निधि	107.85	106.78	(-) 1.00
7.	निगम ऋण पत्र समाशोधन रिजर्व	—	2620.20	(+) 100.00
योग		32101.54	34762.00	(+) 8.29

नोट :- उक्त तालिका में अंकित दोनों वित्तीय वर्षों के समक पुष्ट लेखों पर आधारित हैं।

5.4 राजस्व प्राप्तियाँ :-

- 5.41 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति के समकों को गत दो वर्षों से तुलना कर तालिका-25 में दर्शाया जा रहा है :-

तालिका-25

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2011-2012	2012-2013	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)
1.	यातायात राजस्व	117115.50	133492.61	138259.80	(+) 03.57
2.	अन्य राजस्व	4626.71	6369.98	6072.17	(-) 04.68
3.	कुल राजस्व	121742.21	139862.59	144331.97	(+) 03.20
4.	राजस्व प्रति कि.मी. (पैसे)				
	(अ) यातायात	1955	2201	2342	(+) 06.41
	(ब) अन्य	77	105	103	(-) 01.90
	(स) कुल	2032	2306	2445	(+) 06.03

नोट :- उक्त तालिका में तीनों वित्तीय वर्षों के समक पुष्ट लेखों पर आधारित हैं।

5.42 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम के कुल राजस्व में गतवर्ष की तुलना में 4469.38 लाख रुपयों की वृद्धि अंकित हुई है। इसी प्रकार निगम की कुल राजस्व अर्जन दर में भी गतवर्ष से 139 पैसे प्रति कि.मी.की वृद्धि हुयी है।

5.5 राजस्व व्यय :-

5.51. प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम द्वारा विभिन्न मदों पर किया गया व्यय तथा व्यय प्रति कि.मी. के समंक गतवर्ष से तुलना कर तालिका-26 में दर्शाये जा रहे हैं :-

तालिका-26

क्र.सं. विवरण	राजस्व व्यय (रुपये लाखों में)		गतवर्ष से वास्तविक अन्तर (रु.लाखों में)	व्यय प्रति कि.मी. (पैसे)		गतवर्ष से अन्तर (पैसे)
	2011-2012	2012-2013		2011-2012	2012-2013	
1. वेतन एवं भत्ते	51015.86	52699.00	(+) 1683.14	841	893	(+) 52
2. कर्मचारी कल्याण एवं अधिवार्षिकी	10858.32	20775.42	(+) 9917.10	179	352	(+) 173
3. बोनस	750.00	750.00	(±) 0	12	13	(+) 01
4. डीजल	48631.69	51056.84	(+) 2425.15	802	865	(+) 63
5. भण्डार सामग्री :-						
(अ) स्पेयर पार्ट्स एवं बेट्रीज	2065.31	2343.52	(+) 278.21	34	40	(+) 06
(ब) टायर ट्यूब एवं फ्लेप्स	4397.44	4504.64	(+) 107.20	72	76	(+) 04
(स) तेल एवं लुब्रीकेन्ट	632.82	828.27	(+) 195.45	10	14	(+) 04
(द) रिकन्डिशनिंग	4378.07	4931.78	(+) 553.71	72	84	(+) 12
6. अनुबन्धित वाहनों	2552.11	6126.92	(+) 3574.81	42	104	(+) 62
7. मोटर वाहन कर	547.34	557.56	(+) 10.22	09	09	(±) 0
8. बीमा	1819.94	1932.78	(+) 112.84	30	33	(+) 03
9. मूल्य ह्रास	3562.04	4157.55	(+) 595.51	59	70	(+) 11
10. ऋणों पर ब्याज	6039.59	6920.59	(+) 881.00	100	117	(+) 17
11. सामान्य प्रभार	6282.08	6546.06	(+) 263.98	104	111	(+) 07
योग	143532.61	164130.93	(+) 20598.32	2366	2780	(+) 414
12. विशेष सड़क कर एवं अन्य राज्यों का कर	9341.59	13864.97	(+) 4523.38	154	235	(+) 81
13. महायोग	152874.20	177995.90	(+) 25121.70	2520	3015	(+) 495
14. सकल लाभ/हानि	(-) 3409.99	(-) 22585.54	(-) 19175.55	(-) 56	(-) 383	(-) 327
15. लाभ/हानि	(-) 13011.62	(-) 33663.93	(-) 20652.31	(-) 214	(-) 570	(-) 356
16. एप्रोप्रियेशन	(-) 48.24	(-) 31176.72	(-) 31128.48	(-) 01	(-) 528	(-) 527
17. शुद्ध लाभ/हानि	(-) 13059.86	(-) 64840.65	(-) 51780.79	(-) 215	(-) 1098	(-) 883
18. कुल आय	139862.59	144331.97	(+) 4469.38	2306	2445	(+) 139

नोट :- उक्त तालिका में अंकित दोनों वित्तीय वर्षों के समंक पुष्ट लेखों पर आधारित हैं।

- 5.52. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर गतवर्ष की तुलना में 4469.38 लाख रुपये का अधिक राजस्व अर्जित किया गया जो गतवर्ष से 139 पैसा प्रति कि.मी. अधिक है। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते एवम् वार्षिक वेतन वृद्धि, डीजल लागतों में हुयी बार-बार मूल्य वृद्धि तथा लागत की विभिन्न मदों में हुयी वृद्धि के कारण हानि में गतवर्ष से 51780.79 लाख रुपये की वृद्धि अंकित हुयी है।

5.6 वित्तीय परिणाम :-

- 5.61 किसी भी संस्थान की स्थिरता उसकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान विभिन्न प्रकार के वित्तीय अनुपातों के अध्ययन से किया जा सकता है। अतः विभिन्न वित्तीय अनुपात एवं परिणाम गत दो वर्षों से तुलना कर तालिका-27 में दर्शाये जा रहे हैं :-

तालिका-27

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1.	31 मार्च को पूँजी	22006.25	22006.25	40896.25
2.	कुल राजस्व	121742.21	139862.59	144331.97
3.	कार्यकारी व्यय	127216.35	143272.58	166917.51
4.	सकल लाभ/हानि	(-) 5474.14	(-) 3409.99	(-) 22585.54
5.	एप्रोप्रियेशन खाते में लाभ/हानि	(+) 920.29	(-) 48.24	(-) 31176.72
6.	पूँजीगत प्रभार	13895.34	9601.62	(-) 11078.65
7.	शुद्ध लाभ/हानि	(-) 18499.84	(-) 13059.86	(-) 64840.39
8.	पूँजी पर प्रतिफल	(-) 14534.86	(-) 7020.27	(-) 53919.81
	(पूँजी ऋण पर ब्याज को छोड़कर शुद्ध लाभ)			
9.	वित्तीय अनुपात (प्रतिशत में)			
	(अ) राजस्व आगम अनुपात	553.22	635.56	352.92
	(कुल राजस्व, पूँजी की तुलना में)			
	(ब) दक्षता अनुपात	86.24	91.49	81.09
	(कुल राजस्व आय, कुल व्यय की तुलना में)			
	(स) कार्यकारी अनुपात	104.54	102.44	115.65
	(कार्यकारी व्यय, कुल राजस्व की तुलना में)			
	(द) पूँजी पर सकल लाभ	(-) 25.11	(-) 15.50	(-) 55.23
	(य) पूँजी पर शुद्ध लाभ	(-) 84.07	(-) 59.35	(-) 158.55
	(र) पूँजी पर प्रतिफल	(-) 66.05	(-) 31.90	(-) 131.85

नोट:- उक्त तालिका में अंकित तीनों वित्तीय वर्षों के समंक पुष्ट लेखों पर आधारित हैं।

- 5.62 उपरोक्त वर्णित वित्तीय अनुपातों से स्पष्ट है कि प्रतिवेदन वर्ष के दौरान राजस्व आगम अनुपात एवम् दक्षता अनुपात में गतवर्ष की तुलना में गिरावट अंकित हुयी है तथा कार्यकारी अनुपात में गतवर्ष से सुधार इंगित हुआ है।



6

सुरक्षा एवं सतर्कता

6.1 गठन :- निगम सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अन्य कृत्यों द्वारा सम्भावित हानि को रोकने के लिए सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग का गठन

6.11

किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का कार्य कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) के अधिनस्थ है। इस प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच करायी जाती है निगम के आगार कार्यालयों में आकस्मिक जांच के अतिरिक्त निगम के सभी जनों की वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण कार्य भी सम्पादित किया जाता है। निगम की ईकाईयों में गठित होने वाली चोरी, डकैती व अन्य अपराधों की समय-समय पर नियमित रूप से जांच/मोनेटरिंग की जाती है।

6.12 वर्ष 2012-13 के दौरान इस प्रकोष्ठ के निरीक्षण दल द्वारा कुल 460 निगम वाहनों का मार्गों पर निरीक्षण किया गया जिनमें 09 वाहनों में बिना टिकिट यात्रा करने के प्रकरण निरीक्षण दल द्वारा पकड़े गये हैं जिनमें 77 यात्री बिना टिकिट यात्रा करते हुये पाये गये जिनसे किराया एवम् अधिभार के रूप में 2167.00 रुपये की राशि वसूल की गयी। निरीक्षण के समय पाई गई अनियमितताओं पर विभागीय कार्यवाही के लिये सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया।

6.13 आलौच्य वर्ष में गैर संचालकीय आय की दिशा में पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु समय-समय पर सतर्कता दलों को भिजवाया गया, केन्द्रीय बस स्टैण्डों को आवंटित कैंटीन स्टालधारियों द्वारा आवंटित स्थान के अलावा पाये गये अतिक्रमण /स्वीकृत सूची के अतिरिक्त बेचे जा रहे सामान को जप्त करना एवम् नियमानुसार अतिरिक्त किराया वसूली की कार्यवाही भी अमल में लाई गयी। प्रकोष्ठ को समय-समय प्राप्त शिकायतों की भी जांच कर निर्णय पारित किये गये हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों एवम् किये गये निर्णय का विवरण तालिका-28 में दर्शाया गया है:-

तालिका-28

क्र.सं.	विवरण	कार्य निष्पादन
1.	दिनांक 01.04.12 को बकाया जांच के प्रकरणों की संख्या	144
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें/परिवादों की संख्या	106
3.	वर्ष के दौरान निष्पादन प्रकरणों की संख्या	178
4.	दिनांक 31.03.2013 को बकाया जांच के प्रकरणों की संख्या	72

6.2 वाहन निरीक्षण :-

6.21 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान वाहन निरीक्षण का समस्त कार्य महाप्रबन्धक (निरीक्षण) द्वारा सम्पादित करवाया गया। इस अवधि के दौरान 302686 वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3463 बिना टिकिट के मामले पकड़े गये। पकड़े गये मामलों में 11,193 यात्री बिना टिकिट एवम् 4090 किलो लगेज पकड़ा गया, जिनसे 409436 रुपये किराया व अधिभार राशि वसूल की गयी।

6.22 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान मुख्यालय एवं समस्त आगारीय उड़न दस्तों द्वारा सम्पादित वाहन निरीक्षण कार्य के समंक गतवर्ष से तुलना कर तालिका - 29 में दर्शाये जा रहे हैं :-

तालिका-29

क्र.सं.	विवरण	कार्य निष्पादन	
		2011-12	2012-13
1.	निरीक्षित वाहनों की संख्या	290782	302686
2.	पकड़े गये भ्रष्टाचार के मामले	5114	3463
3.	बिना टिकिट पाये गये यात्रियों की संख्या	15657	11193
4.	बिना टिकिट सामान (किलो)	9626	4090
5.	बिना टिकिट यात्रियों से वसूली की गयी राशि (रुपयों में)		
	(1) किराये के रूप में	321501	235094
	(2) अधिभार के रूप में	224635	174342
	कुल	546136	409436



7

श्रम एवं जनसुविधाएँ

7.1 श्रम एवं औद्योगिक सम्बन्ध :-

7.11 आलोच्य वर्ष के दौरान निगम में प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के मध्य औद्योगिक सम्बन्ध मधुर रहे एवं इस दौरान श्रमिकों की मांगों के सम्बन्ध में आपसी वार्ता के द्वारा विभिन्न सामान्य विवादों का समाधान किया गया ।

7.2 कर्मचारी कल्याण कार्य :-

7.21 कर्मचारी कल्याण कोष:-

वर्ष 1987 में स्थापित इस कोष के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को 25000/- रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रावधान के तहत आलोच्य वर्ष में 120 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में कर्मचारी कल्याण कोष से 30,00,000/- रूपयों का भुगतान किया गया ।

7.22 दुर्घटना अवकाश:-

जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण घायल होते हैं, उन्हें कार्य पर उपस्थित होने पर चिकित्सक की राय के अनुसार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं। आलोच्य वर्ष में दुर्घटना के कारण कुल 35 मामलों में विशेष सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये गए ।

7.23 पेंशन सुविधा :-

स्थायी आदेशों से शासित कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के तहत रा.रा.प. परिवहन निगम कर्मचारी पेन्शन विनियम 1989 के तहत निगम की पेन्शन हेतु विकल्प दिया है उसे पेन्शन का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार जो कर्मचारी सी.पी.एफ. से शासित है उन्हें सी.पी.एफ. अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेन्शन लाभ निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय में फार्म भर कर दिये जाने पर देय होता है ।

7.24 कर्मचारी राज्य बीमा :-

निगम की जिन जिन इकाईयों पर ई.एस.आई. स्कीम लागू है उन इकाईयों में 15,000/-रुपये तक वेतन पा रहे कर्मचारियों को ई.एस.आई. द्वारा चिकित्सा के सभी लाभ देय है। इसमें 1.75 प्रतिशत अंशदान कर्मचारी तथा 4.75 प्रतिशत अंशदान निगम की ओर से देय होता है। वर्तमान में ई.एस.आई. स्कीम निम्न 35 इकाईयों पर लागू है :-
आबूरोड़, अजमेर, अजयमेरु, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डीलक्स, धौलपुर, डूंगरपुर, फालना, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुन्झुनू, जोधपुर, कोटा, टोंक, लोहागढ़, मत्स्यनगर, सांगानेर, सीकर, उदयपुर, वैशालीनगर, विधाधरनगर, पाली, केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर, टायर शाखा, जयपुर सी.बी.एस. जयपुर, एवं सी.बी.एस. अजमेर पर लागू है ।

7.25 निःशुल्क यात्रा सुविधा :-

आलोच्य वर्ष के दौरान सभी निगम कर्मचारियों को प्रति परिवार 50 एकल निःशुल्क पास जारी किये गये हैं तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 20 पास प्रति वर्ष दिये जा रहे हैं ।

7.26 प्राथमिक चिकित्सा सुविधा :-

निगम की केन्द्रीय कार्यशालाओं एवं आगार कार्यशालाओं में रेडक्रास सोसायटी जयपुर के द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों को प्राथमिक चिकित्सा कार्य हेतु लगा रखा है, जिनको चिकित्सा बॉक्स भी उपलब्ध करवाये गये हैं। दवाईयां आदि खरीदने के लिए प्रत्येक आगार को प्रतिमाह 30/-रु. एवं केन्द्रीय कार्यशाला को 150/-रु0 प्रतिमाह उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, जो कर्मचारी इस कार्य को करते हैं, उसे भत्ते के रूप में 15/-रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं ।

7.27 चिकित्सा सुविधा :-

निगम के ऐसे कर्मचारी जो ई.एस.आई. स्कीम से शासित नहीं होते हैं, उन्हें व उन पर आश्रित सदस्यों को निगम द्वारा सरकारी अस्पताल के डाक्टर से ईलाज करवाने पर किये गये खर्च का शत प्रतिशत पुनर्भरण किया जाता है। यह पुनर्भरण राज्य सरकार के नियमानुसार ही किया जाता है।

7.28 सहकारी समिति :-

निगम के जयपुर स्थित मुख्यालय पर कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है, इसके अधीन कार्यरत उपभोक्ता भण्डार द्वारा निगम के कर्मचारियों को उचित दरों पर सामान नकद/उधार उपलब्ध कराया जाता है। समिति अपने सदस्यों को समय-समय पर ऋण भी देती है। ऋण की वसूली वेतन से आसान मासिक किस्तों में की जाती है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान धन तेरस पर समिति ने अपने सदस्यों को अनुपात अनुसार लाभांश का नकद भुगतान किया है।

7.29 सेवा निवृत्ति आयु :-

निगम के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 31.08.08 से 60 वर्ष है। इसी प्रकार निगम सेवा में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा भी निर्धारित है।

7.30 अल्पाहार केन्टीन :-

केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर के लिये निगम द्वारा अनुदान (सब्सीडी) पर केन्टीन की व्यवस्था की गयी है, जिसमें कर्मचारियों को सस्ती दर पर चाय, नमकीन, सब्जी, पूड़ियाँ व मिठाई इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा निःशुल्क बिजली पानी व भवन की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है।

7.31 सवारी भत्ता :-

निगम ने अपने विकलांग कर्मचारियों को सवारी भत्ते की सुविधा राज्य सरकार के अनुरूप ही प्रदान की हुयी है।

7.32 दुर्घटना के कारण कोर्ट केस हेतु कानूनी व्यवस्था :-

दुर्घटना के कारण चालकों के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर होता है तो निगम द्वारा चालकों के मुकदमों के लिये कानूनी सहायता के रूप में नकद राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाता है :-

- (क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279/337/338 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों में 30 रुपये प्रति मुकदमा एवं धारा 304 ए (आई.पी.सी.) के मामलों में 200 रुपये प्रति मुकदमों के लिये सम्बन्धित चालक को दिये जाते हैं।
- (ख) यदि सम्बन्धित चालकों को अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी मुकदमे में सजा सुना दी गयी हो तो उसे प्रथम अपील न्यायालय में अपील करने हेतु 250 रुपये प्रति मुकदमा सहायता दी जाती है। बशर्ते सम्बन्धित चालक ने निगम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करली हो। निगम वाहनों से होने वाली दुर्घटना में सहायता राशि के भुगतान के सम्बन्ध में एक दुर्घटना नियमावली बनाई हुई है। साथ ही निगम द्वारा तृतीय पक्ष को निपटाने के लिये एक समिति का गठन किया हुआ है। यह समिति प्रत्येक मामले में 5000 रु. की राशि स्वीकृत कर सकती है। समिति को क्षति पूर्ति की वसूली राईट ऑफ करने का निर्णय लेने का अधिकार है। इस समिति द्वारा क्षति पूर्ति राशि की स्वीकृति तृतीय पक्ष को न्यायालय से परे ऐसे मामलों को अन्तिम रूप से निपटाये जाने की दृष्टि से तथा न्यायालय की शरण में न जाने के विकल्प के रूप में दी जाती है। समिति का गठन निम्न प्रकार से है :-

- 1. अध्यक्ष
- 2. प्रबन्ध निदेशक
- 3. वित्तीय सलाहकार

7.33 सेवा निवृत्ति पर बकाया उपार्जित अवकाश का भुगतान :-

निगम के स्थाई कर्मचारियों / अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके पक्ष में बकाया उपार्जित अवकाशों का निगम द्वारा नकद भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

7.34 कर्मचारी सहबद्ध योजना :-

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना दिनांक 1.8.1976 से लागू की गयी है जिसके तहत भविष्य निधि का प्रत्येक सदस्य स्वमेव बीमा योजना का सदस्य माना गया है। इस योजना का अंशदान नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। सदस्य कर्मचारी की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 62,000 रुपये का भुगतान सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा कर्मचारी के आश्रितों के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में सीधे ही जमा किया जाता है।

7.35 मृतक कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सहायता :-

निगम कर्मचारियों के एक्टिव ड्यूटी पर रहते हुए प्राकृतिक निधन हो जाने पर मृतक के परिवार को 15,000 रुपये एवं दुर्घटना के कारण निधन हो जाने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50000 रुपये तक सहायता देने का प्रावधान है, जो प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थिति पर निर्भर है।

7.36 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति :-

निगम के उन कर्मचारियों जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गयी हो उनके आश्रितों को चयन शाखा द्वारा जारी नीतिगत निर्णयों के अनुसार नियुक्ति दी जाती है।

7.37 अंशदायी भविष्य निधि योजना :-

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सी.पी.एफ. एवं जी.पी.एफ. का विकल्प प्राप्त करते हुए निगम सेवा में रहने का विकल्प लिया है के वेतन का 12 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान के रूप में काटा जाता है। सी.पी.एफ. में उतना ही अंशदान निगम द्वारा जमा कराया जाता है। अंशदान भविष्य निधि योजना के तहत उनके बच्चों के विवाह, मुण्डन आदि पर सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिये ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। दिया गया ऋण नियमानुसार आसान किस्तों में वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के विवाह तथा भवन निर्माण कार्य के लिए न चुकाने योग्य ऋण भी दिया जाता है।

7.38 श्रम न्यायालयों के अवार्डों / निर्णयों की पालना :-

राज्य के सभी श्रम / औद्योगिक न्यायाधिकरणों में निगम के विरुद्ध विचाराधीन मामलों में पैरवी मुख्यतः निगम के स्थाई अधिवक्ताओं / पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से करायी जाती है। जिन केसों में यूनियन द्वारा अधिवक्ताओं के पैरवी करने पर आपत्ति उठायी जाती है, उन प्रकरणों में श्रम निरीक्षकों / श्रम अधिकारियों से पैरवी करायी जाती है। श्रम न्यायालयों के अवार्डों / निर्णयों की पालना / अपील करने की कार्यवाही विधि विभाग द्वारा की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 100 अवार्ड पारित हुये तथा 20 अवार्डों की पालना की गयी।

7.39 सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :-

इस योजना के तहत आलोच्य वर्ष में प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के वेतन से 71 रूपयों की कटौती की गई है तथा दुर्घटना होने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राशि देय होगी तथा मृत्यु होने पर दो लाख रुपये देय होंगे।

7.40 पुस्तकालय :-

निगम मुख्यालय, जयपुर में निगम कर्मचारियों / अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए एक पुस्तकालय स्थापित है। आलोच्य वर्ष के दौरान कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग किया गया है।

7.3 जन सम्पर्क :-

7.31 निगम के लिये यात्री हित सर्वोपरि है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निगम यात्रियों को सुविधा सम्पन्न बस स्टैण्ड एवं साफ सुथरी बसें उपलब्ध करवाकर निर्धारित समयानुसार संचालन करता है। यात्रियों से प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित गति से निस्तारण कर जनता की इन्हीं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु निगम हमेशा प्रयत्नशील रहा है।

7.32 यात्री सुविधाएँ :-

7.321 प्रतिवेदन वर्ष के दौरान निगम ने महिलाओं के लिये उप नगरीय मार्गों पर संचालित होने वाली वाहनों में कुल बैठक क्षमता का 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया हुआ है तथा विकलांगों के लिए द्रुतगामी एवम् साधारण बसों में 2 सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए निगम बस स्टैण्डों को तीन श्रेणियों में निम्न प्रकार से विभक्त किया गया है :-

उपलब्ध यात्री सुविधाएँ

छोटे कस्बों के बस स्टैण्ड

यात्री शैड, टिकिट खिड़की, प्याऊ, खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा पुरुष एवं महिलाओं के लिये पृथक – पृथक जन सुविधाएँ।

शहरों के बस स्टैण्ड

प्रतीक्षालय, पर्याप्त कुर्सियाँ, पंखे, विद्युत व्यवस्था, पूछताछ एवं टिकट खिड़की, माइक से उद्घोषणा व्यवस्था, आरक्षण सुविधा, पेयजल, खाद्य एवं पेय पदार्थ, पुस्तकें, समाचारपत्र, दूरभाष तथा पोर्टर सुविधाएँ।

बड़े शहरों के बस स्टैण्ड

वातानुकूलित एवं विशाल प्रतीक्षालय, बरामदे, प्लेटफार्म, पर्याप्त कुर्सियाँ, पंखे, विद्युत व्यवस्था, डेजर्ट कूलर, पूछताछ एवं कम्प्यूटर से टिकट जारी, आरक्षण सुविधा, जल, भारोत्तोलन यन्त्र, खाद्य एवं पेय पदार्थ, दूरभाष, कलाक रूम, बैंक, डाकघर, पुलिस चौकी तथा पोर्टर सुविधाएँ।

7.322 निःशुल्क यात्राएँ एवं किराये में रियायत :- प्रतिवेदन वर्ष के दौरान ये सुविधाएँ निम्न प्रकार दी गई :-

क्र. सं.	श्रेणी	देय सुविधाएँ
1.	कम दृष्टि निःशक्तता, मानसिक रुग्णता एवम् मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी, मानसिक विमन्दित एवम् मानसिक विमन्दित से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, पत्रकार, नेत्रहीन, नेत्रहीन का एक सहयोगी, श्रवण बाधित, विकलांग, अंधता एवम् अन्धता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी, स्वतन्त्रता सैनानी, स्वतन्त्रता सैनानी का एक सहयोगी, स्वतंत्रता सैनानियों की विधवाएँ एवम् उनका एक सहयोगी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति मय सहयोगी युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएँ एवम् उन पर आश्रित अवयस्क संतानें, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा में राज्य के पदक विजेता, राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाएँ कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु पाठशाला जाने व आने के लिये, राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री एवम् पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति, सेवारत नहीं होने पर एक सहयोगी, कांस्टेबल स्वर्गीय श्री चन्द्रभान, पुलिस निरीक्षक, स्व.श्री फूल मोहम्मद, चालक स्व. श्री विजेन्द्र सिंह सुरक्षा कर्मचारी स्व.श्री दुर्गालाल कीर, कांस्टेबल स्व.श्री निहाल सिंह इनकी पत्नी एवम् आश्रित बच्चों को	निःशुल्क
2.	कैंसर रोगी, असंक्रामक कुष्ठ रोगी, थैलिसिमिया रोगी, एड्स रोगी	75% छूट
3.	केन्सर, थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी तथा विद्यार्थी, राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक एवम् निगम का लाईसेन्स धारी कुली नगरीय सेवाओं में घर से बस स्टैण्ड आना जाना।	50% छूट
4.	60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक	30% छूट
5.	महिलाओं द्वारा समूह में (न्यूनतम 5 महिलाएँ) यात्रा करने पर, आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में संचालित साधारण वाहनों में आदिवासियों को यात्रा करने पर	25% छूट

7.323 मासिक पास:-

दिनांक 01.11.2011 से यात्रियों को निगम वाहनों में यात्रा के लिये प्रेरित/प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार रियायत प्रदान की गयी है :-

अवधि (कलेण्डर वर्ष)	देय रियायत	वसूली योग्य राशि
एक माह	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
दो माह	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
तीन माह	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

7.324 दुर्घटना की रोकथाम:-

दुर्घटना में कमी लाने की दृष्टि से आलोच्य वर्ष में निगम द्वारा 633 चालकों को समय-समय पर अजमेर स्थित निगम के प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिलवाया गया।



8

प्रशिक्षण एवम् वाहन फिटनेस संस्थान

8.1 गठन :-

- 8.11 अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम द्वारा सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व कमी लाने एवं वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण व तकनीकी परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए निगम अपनी बस संचालन में सुधार लाकर जन सुविधायुक्त उच्च गुणवत्ता वाली वाहनों को संचालित कर लाभप्रदता में वृद्धि लाने की दृष्टि से पी.पी.पी. मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वचालित चालक प्रशिक्षण एवं वाहन फिटनेस संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक वाहन संचालन कोशल का प्रशिक्षण दिया जावेगा। यह संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित होगा।
- 8.12 निविदा प्रक्रिया अपनाने के पश्चात M/s. IL & FS Education & Technology Services Ltd. को उक्त संस्थान के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस बाबत संस्था से एमओयू पर हस्ताक्षर की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है।

8.2 प्रशिक्षण का क्षेत्रफल एवं लागत :-

- 8.21 निगम के केन्द्रीय कार्यशाला माखूपुरा, अजमेर में पी.पी.पी. मॉडल पर स्थापित स्वचालित चालक प्रशिक्षण एवं वाहन फिटनेस संस्थान का निर्माण 68506 वर्ग मीटर में होना है। जिसकी लागत लगभग 10.00 करोड़ रुपये आयेगी। प्रशिक्षण संस्थान का आरम्भ चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना है तथा संस्थान में प्रशिक्षुओं के लिये वाहन ट्रेक, कार्यालय, होस्टल, केन्टीन आदि सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी।

8.3 प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएँ:-

- 8.31 भारत सरकार द्वारा इस योजना में प्रयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिकतम मशीनों एवं तकनीकी का प्रयोग किया जावेगा। भारी/हल्के मोटर वाहनों की ड्राईविंग में प्रेरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना। प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना। निगम के सेवारत चालकों के लिए पुनश्चर्या (Refresher) और अभिविन्यास (Orientation) प्रशिक्षण, Vocational प्रशिक्षण आयोजित करना। निगम के अतिरिक्त खतरनाक/ जोखिम वाले माल को ढोने वाले चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना। सड़क दुर्घटनाओं के घटित होने के कारणों का अध्ययन करना। चालकों में अच्छी कोशल क्षमता को विकसित करना। वैज्ञानिक प्रक्रिया पर लाईसेंस परीक्षण सुनिश्चित करना। डीजल बचत हेतु विशेष प्रशिक्षण देना इत्यादि।



9 सूचना एवं प्रौद्योगिकी

राजस्थान परिवहन निगम द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को एक छत के नीचे लाने के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। उत्तरी भारत में कार्यरत परिवहन निगमों में राजस्थान परिवहन निगम अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लेने के कारण शीर्ष पर है। राजस्थान परिवहन निगम को अपनी विभिन्न गतिविधियों को कम्प्यूटराइज्ड करने के कारण राज्य सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। निगम को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रबन्धकीय निर्णय लेने में सहायता मिली है। वर्ष 2012-13 में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निम्न कार्य किये गये:-

9.1 ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली तथा ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली के साथ वर्तमान में प्रयुक्त हो रही ईटीआईएम का एकीकरण :-

9.11 निगम द्वारा अक्टूबर, 2011 में अपने 46 आगारों के अधीन लगभग 264 बुकिंग खिड़कियों पर वैब आधारित ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली लागू की गयी थी। वर्तमान में यह प्रणाली 51 आगारों में प्रयुक्त हो रही है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के माध्यम से बुकिंग खिड़कियों, कियोस्क, ई-मित्र काउन्टर, वेबसाइट से टिकिट जारी करने वाली एजेन्सीयों के माध्यम से यात्री कहीं से कहीं का भी टिकिट प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही जीपीआरएस युक्त ईटीआईएम के ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली से एकीकृत किया जा चुका है।

9.2 व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम एवं यात्री सूचना प्रणाली :-

9.21 यात्रियों को वाहन के आगमन एवं प्रस्थान की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 2012 में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम एवं यात्री सूचना प्रणाली को लागू किया गया। प्रारम्भिक तौर पर निगम द्वारा 39 आगारों की लम्बी दूरी पर संचालित 1,000 वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस लगायी गयी तथा यात्रियों को सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 प्रमुख बस स्टेण्डों पर 31 एल.सी.डी. टी.वी. लगाये गये हैं। निगम द्वारा इस योजना को विस्तार देते हुए 3500 वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस लगाये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। इस प्रणाली से आगार प्रबन्धन को वाहन की गति, अनाधिकृत ठहराव एवं चालकों के वाहन संचालन की आदतों की जानकारी प्राप्त होती रहती है जिसके आधार पर आगार प्रबंधन द्वारा दुर्घटना दर में कमी एवं केएमपीएल (डीजल) में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं।

9.3 आर.एस.आर.टी.सी. स्मार्ट कार्ड:-

9.31 राजस्थान परिवहन निगम द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से पुरस्कृत व्यक्ति एवं 38 श्रेणियों के निःशुल्क/रियायती दरों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आरएफआईडी युक्त आर.एस.आर.टी.सी. स्मार्ट कार्ड दिये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है। राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से पुरस्कृत व्यक्ति एवं 38 श्रेणियों के निःशुल्क/रियायती दरों पर यात्रा करने वाले यात्री राज्य के 72 स्थानों से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना दिनांक 01.09.2013 से पूर्ण रूप से लागू की जावेगी।

9.4 ई-टेण्डरिंग:-

9.41 निगम द्वारा 50 लाख रु. से अधिक वाली निविदाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ई-टेण्डरिंग मॉड्यूल को अपनाया गया है।

9.5 वित्तीय लेखों का कम्प्यूटराइजेशन:-

9.51 निगम द्वारा वर्ष 2012 में मुख्यालय एवं इसके अधीन समस्त आगारों/ईकाईयों के लेखों को टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइज़ किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से आगारों/ईकाईयों के आय एवं व्यय का लेखा केन्द्रीय स्तर पर रखा जा रहा है जो उच्च प्रशासन को आय एवं व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

SCHEDULE-K-1
Pay Scale Exists on 31st March, 2013
Running Pay Bands & Grade pays of the Posts

S. N.	Existing Pay Scale No.	Name of the Post	Existing pay scale	Pay Band	Running pay band	Grade pay No.	Grade pay
1	1	<u>General Administration Deptt.</u> Peon Gardner Sweeper Beldar Ferroman	2550-55-2660-60-3200	-IS	4750-7440	1	1300
2	2	<u>General Administration Deptt.</u> Jamadar <u>Engineering Deptt.</u> Machine Man	2610-60-3150-65-3540	-IS	4750-7440	2	1400
3	3	<u>Engineering Deptt.</u> Helper/Artisan Grade-III	2650-65-3300-70-4000	-IS	4750-7440	3	1650
4	4	<u>General Administration Deptt.</u> Security Guard	2750-70-3800-75-4400	PB 1	5200-20200	4	1800
5	5	<u>Engineering Deptt.</u> Artisan gr. III (for ITI/Non-ITI 10 yrs. Experienced) <u>Civil Cell</u> Civil Mistry Mason Carpenter Black Smith Wire Man Electrician Gr. II Fitter (Sanitary & Water Supply) Painter Multi purpose Artisan	2950-75-4075-80-4475	PB 1	5200-20200	5	1850
6	6	<u>General Administration Deptt.</u> LDC Telephone Operator Tracer Compounder Head security Guard <u>Traffic Deptt.</u> Booking Clerk Adda Conductor Conductor <u>Engineering Deptt.</u> Driver (Ordinary Scale) Artisan Gr.II	3050-75-3950-80-4590	PB 1	5200-20200	6	1900
7	7	<u>Engineering Deptt.</u> Tyre Inspector Mechanic cum Fitter Auto	3200-85-4900	PB 1	5200-20200	7	2000
8	8	<u>General Administration Deptt.</u> Surveyor Rotary Press Printer <u>Engineering Deptt.</u> Driver (Sr. Scale) Artisan Gr. I	3400-90-5200	PB 1	5200-20200	8	2100

9	9	<u>General Administration Deptt.</u> UDC Computer Draftman Telephone Monitor <u>Engineering Department</u> Store Sub Inspector <u>Traffic Department</u> Asstt. Traffic Inspector	4000-100-6000	PB 1	5200-20200	9	2400
10	10	<u>General Administration Deptt.</u> Stenographer Overseer Security Inspector Office Assistant Legal Assistant Asst. Statistician Labour Welfare Inspector Senior Drafts Man <u>Accounts Deptt.</u> Jr. Accountant <u>Engineering Department</u> Store Inspector Stock Verifier Junior Foreman Vehicle Inspector Driver (Selection Scale) Jr. Engineer Gr. "B" <u>Traffic Department</u> Traffic Inspector/ Asst. Depot Manager	5000-150-8000	PB 2	9300-34800	11	3200
11	11	<u>General Administration deptt.</u> Office Superintendent Personal Assistant <u>Accounts Department</u> Accountant <u>Engineering Department</u> Store Supdt.	5500-175-9000	PB 2	9300-34800	12	3600
12	12	<u>General Administration Deptt.</u> Administrative Officer Press Superintendent Labour Welfare Officer Head Legal Assistant Sr. Personal Asstt./ PRO Statistician <u>Traffic Deptt.</u> Depot Manager <u>Accounts deptt.</u> Assistant Accounts Officer <u>Engineering Deptt.</u> Sr. Forman Junior Engineer	6500-200-10500	PB 2	9300-34800	13	4200

13	13	<u>General Administration Deptt.</u> Asth. General Manager Assth. Divisional Manager Assth. Engineer Assth. Architect Security Officer Personal Officer <u>Accounts Deptt.</u> Accounts Officer <u>Engineering Deptt.</u> Assistant Mechanical Engineer Store Officer T.A. to General Manager Regional Training Officer	8000-275-13500	PB 3	15600-39100	15	5400
14	14	<u>General Administration Deptt.</u> Private Secretary <u>Traffic Deptt.</u> Divisional Manager	9000-300-14400	PB 3	15600-39100	16	6000
15	15	Secretary to Corporation Dy. General Manager Sr. Accounts Officer A.C.P. <u>Engineering Deptt.</u> Executive Engineer Divisional Mechanical Engineer Controller of Stores	10000-325-15200	PB 3	15600-39100	17	6600
16	16	Joint General Manager <u>Engineering Deptt.</u> Suptd. Engineer Works Manager	11300-350-16200	PB 3	15600-39100	19	7200
17	17	<u>General Administration/Traffic/Engineering Deptt.</u> E.D. (Engg.) General Manager	13500-400-17500	PB 3	15600-39100	21	8200
18	-	Executive Director (Administration) Executive Director (Traffic) Executive Director (Legal) Dy.General Manager (Finance/Payment) Dy. General Manager (Administration)	Deputed by State Government				
19	-	Chairman Managing Director Financial Advisor	Appointed by State Government				

अनुसूची-क-2

31 मार्च, 2013 को विद्यमान मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की दरें

(अ) मंहगाई भत्ता (नवीन वेतनमान 2008 में)

समस्त वेतनमानों के लिए

मूल वेतन का 72 प्रतिशत

(ब) मकान किराये की दरें (01 सितम्बर 2008 से प्रभावी)

शहर / कस्बों का वर्गीकरण

मकान किराये की दरें (प्रतिमाह)

वाई (जनसंख्या के आधार पर 5 से 50 लाख तक)

मूल वेतन का 20 प्रतिशत

जेड (जनसंख्या के आधार पर 5 लाख से नीचे)

मूल वेतन का 10 प्रतिशत

शहर/कस्बों का वर्गीकरण

वाई-श्रेणी	जेड-श्रेणी
(1) जयपुर	वाई श्रेणी के अलावा शेष शहर/ कस्बे एवं अन्य स्थान
(2) अजमेर	
(3) जोधपुर	
(4) बीकानेर	
(5) कोटा	

(स) क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ते की दरें (दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी)

क्र.सं.	मूल वेतन	जयपुर	अजमेर, बीकानेर जोधपुर एवं कोटा
1.	7000 रु. तक	130 /—	50 /—
2.	7000 रु. से अधिक एवम् 10000 रु. तक	190 /—	70 /—
3.	10000 रु. से अधिक एवम् 13000 रु. तक	300 /—	130 /—
4.	13000 रु. से अधिक	480 /—	240 /—

अनुसूची क-3

अनुबन्ध तथा भाड़े पर दी जाने वाली वाहनों की दरें प्रभावी दिनांक 01.10.2012

आकस्मिक अनुबन्ध की दरें

2012-2013

क्र. सं.	समय सीमा	निर्धारित अधिकतम कि.मी.	वाहन की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वसूली योग्य राशि (रु.में)			
			साधारण/द्रुतगामी	सेमीडीलक्स	डीलक्स	वातानुकूलित
1.	12 घन्टे तक	200	6,700 / -	7,100 / -	9,500 / -	14,000 / -
2.	12 घन्टे अधिक किन्तु 15 घन्टे तक	250	8,375 / -	8,875 / -	11,875 / -	17,500 / -
3.	15 घन्टे से अधिक किन्तु 18 घन्टे तक	300	10,050 / -	10,650 / -	14,250 / -	21,000 / -
4.	18 घन्टे से अधिक किन्तु 21 घन्टे तक	350	11,725 / -	12,425 / -	16,625 / -	24,500 / -
5.	21 घन्टे से अधिक किन्तु 24 घन्टे तक	400	13,400 / -	14,200 / -	19,000 / -	28,000 / -
6.	24 घन्टे के पश्चात् प्रत्येक 3 घन्टे के लिये	50	1,675 / -	1,775 / -	2,375 / -	3,500 / -
7.	निर्धारित कि.मी. से अधिक संचालन पर दर प्रति.कि.मी.		33.50 / -	35.50 / -	47.50 / -	70 / -

वील्डो वाहनों के लिए अनुबन्ध की दरें:-

क्र.सं.	समय सीमा	निर्धारित अधिकतम कि.मी.	न्यूनतम वसूली योग्य राशि (रुपयो में)
1.	12 घन्टे तक	400	40,000 / -
2.	12 घन्टे से अधिक किन्तु 24 घन्टे तक	800	80,000 / -
3.	निर्धारित कि.मी. से अधिक संचालन पर दर प्रति कि.मी.		100 / -

अनुबन्ध पर दी जाने वाली वाहनों के सम्बन्ध में शर्तें:-

- उक्त दरें राज्य एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों में समान रूप से प्रभावी होगी। अन्य राज्य एवं पंचम अध्याय मार्ग पर अनुबन्ध हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए व्यय होने वाली राशि यथा मार्गकर, विशेष पथ कर, यात्रीकर, परमिट फीस, टोलटैक्स व समस्त प्रकार के अन्य कर अनुबन्धकर्ता/पार्टी को वहन करने होंगे।
- पहाड़ी मार्गों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्त दरों की डेढ़ गुनी राशि वसूली योग्य होगी।
- समय सीमा एवं संचालित कि.मी.की गणना वाहन के कार्यशाला के प्रस्थान समय से कार्यशाला में वाहन वापस पहुँचने के समय व कि.मी. को आधार मानकर की जावेगी।
- वाहन की निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक यात्री होने पर अधिक यात्रियों का संचालित कि.मी. के अनुसार सम्बन्धित श्रेणी के लिए निर्धारित किराया दर से किराया पृथक से वसूली योग्य होगा।
- यात्री दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना 2000 के अन्तर्गत निर्धारित दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार, टोल टैक्स राशि एवम् मानव संसाधन अधिभार राशि पृथक से यात्रियों की संख्या एवं वाहन की बैठक क्षमता से जो भी अधिक हो के अनुसार वसूली योग्य होगी।
- छात्रों के लिए वाहन अनुबन्ध पर चाहने एवं निगम कर्मचारियों की स्वयं की शादी, पुत्र/पुत्री के विवाह तथा कर्मचारी पर आश्रित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, के मृत शरीर को उसके मूल निवास तक ले जाने हेतु वाहन अनुबन्ध की उल्लेखित दरों में 20 प्रतिशत की रियायत देय होगी, इसके लिए आगार प्रभारी सक्षम होंगे।
- न्यूनतम वसूली योग्य राशि में कोई रियायत/छूट देय नहीं होगी।
- 15 अगस्त/26 जनवरी राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं के लिये सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली बसों की दर 24 घण्टे के लिए निर्धारित दर की 1/2 अथवा 12 घण्टे के लिए निर्धारित दर जो भी अधिक हो, होगी।

परिशिष्ट-1
कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च)

क्र.सं. इकाई		कुल कर्मचारियों की संख्या			श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या			
		2011	2012	2013	प्रशासन	यातायात	यांत्रिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आबूरोड़	236	238	221	14	183	24	221
2.	अजयमेरु	384	389	389	37	280	72	389
3.	अजमेर	465	469	492	43	367	82	492
4.	अलवर	478	520	480	48	352	80	480
5.	अनूपगढ़	237	259	224	14	171	39	224
6.	बांसवाड़ा	332	331	307	26	235	46	307
7.	बारां	219	266	238	22	171	45	238
8.	बाड़मेर	287	322	272	20	225	27	272
9.	ब्यावर	397	386	347	35	250	62	347
10.	भरतपुर	371	380	364	38	274	52	364
11.	भीलवाड़ा	427	455	423	33	332	58	423
12.	बीकानेर	526	560	517	44	397	76	517
13.	बून्दी	305	321	296	26	219	51	296
14.	चित्तौड़गढ़	438	467	396	32	309	55	396
15.	चूरु	232	280	250	20	199	31	250
16.	दौसा	391	395	340	35	262	43	340
17.	डीलक्स	439	495	493	41	390	62	493
18.	धौलपुर	323	333	359	31	293	35	359
19.	डीडवाना	223	255	210	17	164	29	210
20.	डूंगरपुर	359	371	346	26	262	58	346
21.	फालना	150	165	147	7	122	18	147
22.	गंगानगर	449	462	428	27	330	71	428
23.	हनुमानगढ़	442	471	421	23	335	63	421
24.	हिण्डौन	356	374	325	31	234	60	325
25.	जयपुर	708	751	712	46	593	73	712
26.	जालौर	233	290	293	12	253	28	293
27.	झालावाड़	377	404	303	30	217	56	303
28.	झुन्झुनू	376	395	412	35	328	49	412
29.	जोधपुर	483	488	462	29	372	61	462
30.	खेतड़ी	220	289	239	23	181	35	239
31.	कोटा	483	493	455	40	343	72	455
32.	कोटपूतली	347	429	355	33	264	58	355
33.	लोहागढ़	365	349	349	37	256	56	349

परिशिष्ट-1
कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च)

क्र.सं. इकाई		कुल कर्मचारियों की संख्या			श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या			
		2011	2012	2013	प्रशासन	यातायात	यांत्रिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	मत्स्यनगर	407	404	369	41	261	67	369
35.	नागौर	353	363	324	18	255	51	324
36.	पाली	221	225	218	25	166	27	218
37.	फलौदी	200	200	194	19	155	20	194
38.	सांगानेर	1021	864	821	39	738	44	821
39.	सरदारशहर	297	306	311	23	245	43	311
40.	सीकर	563	587	575	39	471	65	575
41.	सिरोही	199	201	193	12	156	25	193
42.	श्रीमाधोपुर	273	319	324	21	264	39	324
43.	तिजारा	211	228	247	27	190	30	247
44.	टोंक	375	401	345	25	278	42	345
45.	उदयपुर	571	602	522	38	403	81	522
46.	वैशालीनगर	690	693	676	49	547	80	676
47.	विद्याधरनगर	918	815	744	38	615	91	744
48.	जैसलमेर	36	42	83	5	74	4	83
49.	करौली	—	—	48	4	38	6	48
50.	प्रतापगढ़	—	—	33	2	31	0	33
51.	राजसमन्द	—	—	24	3	21	0	24
52.	सवाईमाधोपुर	—	—	65	7	45	13	65
1.	मुख्यालय, जयपुर	743	677	625	515	37	73	625
2.	के.कार्यशाला, अजमेर	405	382	354	38	8	308	354
3.	के.कार्यशाला, जयपुर	160	152	138	17	2	119	138
4.	के.कार्यशाला, जोधपुर	211	193	174	18	7	149	174
5.	दिल्ली आगार	91	92	97	19	72	6	97
6.	सी.बी.एस. जयपुर	285	269	261	47	199	15	261
7.	सी.बी.एस. अजमेर	91	87	90	16	69	5	90
8.	सी.बी.एस. अहमदाबाद	17	15	20	5	14	1	20
9.	टायर प्लांट, जयपुर	90	84	82	15	2	65	82
योग		20486	21053	19822	2100	14526	3196	19822

परिशिष्ट-2
प्रति अनुसूचित वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का अनुपात (31 मार्च)

क्र.सं. इकाई		अनुसूचित वाहन			कर्मचारी प्रति अनुसूचित वाहन		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आबूरोड़	65	66	59	3.63	3.61	3.75
2.	अजयमेरु	101	105	102	3.80	3.70	3.81
3.	अजमेर	115	84	86	4.04	5.58	5.72
4.	अलवर	120	121	122	3.98	4.30	3.93
5.	अनूपगढ़	64	64	69	3.70	4.05	3.25
6.	बांसवाड़ा	69	71	77	4.81	4.66	3.99
7.	बारां	54	65	72	4.06	4.09	3.31
8.	बाड़मेर	83*	85*	70	3.89*	4.28	3.89
9.	ब्यावर	96	101	94	4.14	3.82	3.69
10.	भरतपुर	79	84	81	4.70	4.52	4.49
11.	भीलवाड़ा	88	101	107	4.85	4.50	3.95
12.	बीकानेर	133	134	133	3.95	4.18	3.89
13.	बून्दी	70	68	74	4.36	4.72	4.00
14.	चित्तौड़गढ़	101	100	100	4.34	4.67	3.96
15.	चूरु	76	77	81	3.05	3.64	3.09
16.	दौसा	83	86	74	4.71	4.59	4.59
17.	डीलक्स	70	100	102	6.27	4.95	4.83
18.	धौलपुर	74	79	81	4.36	4.22	4.43
19.	डीडवाना	58	62	61	3.84	4.11	3.44
20.	डूंगरपुर	83	86	92	4.33	4.31	3.76
21.	फालना	41	41	47	3.66	4.02	3.13
22.	गंगानगर	124	127	128	3.62	3.64	3.34
23.	हनुमानगढ़	119	121	129	3.71	3.89	3.26
24.	हिण्डौन	88	90	75	4.05	4.16	4.33
25.	जयपुर	128	125	139	5.53	6.01	5.12
26.	जालौर	77	75	80	3.03	3.87	3.66
27.	झालावाड़	97	93	89	3.89	4.34	3.40
28.	झुन्झुनू	92	96	93	4.09	4.11	4.43
29.	जोधपुर	117	120	119	4.13	4.07	3.88
30.	खेतड़ी	63	65	68	3.49	4.45	3.51
31.	कोटा	111	107	113	4.35	4.61	4.03
32.	कोटपूतली	98	93	91	3.54	4.61	3.90
33.	लोहागढ़	83	86	88	4.40	4.06	3.97
34.	मत्स्यनगर	86	91	88	4.73	4.44	4.19

परिशिष्ट-2
प्रति अनुसूचित वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का अनुपात (31 मार्च)

क्र.सं. इकाई		अनुसूचित वाहन			कर्मचारी प्रति अनुसूचित वाहन		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	नागौर	84	87	83	4.20	4.17	3.90
36.	पाली	52	56	56	4.25	4.02	3.89
37.	फलौदी	54	59	57	3.70	3.39	3.40
38.	सांगानेर	—	—	—	—	—	—
39.	सरदारशहर	75	77	76	3.96	3.97	4.09
40.	सीकर	130	139	148	4.33	4.22	3.89
41.	सिरोही	52	57	63	3.83	3.53	3.06
42.	श्रीमाधोपुर	71	81	76	3.85	3.94	4.26
43.	तिजारा	60	65	65	3.52	3.51	3.80
44.	टोंक	78	93	88	4.81	4.31	3.92
45.	उदयपुर	126	132	128	4.53	4.56	4.08
46.	वैशालीनगर	114	135	129	6.05	5.13	5.25
47.	विद्याधरनगर	139	95	60	6.60	5.84	5.31
48.	जैसलमेर	—	—	20	—	—	4.15
49.	करौली	—	—	15	—	—	3.20
50.	प्रतापगढ़	—	—	13	—	—	2.54
51.	राजसमन्द	—	—	14	—	—	1.71
52.	सवाईमाधोपुर	—	—	33	—	—	1.97
1.	मुख्यालय, जयपुर	4041	4145	4208	0.18	0.16	0.15
2.	के.कार्यशाला, अजमेर	4041	4145	4208	0.10	0.09	0.08
3.	के.कार्यशाला, जयपुर	4041	4145	4208	0.04	0.04	0.03
4.	के.कार्यशाला, जोधपुर	4041	4145	4208	0.05	0.05	0.04
5.	दिल्ली आगार	4041	4145	4208	0.02	0.02	0.02
6.	सी.बी.एस. जयपुर	4041	4145	4208	0.07	0.06	0.06
7.	सी.बी.एस. अजमेर	4041	4145	4208	0.02	0.02	0.02
8.	सी.बी.एस. अहमदाबाद	4041	4145	4208	0.00	0.00	0.00
9.	टायर प्लांट, जयपुर	4041	4145	4208	0.02	0.02	0.02
योग		4041	4145	4208	4.82	4.81	4.44

* जैसलमेर सहित।

* सांगानेर तथा विद्याधर नगर आगार के जे.सी.टी.एस.एल के स्टाफ को विलग करते हुये कर्मचारी प्रति अनुसूचित वाहन निकाले गये हैं।

परिशिष्ट-3
औसत वाहन स्थिति

क्र. आगार सं.	कुल वाहनें		संचालित वाहनें		ऑफ रोड निगम वाहनें	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	68	61	64	54	5	7
2. अजयमेरू	107	108	103	104	4	3
3. अजमेर	98	91	96	87	2	3
4. अलवर	124	124	121	119	3	5
5. अनूपगढ़	70 (1)	63 (9)	67 (1)	59 (9)	3	3
6. बांसवाड़ा	76	75	74	74	2	1
7. बारां	63	70	61	67	2	3
8. बाड़मेर	71 (6)	67 (16)	69 (6)	65 (16)	2	3
9. ब्यावर	105	95 (7)	100	91 (7)	5	4
10. भरतपुर	82	84 (2)	79	80 (2)	3	3
11. भीलवाड़ा	97 (1)	95 (14)	95 (1)	91 (13)	2	3
12. बीकानेर	133 (6)	113 (27)	129 (6)	106 (26)	2	5
13. बून्दी	69	72	66	69	4	4
14. चित्तौड़गढ़	107	109	105	105	1	4
15. चूरू	79 (2)	71 (12)	75 (2)	66 (11)	4	4
16. दौसा	87	81	84	77	3	3
17. डीलक्स	78 (23)	82 (27)	67 (18)	70 (21)	11	12
18. धौलपुर	78	83	73	75	5	7
19. डीडवाना	65	60 (5)	63	57 (5)	2	3
20. डूंगरपुर	89	88 (1)	85	83 (1)	4	4
21. फालना	43	44	41	42	2	1
22. गंगानगर	134 (1)	115 (19)	131 (1)	113 (18)	4	2
23. हनुमानगढ़	125 (1)	115 (18)	123 (1)	113 (17)	2	2
24. हिण्डौन	92	90	86	83	5	6
25. जयपुर	139	136	134	129	4	7
26. जालौर	76 (3)	75 (3)	69 (3)	68 (3)	6	7
27. झालावाड़	98	94	89	88	9	6
28. झुन्झुनू	99 (1)	98 (2)	95	93 (2)	5	5
29. जोधपुर	116 (9)	115 (6)	111 (9)	110 (6)	4	5
30. खेतड़ी	67	70	64	68	3	3
31. कोटा	111	108 (3)	105	101 (3)	4	6
32. कोटपूतली	95	95	92	91	3	3
33. लोहागढ़	84	89	81	84	3	5
34. मत्स्यनगर	93	93	89	89	3	4
35. नागौर	76 (12)	71 (15)	75 (12)	70 (15)	1	1
36. पाली	57	55 (2)	54	50 (2)	3	4
37. सांगानेर	—	—	—	—	—	—
38. फलौदी	59 (1)	54 (3)	57 (1)	51 (3)	1	3
39. सरदारशहर	80	71 (6)	76	67 (6)	3	3
40. सीकर	141 (2)	141 (8)	140 (1)	139 (8)	1	2
41. सिरोही	57	58 (2)	55	56 (2)	1	2
42. श्रीमाधोपुर	83	81	80	75	3	5
43. तिजारा	64	66	59	61	5	6
44. टोंक	91	94 (1)	84	86 (1)	6	7
45. उदयपुर	138	145 (1)	134	136 (1)	4	8
46. वैशालीनगर	142	139	133	131	8	7
47. विद्याधरनगर	99	73	91	69	9	4
48. जैसलमेर	10	6	10	5	—	—
49. करौली	—	3	—	2	—	—
50. प्रतापगढ़	—	2	—	2	—	—
51. राजसमन्द	—	2	—	2	—	—
52. सवाईमाधोपुर	—	5	—	4	—	1
केन्द्रीय कार्यशालाएँ	99	176	—	—	99	176
योग	4314 (69)	4271 (209)	4034 (62)	3877 (198)	270	375

* कोष्ठक में अंकित संख्या अनुबन्धित वाहनों की है।

परिशिष्ट-4

बेडा एवं वाहन उपयोगिता

क्र.सं. आगाार	बेडा उपयोगिता (प्रतिशत)		वाहन उपयोगिता (आयिक कि.मी.)		प्रतिवाहन प्रतिदिन आय (रुपयों में)	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	93	89	416	392	8609	8854
2. अजयमेरु	96	96	370	353	8156	8420
3. अजमेर	98	96	402	398	8710	9477
4. अलवर	97	96	350	348	7915	8279
5. अनूपगढ़	95	94	427	429	8756	9829
6. बांसवाड़ा	98	98	425	423	9609	9884
7. बारां	97	95	367	370	7693	7998
8. बाड़मेर	97	96	457	451	8402	9324
9. ब्यावर	95	96	379	376	7858	8216
10. भरतपुर	96	96	399	394	8787	9196
11. भीलवाड़ा	98	96	419	403	8981	9076
12. बीकानेर	97	94	462	446	8608	8808
13. बून्दी	95	94	367	358	8179	8215
14. चित्तौड़गढ़	99	97	400	387	8164	8014
15. चूरु	95	94	407	393	8532	8928
16. दीसा	96	95	348	344	7401	7510
17. डीलक्स	85	85	607	614	27297	27310
18. धौलपुर	93	91	413	404	9705	9826
19. डीडवाना	98	95	397	370	7710	7933
20. डूंगरपुर	96	94	409	397	8878	9024
21. फालना	96	97	395	388	8417	9116
22. गंगानगर	97	98	400	398	8462	9111
23. हनुमानगढ़	99	98	385	378	8741	9222
24. हिण्डौन	94	93	345	339	8150	8250
25. जयपुर	97	95	542	544	12130	13560
26. जालौर	92	91	444	411	8887	8946
27. झालावाड़	90	93	353	349	7680	7631
28. झुन्झुनू	95	94	412	413	8692	9371
29. जोधपुर	96	96	450	428	8867	9735
30. खेतड़ी	96	96	391	380	8292	8339
31. कोटा	95	94	383	381	8543	8785
32. कोटपूतली	97	96	405	361	8476	8091
33. लोहागढ़	96	94	403	387	9392	9362
34. मत्स्यनगर	96	95	384	381	8719	9421
35. नागौर	98	98	451	438	8412	8513
36. पाली	95	92	401	398	8013	9212
37. सांगानेर	—	—	—	—	—	—
38. फलौदी	98	95	435	429	8000	8608
39. सरदारशहर	95	94	437	421	8351	8556
40. सीकर	99	99	417	404	8801	8940
41. सिरौही	98	97	383	378	8026	8618
42. श्रीमाधोपुर	96	93	393	386	8077	8011
43. तिजारा	92	91	364	368	8841	9471
44. टोंक	93	92	377	366	8454	8450
45. उदयपुर	97	94	392	399	8683	9119
46. वैशालीनगर	94	95	329	333	7122	8001
47. विद्याधरनगर	91	94	267	259	5676	5457
48. जैसलमेर	96	92	506	483	8982	9510
49. करौली	—	97	—	291	—	7948
50. प्रतापगढ़	—	94	—	408	—	7302
51. राजसमन्द	—	90	—	378	—	7570
52. सवाईमाधोपुर	—	81	—	314	—	6252
योग	94	91	405	397	8889	9288
समायोजन	-	-	-	-	(+) 15	(+) 08
योग	94	91	405	397	8904	9296

परिशिष्ट-5

निगम वाहनों की संख्या (31 मार्च)

क्र.सं. आगार	वाहनों की कुल संख्या			बनावट के अनुसार वाहनों की संख्या					
	10-11	11-12	12-13	लीलेण्ड	टाटा	वोल्वो	मर्सडीज	आईसर	योग
1. आबूरोड़	67	64	61	16	45	0	0	0	61
2. अजयमेरु	105	106	108	108	0	0	0	0	108
3. अजमेर	126	91	86	86	0	0	0	0	86
4. अलवर	127	122	123	123	0	0	0	0	123
5. अनूपगढ़	66	65	67	67	0	0	0	0	67
6. बांसवाड़ा	74	75	78	21	57	0	0	0	78
7. बारां	57	68	78	76	2	0	0	0	78
8. बाड़मेर	71	63	59	15	44	0	0	0	59
9. ब्यावर	100	99	99	61	38	0	0	0	99
10. भरतपुर	83	89	84	84	0	0	0	0	84
11. भीलवाड़ा	94	104	94	82	12	0	0	0	94
12. बीकानेर	138	112	108	108	0	0	0	0	108
13. बून्दी	72	69	70	70	0	0	0	0	70
14. चित्तौड़गढ़	106	112	101	43	58	0	0	0	101
15. चूरु	81	73	67	19	48	0	0	0	67
16. दोसा	80	82	77	77	0	0	0	0	77
17. डीलक्स	75	80	88	63	0	15	10	0	88
18. धौलपुर	77	81	83	83	0	0	0	0	83
19. डीडवाना	65	63	62	62	0	0	0	0	62
20. डुंगरपुर	86	86	89	20	69	0	0	0	89
21. फालना	43	44	43	8	35	0	0	0	43
22. गंगानगर	131	126	115	115	0	0	0	0	115
23. हनुमानगढ़	125	120	119	119	0	0	0	0	119
24. हिण्डौन	91	92	84	84	0	0	0	0	84
25. जयपुर	136	132	138	127	0	0	0	11	138
26. जालौर	74	73	77	23	54	0	0	0	77
27. झालावाड़	100	88	89	89	0	0	0	0	89
28. झुन्झुनू	94	102	94	33	61	0	0	0	94
29. जोधपुर	111	114	110	32	78	0	0	0	110
30. खेतड़ी	68	71	71	29	42	0	0	0	71
31. कोटा	118	108	108	108	0	0	0	0	108
32. कोटपूतली	94	93	93	93	0	0	0	0	93
33. लोहागढ़	89	88	91	91	0	0	0	0	91
34. मत्स्यनगर	98	90	90	90	0	0	0	0	90
35. नागौर	75	70	69	48	21	0	0	0	69
36. पाली	55	57	54	15	39	0	0	0	54
37. सांगानेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. फलौदी	54	58	54	10	44	0	0	0	54
39. सरदारशहर	83	75	72	72	0	0	0	0	72
40. सीकर	131	146	143	56	87	0	0	0	143
41. सिरोही	57	57	63	10	53	0	0	0	63
42. श्रीमाधोपुर	77	82	79	48	31	0	0	0	79
43. तिजारा	59	69	66	66	0	0	0	0	66
44. टोंक	88	91	88	88	0	0	0	0	88
45. उदयपुर	137	148	135	42	93	0	0	0	135
46. वैशालीनगर	140	135	140	140	0	0	0	0	140
47. विद्याधरनगर	112	91	71	71	0	0	0	0	71
48. जैसलमेर	10	10	27	3	24	0	0	0	27
49. करौली	—	—	10	10	0	0	0	0	10
50. प्रतापगढ़	—	—	8	8	0	0	0	0	8
51. राजसमन्द	—	—	8	8	0	0	0	0	8
52. सवाईमाधोपुर	—	—	21	21	0	0	0	0	21
केन्द्रीय कार्यशालाएँ	130	269	201	59	142	0	0	0	201
योग	4330	4403	4313	3100	1177	15	10	11	4313

परिशिष्ट-6
अनुसूचित एवं निरस्त परिचक्रों का विवरण

क्र.सं. आगार	अनुसूचित परिचक्र			निरस्त परिचक्र			निरस्त परिचक्रों का (%)		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	10-11	11-12	12-13
1. आबूरोड़	58281	59880	56597	6360	11532	14487	11	19	26
2. अजयमेरु	121422	116689	115034	6637	9690	10800	5	8	9
3. अजमेर	172277	116634	98779	12054	7133	12978	7	6	13
4. अलवर	124336	126112	128860	7361	11504	15634	6	9	12
5. अनूपगढ़	50938	51403	51714	6429	3699	3730	13	7	7
6. बांसवाड़ा	60806	60701	63742	2055	1971	3548	3	3	6
7. बारां	51817	63737	72499	6907	5937	7062	13	9	10
8. बाड़मेर	70809	67218	68270	3040	2529	2223	4	4	3
9. ब्यावर	115999	118880	115403	7836	13101	10644	7	11	9
10. भरतपुर	77224	77177	79797	15043	15414	8254	19	20	10
11. भीलवाड़ा	80181	85838	91208	3803	6348	11123	5	7	12
12. बीकानेर	84968	87337	93823	5797	5483	9910	7	6	11
13. बुन्दी	81506	78671	83458	6410	12257	13825	8	16	17
14. चित्तौड़गढ़	96647	95824	99500	4580	4842	5333	5	5	5
15. चूरु	77313	81031	88101	8237	6115	10343	11	8	12
16. दौसा	106160	113561	105907	18135	16821	15600	17	15	15
17. डीलक्स	53469	55795	60498	3972	2085	3715	7	4	6
18. धौलपुर	78350	86618	89767	18120	22869	20592	23	26	23
19. डीडवाना	54919	58734	57342	4708	3819	5668	9	7	10
20. डूंगरपुर	91131	91142	88079	4000	9486	9474	4	10	11
21. फालना	26646	28362	30670	2681	3797	4948	10	13	16
22. गंगानगर	151156	159940	158460	5230	11686	10785	3	7	7
23. हनुमानगढ़	120780	126313	132895	3997	6270	6016	3	5	5
24. हिण्डौन	112754	116228	117618	20757	20665	20524	18	18	17
25. जयपुर	82235	97526	89012	3371	3136	5699	4	3	6
26. जालौर	62439	63089	54249	12447	17766	15555	20	28	29
27. झालावाड़	104614	97176	90969	7625	17365	12089	7	18	13
28. झुन्झुनू	123732	130377	127253	6584	9646	10501	5	7	8
29. जोधपुर	90132	88636	80609	4259	5000	4255	5	6	5
30. खेतड़ी	56575	58092	64183	7765	8212	9425	14	14	15
31. कोटा	88498	89417	91365	5729	15030	17860	6	17	20
32. कोटपूतली	139371	147286	148101	22330	18685	22700	16	13	15
33. लोहागढ़	83307	84157	82522	9021	16265	12368	11	19	15
34. मत्स्यनगर	106885	112132	110407	10522	15659	15565	10	14	14
35. नागौर	60768	58335	58314	2074	2364	3025	3	4	5
36. पाली	42015	45321	47203	2578	5309	8223	6	12	17
37. फलोदी	43059	47352	42867	6799	8029	8939	16	17	21
38. सांगानेर	112271	—	—	23030	—	—	21	—	—
39. सरदारशहर	64821	66068	65691	3141	3944	8225	5	6	13
40. सीकर	158140	165831	172342	10303	9891	13057	7	6	8
41. सिरौही	50745	50405	55038	4262	6380	12447	8	13	23
42. श्रीमाधोपुर	99227	97398	88812	24334	19011	15695	25	20	18
43. तिजारा	106028	100129	86277	28452	31098	15540	27	31	18
44. टोंक	87743	91666	95099	8202	15695	18616	9	17	20
45. उदयपुर	83587	87478	86660	2373	7266	7894	3	8	9
46. वैशालीनगर	163651	189534	156122	29942	49355	24469	18	26	16
47. विद्याधरनगर	377081	266844	206066	54216	33449	20662	14	13	10
48. जैसलमेर	7974	6830	3132	648	665	136	8	10	4
49. करौली	—	—	4500	—	—	576	—	—	13
50. प्रतापगढ़	—	—	1730	—	—	341	—	—	20
51. राजसमन्द	—	—	2970	—	—	1341	—	—	45
52. सवाईमाधोपुर	—	—	7920	—	—	5166	—	—	65
योग	4527853	4364904	4267434	476835	534273	527585	11	12	12

परिशिष्ट-7
संचालित एवं अतिरिक्त परिचरों का विवरण

क्र.सं. आगार	संचालित कुल परिचर			अतिरिक्त परिचर		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	52734	49535	43237	813	1187	1127
2. अजयमेरु	115902	108113	105097	1117	1114	863
3. अजमेर	164265	114048	88332	4042	4547	2531
4. अलवर	118070	115524	114352	1095	916	1126
5. अनूपगढ़	45049	48323	48529	540	619	545
6. बांसवाड़ा	59950	59761	60915	1199	1031	721
7. बारां	45245	59153	66162	335	1353	725
8. बाड़मेर	68041	65678	66362	272	989	315
9. ब्यावर	109016	106524	105427	853	745	668
10. भरतपुर	65065	63488	72662	2884	1725	1119
11. भीलवाड़ा	80213	83062	82415	3835	3572	2330
12. बीकानेर	79944	82961	84203	773	1107	290
13. बून्दी	75926	67261	71056	830	847	1423
14. चित्तौड़गढ़	93390	93082	95460	1323	2100	1293
15. चूरु	70584	75359	78295	1508	443	537
16. दौसा	92391	102220	94608	4366	5480	4301
17. डीलक्स	52872	55187	58243	3375	1477	1460
18. धौलपुर	63583	68671	71124	3353	4922	1949
19. डीडवाना	51318	55568	52462	1107	653	788
20. डूंगरपुर	87774	82846	79015	643	1190	410
21. फालना	24309	25566	26230	344	1001	508
22. गंगानगर	148695	149246	148036	2769	992	361
23. हनुमानगढ़	118955	123957	128397	2172	3914	1518
24. हिण्डौन	95033	99461	98951	3036	3898	1857
25. जयपुर	83018	96393	85945	4154	2003	2632
26. जालौर	50503	46287	39093	511	964	399
27. झालावाड़	97287	80644	79250	298	833	370
28. झुन्झुनू	117450	122046	117594	302	1315	842
29. जोधपुर	87208	85079	77736	1335	1443	1382
30. खेतड़ी	48951	50538	55211	141	658	453
31. कोटा	82951	74799	73938	182	412	433
32. कोटपूतली	120039	132230	127577	2998	3629	2176
33. लोहागढ़	75849	70152	72064	1563	2260	1910
34. मत्स्यनगर	99333	98009	96509	2970	1536	1667
35. नागौर	59542	56682	55956	848	711	667
36. पाली	39897	41866	39823	460	1854	843
37. फलौदी	36982	41600	34813	722	2277	885
38. सांगानेर	90173	—	—	932	—	—
39. सरदारशहर	62653	62720	57780	973	596	314
40. सीकर	150190	158031	161074	2353	2091	1789
41. सिरोही	47898	45645	44376	1415	1620	1785
42. श्रीमाधोपुर	76128	79226	73676	1235	839	559
43. तिजारा	77965	69537	71365	389	506	628
44. टोंक	81662	78100	79209	2121	2129	2726
45. उदयपुर	88817	89106	87639	7603	8894	8873
46. वैशालीनगर	140516	147184	139060	6807	7005	7407
47. विद्याधरनगर	325894	235418	186252	3029	2023	848
48. जैसलमेर	7326	6497	3000	0	332	4
49. करौली	—	—	3931	—	—	7
50. प्रतापगढ़	—	—	1409	—	—	20
51. राजसमन्द	—	—	1777	—	—	148
52. सवाईमाधोपुर	—	—	2913	—	—	159
योग	4137050	3922383	3808540	86032	91752	68691

परिशिष्ट-8

मार्ग एवं मार्ग दूरी (31 मार्च)

क्र.सं. आगार	मार्गों की संख्या		मार्ग दूरी		मार्गों की औसत दूरी	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	47	43	12122	8268	258	192
2. अजयमेरु	82	77	15280	12150	186	158
3. अजमेर	78	71	11772	9877	151	139
4. अलवर	78	73	12070	11214	155	154
5. अनूपगढ़	51	49	14373	14313	282	292
6. बांसवाड़ा	50	42	11548	9169	231	218
7. बारां	34	39	7047	7507	207	192
8. बाड़मेर	38	30	9311	8059	245	269
9. ब्यावर	66	55	14075	10643	213	194
10. भरतपुर	79	60	16181	10199	205	170
11. भीलवाड़ा	60	52	11870	10414	198	200
12. बीकानेर	39	50	13978	16064	358	321
13. बून्दी	43	42	8876	7924	206	189
14. चित्तौड़गढ़	73	63	14843	12299	203	195
15. चूरु	33	31	9384	6317	284	204
16. दौसा	85	65	10814	7205	127	111
17. डीलक्स	64	40	30810	17326	481	433
18. धौलपुर	66	54	13701	9308	208	172
19. डीडवाना	64	40	11904	7988	186	200
20. डूंगरपुर	46	52	8842	11306	192	217
21. फालना	42	41	11294	10310	269	251
22. गंगानगर	60	55	13148	11382	219	207
23. हनुमानगढ़	66	61	12853	11019	195	181
24. हिण्डौन	80	72	13476	11244	168	156
25. जयपुर	67	35	20738	14789	310	423
26. जालौर	64	37	18348	13315	287	360
27. झालावाड़	93	63	16388	10376	176	165
28. झुन्झुनू	35	49	7216	9080	206	185
29. जोधपुर	53	49	14000	13204	264	269
30. खेतड़ी	39	47	8390	7968	215	170
31. कोटा	58	63	13393	13220	231	210
32. कोटपूतली	46	48	5296	4542	115	95
33. लोहागढ़	61	62	11250	10596	184	171
34. मत्स्यनगर	40	32	6678	4914	167	154
35. नागौर	42	32	13136	9206	313	288
36. पाली	31	31	7536	6847	243	221
37. फलौदी	32	18	8852	7075	277	393
38. सांगानेर	—	—	—	—	—	—
39. सरदारशहर	47	43	10443	9119	222	212
40. सीकर	91	81	17420	14339	191	177
41. सिरोही	37	35	7558	7916	204	226
42. श्रीमाधोपुर	49	47	11399	8825	233	188
43. तिजारा	29	31	5355	5963	185	192
44. टोंक	45	39	9057	7953	201	204
45. उदयपुर	91	83	23039	20243	253	244
46. वैशालीनगर	122	105	14286	13458	117	128
47. विद्याधरनगर	72	85	3506	3490	49	41
48. जैसलमेर	4	10	1300	3858	325	386
49. करौली	—	8	—	951	—	119
50. प्रतापगढ़	—	13	—	3137	—	241
51. राजसमन्द	—	10	—	1466	—	147
52. सवाईमाधोपुर	—	8	—	1667	—	208
योग	2672	2421	564156	479022	211	198

परिशिष्ट-9
किलोमीटर का विवरण (लाखों में)

क्र. सं.	आगार	2011-12				2012-13			
		सकल	आयिक	अनायिक	अना. (%)	सकल	आयिक	अनायिक	अना. (%)
1.	आबूरोड़	98.53	96.69	1.84	1.90	79.72	77.89	1.83	2.35
2.	अजयमेरु	140.24	138.93	1.31	0.94	137.14	134.24	2.90	2.16
3.	अजमेर	145.50	140.92	4.58	3.25	130.56	126.49	4.07	3.22
4.	अलवर	158.31	154.52	3.79	2.45	156.83	151.32	5.51	3.64
5.	अनूपगढ़	107.46	105.54	1.92	1.82	108.12	106.49	1.63	1.53
6.	बांसवाड़ा	117.95	115.51	2.44	2.11	116.29	113.45	2.84	2.50
7.	बारां	83.91	81.70	2.21	2.71	93.39	90.05	3.34	3.71
8.	बाड़मेर	131.56	126.19	5.37	4.16	135.22	132.15	3.07	2.32
9.	ब्यावर	141.87	139.45	2.42	1.74	136.84	134.87	1.97	1.46
10.	भरतपुर	118.80	114.88	3.92	3.41	122.37	117.69	4.68	3.98
11.	भीलवाड़ा	150.59	147.00	3.59	2.44	156.20	153.13	3.07	2.00
12.	बीकानेर	229.28	227.59	1.69	0.74	217.46	215.63	1.83	0.85
13.	बून्दी	90.49	88.32	2.17	2.46	90.88	89.30	1.58	1.77
14.	चित्तौड़गढ़	156.98	153.91	3.07	1.99	151.91	148.18	3.73	2.52
15.	चूरु	116.10	113.61	2.49	2.19	114.14	111.35	2.79	2.51
16.	दौसा	117.20	107.27	9.93	9.25	106.31	97.21	9.10	9.36
17.	डीलक्स	191.49	188.43	3.06	1.62	206.83	203.30	3.53	1.74
18.	धौलपुर	113.35	109.76	3.59	3.27	115.51	111.18	4.33	3.89
19.	डीडवाना	94.57	92.11	2.46	2.67	85.96	83.54	2.42	2.90
20.	डूंगरपुर	128.57	126.74	1.83	1.41	122.72	120.82	1.90	1.57
21.	फालना	61.74	59.77	1.97	3.30	61.94	59.80	2.14	3.58
22.	गंगानगर	196.70	192.34	4.36	2.27	195.14	190.41	4.73	2.48
23.	हनुमानगढ़	179.75	175.55	4.20	2.39	182.61	179.08	3.53	1.97
24.	हिण्डोन	111.48	108.78	2.70	2.48	106.44	102.91	3.53	3.43
25.	जयपुर	272.21	266.38	5.83	2.19	264.06	256.26	7.80	3.04
26.	जालौर	119.77	116.92	2.85	2.38	109.91	107.31	2.60	2.42
27.	झालावाड़	117.92	114.63	3.29	2.87	113.55	111.34	2.21	1.98
28.	झुन्झुनू	145.56	143.31	2.25	1.57	144.72	142.35	2.37	1.66
29.	जोधपुर	202.92	198.18	4.74	2.39	190.20	181.58	8.62	4.75
30.	खेतड़ी	92.60	91.88	0.72	0.78	94.93	94.00	0.93	0.99
31.	कोटा	151.27	147.48	3.79	2.57	148.90	145.23	3.67	2.53
32.	कोटपूतली	140.61	136.75	3.86	2.82	124.97	120.29	4.68	3.89
33.	लोहागढ़	122.08	119.36	2.72	2.28	120.04	117.87	2.17	1.84
34.	मत्स्यनगर	130.96	125.52	5.44	4.33	128.59	123.17	5.42	4.40
35.	नागौर	143.07	142.37	0.70	0.49	136.27	135.17	1.10	0.81
36.	पाली	81.69	79.80	1.89	2.37	78.97	76.88	2.09	2.72
37.	फलोदी	94.86	93.02	1.84	1.98	87.48	85.02	2.46	2.89
38.	सांगानेर	—	—	—	—	—	—	—	—
39.	सरदारशहर	124.23	122.23	2.00	1.64	113.58	111.60	1.98	1.77
40.	सीकर	218.11	216.23	1.88	0.87	219.62	216.95	2.67	1.23
41.	सिरोही	79.61	77.73	1.88	2.42	82.53	80.25	2.28	2.84
42.	श्रीमाधोपुर	117.74	115.10	2.64	2.29	108.06	105.74	2.32	2.19
43.	तिजारा	82.40	78.26	4.14	5.29	86.08	81.32	4.76	5.85
44.	टोंक	120.44	116.93	3.51	3.00	119.44	116.11	3.33	2.87
45.	उदयपुर	197.37	191.83	5.54	2.89	205.15	198.95	6.20	3.12
46.	वैशालीनगर	165.69	160.21	5.48	3.42	164.52	159.41	5.11	3.21
47.	विद्याधरनगर	94.36	88.54	5.82	6.57	69.77	65.47	4.30	6.57
48.	जैसलमेर	18.66	18.07	0.59	3.27	9.91	9.01	0.90	9.99
49.	करौली	—	—	—	—	2.68	2.61	0.07	2.68
50.	प्रतापगढ़	—	—	—	—	2.81	2.76	0.05	1.81
51.	राजसमन्द	—	—	—	—	2.81	2.74	0.07	2.55
52.	सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	4.56	4.46	0.10	2.24
योग		6216.55	6066.24	150.31	2.48	6064.64	5904.33	160.31	2.72

परिशिष्ट-10
यात्रियों की संख्या

क्र.सं. आगार	कुल यात्रियों की संख्या (लाखों में)			दैनिक औसत यात्री		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	45.79	42.60	38.28	12545	11638	10487
2. अजयमेरु	93.81	93.94	88.40	25702	25667	24220
3. अजमेर	127.42	87.55	65.71	34909	23922	18003
4. अलवर	104.41	98.91	96.56	28606	27024	26455
5. अनूपगढ़	54.27	60.41	63.38	14869	16506	17365
6. बांसवाड़ा	49.79	52.82	48.30	13641	14432	13234
7. बारां	36.39	42.31	46.19	9970	11560	12654
8. बाड़मेर	47.29	48.69	53.31	12956	13304	14605
9. ब्यावर	77.63	78.83	79.99	21269	21539	21916
10. भरतपुर	55.52	54.66	58.05	15211	14933	15905
11. भीलवाड़ा	60.87	67.96	68.64	16676	18567	18804
12. बीकानेर	87.22	93.01	87.00	23597	25414	23835
13. बून्दी	58.84	55.03	52.50	16122	15036	14383
14. चित्तौड़गढ़	66.99	70.22	66.27	18353	19187	18155
15. चूरु	55.40	68.40	75.47	15178	18689	20677
16. दोसा	67.51	71.31	59.12	18496	19484	16199
17. डीलक्स	17.89	19.26	22.38	4901	5267	6130
18. धौलपुर	48.25	52.93	51.76	13220	14461	14180
19. डीडवाना	47.34	54.38	50.34	12971	14857	13791
20. डूंगरपुर	67.70	68.13	61.05	18549	18616	16725
21. फालना	30.88	33.83	35.29	8460	9242	9668
22. गंगानगर	124.50	129.47	129.93	34108	35373	35598
23. हनुमानगढ़	130.58	138.07	135.94	35774	37724	37245
24. हिण्डौन	71.59	76.45	66.74	19614	20887	18284
25. जयपुर	73.64	81.88	75.08	20176	22372	20569
26. जालौर	53.66	43.35	36.43	14701	11844	9981
27. झालावाड़	70.80	64.87	59.36	19396	17724	16264
28. झुन्झुनू	93.98	99.11	97.19	25748	27080	26627
29. जोधपुर	70.10	74.82	70.08	19205	20444	19200
30. खेतड़ी	54.23	54.39	57.42	14859	14860	15732
31. कोटा	71.38	67.53	62.75	19556	18452	17192
32. कोटपूतली	123.86	114.85	105.82	33933	31381	28993
33. लोहागढ़	58.43	59.84	57.41	16009	16349	15728
34. मत्स्यनगर	75.33	74.88	73.90	20637	20458	20246
35. नागौर	55.92	61.09	54.65	15322	16692	14974
36. पाली	39.13	42.60	45.33	10719	11639	12421
37. फलौदी	28.65	34.00	29.29	7850	9290	8024
38. सांगानेर	57.40	—	—	15725	—	—
39. सरदारशहर	61.52	63.72	59.07	16854	17409	16185
40. सीकर	125.19	138.24	135.18	34299	37772	37036
41. सिरोही	39.50	40.63	40.33	10822	11101	11049
42. श्रीमाधोपुर	63.53	69.93	63.84	17407	19106	17491
43. तिजारा	52.14	51.42	48.91	14285	14048	13400
44. टोंक	71.16	73.29	68.43	19495	20025	18748
45. उदयपुर	69.73	73.47	70.22	19104	20074	19239
46. वैशालीनगर	118.77	116.23	110.03	32541	31756	30144
47. विद्याधरनगर	222.31	144.27	99.16	60907	39417	27166
48. जैसलमेर	4.10	4.14	2.05	1125	1132	2282
49. करौली	—	—	2.00	—	—	2225
50. प्रतापगढ़	—	—	1.04	—	—	1153
51. राजसमन्द	—	—	1.05	—	—	1169
52. सवाईमाधोपुर	—	—	2.47	—	—	2747
योग	3391.21	3307.72	3129.09	929098	903748	857286

परिशिष्ट-11
संचालन आय एवं आय प्रति सीट प्रति कि.मी.

क्र.सं. आगाार	संचालन आय (रु.लाखों में)			आय प्रति सीट प्रति कि.मी.(पैसों में)		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	1817.21	2001.85	1760.22	37.24	41.41	45.20
2. अजयमेरु	2668.11	3063.07	3203.06	38.45	44.10	47.72
3. अजमेर	3153.17	3054.62	3010.32	40.57	43.35	47.60
4. अलवर	3259.03	3492.51	3596.38	41.74	45.20	47.53
5. अनूपगढ़	1727.90	2166.52	2438.38	34.11	41.05	45.79
6. बांसवाड़ा	2262.04	2612.04	2653.43	40.25	45.23	46.78
7. बारां	1327.43	1710.78	1946.77	37.53	41.88	43.24
8. बाड़मेर	1952.32	2318.90	2734.38	32.90	36.75	41.38
9. ब्यावर	2583.00	2891.34	2946.96	38.31	41.47	43.70
10. भरतपुर	2176.15	2531.44	2747.08	39.83	44.07	46.68
11. भीलवाड़ा	2728.66	3153.74	3452.08	38.25	42.91	45.09
12. बीकानेर	3688.31	4241.64	4260.74	33.08	37.27	39.52
13. बून्दी	1827.23	1968.04	2051.58	38.62	44.57	45.95
14. चित्तौड़गढ़	2642.29	3143.74	3071.32	36.39	40.85	41.45
15. चूरु	1931.59	2380.58	2530.03	37.00	41.91	45.44
16. दौसा	1923.26	2280.51	2119.32	39.89	42.52	43.60
17. डीलक्स	7147.71	8473.08	9041.78	98.12	107.06	105.90
18. धौलपुर	2131.61	2578.12	2702.80	41.28	46.98	48.62
19. डीडवाना	1453.96	1788.31	1790.10	34.44	38.83	42.85
20. डुंगरपुर	2380.05	2752.45	2744.81	37.87	43.43	45.44
21. फालना	1083.08	1274.97	1405.08	36.98	42.66	46.99
22. गंगानगर	3563.08	4070.69	4356.92	36.71	42.33	45.76
23. हनुमानगढ़	3249.29	3986.31	4368.72	38.56	45.41	48.79
24. हिण्डौन	2044.92	2569.05	2504.20	40.95	47.23	48.67
25. जयपुर	5442.13	5966.17	6382.54	41.86	44.79	49.81
26. जालौर	2228.15	2340.03	2335.60	36.90	40.03	43.53
27. झालावाड़	2470.65	2494.76	2437.99	39.00	43.53	43.79
28. झुन्झुनू	2659.67	3023.47	3228.32	38.19	42.19	45.36
29. जोधपुर	3338.41	3907.90	4130.90	34.09	39.44	45.50
30. खेतड़ी	1703.35	1950.85	2064.44	38.50	42.47	43.92
31. कोटा	3095.24	3292.04	3344.78	39.99	44.65	46.06
32. कोटपूतली	2602.48	2861.60	2692.47	39.18	41.85	44.76
33. लोहागढ़	2406.31	2784.15	2853.96	43.00	46.65	48.43
34. मत्स्यनगर	2548.43	2847.20	3046.59	41.56	45.37	49.47
35. नागौर	2243.86	2655.80	2626.21	32.54	37.31	38.86
36. पाली	1373.07	1595.92	1777.29	35.05	40.00	46.24
37. फलौदी	1360.56	1709.65	1705.12	32.84	36.76	40.11
38. सांगानेर	696.95	—	—	51.94	—	—
39. सरदारशहर	2104.67	2335.47	2270.16	35.04	38.22	40.68
40. सीकर	3619.99	4560.96	4799.85	37.04	42.19	44.25
41. सिरोही	1376.72	1627.68	1830.91	36.11	41.88	45.63
42. श्रीमाधोपुर	1892.27	2362.87	2193.61	36.95	41.06	41.49
43. तिजारा	1665.53	1900.89	2093.50	44.95	48.58	51.49
44. टोंक	2325.29	2620.53	2681.48	39.77	44.82	46.19
45. उदयपुर	3720.97	4248.65	4546.28	39.18	44.30	45.70
46. वैशालीनगर	3344.68	3472.64	3834.61	38.20	43.35	48.11
47. विद्याधरनगर	2522.56	1880.47	1379.04	37.74	42.48	42.13
48. जैसलमेर	233.70	320.74	177.56	26.34	35.50	39.40
49. करौली	—	—	71.30	—	—	54.59
50. प्रतापगढ़	—	—	49.51	—	—	35.81
51. राजसमन्द	—	—	54.95	—	—	40.08
52. सवाईमाधोपुर	—	—	88.77	—	—	39.78
योग	117797.60	133264.74	138134.19	39.32	43.94	46.79
समायोजन	(-) 682.10	(+) 227.87	(+) 125.61	(-) 0.22	(+) 0.08	(+) 0.05
महायोग	117115.50	133492.61	138259.80	39.10	44.02	46.84

परिशिष्ट-12

कुल आय, व्यय एवं लाभ/हानि प्रति कि.मी. (पैसों में)

क्र.सं. आगार	कुल आय प्रति कि.मी.		कुल व्यय प्रति कि.मी.		लाभ/हानि प्रति कि.मी.	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	2117	2328	2433	2900	(-) 316	(-) 572
2. अजयमेरु	2226	2417	2556	2824	(-) 330	(-) 407
3. अजमेर	2184	2413	2492	2800	(-) 308	(-) 387
4. अलवर	2282	2405	2578	2921	(-) 296	(-) 516
5. अनूपगढ़	2068	2308	2300	2486	(-) 232	(-) 178
6. बांसवाड़ा	2275	2356	2347	2566	(-) 073	(-) 210
7. बारां	2105	2176	2381	2563	(-) 276	(-) 387
8. बाड़मेर	1836	2085	2202	2435	(-) 367	(-) 350
9. ब्यावर	2107	2231	2461	2677	(-) 354	(-) 446
10. भरतपुर	2236	2378	2674	2897	(-) 438	(-) 519
11. भीलवाड़ा	2184	2298	2430	2710	(-) 246	(-) 412
12. बीकानेर	1880	2003	2226	2500	(-) 346	(-) 497
13. बून्दी	2250	2324	2712	2845	(-) 462	(-) 521
14. चित्तौड़गढ़	2065	2094	2442	2722	(-) 376	(-) 628
15. चूरु	2107	2298	2230	2508	(-) 123	(-) 210
16. दौसा	2147	2218	2779	3029	(-) 632	(-) 811
17. डीलक्स	4545	4543	3613	3724	(+) 932	(+) 819
18. धौलपुर	2363	2455	2637	2961	(-) 274	(-) 506
19. डीडवाना	1949	2158	2336	2700	(-) 387	(-) 542
20. डूंगरपुर	2188	2291	2339	2624	(-) 151	(-) 333
21. फालना	2150	2367	2443	2656	(-) 292	(-) 289
22. गंगानगर	2147	2333	2305	2542	(-) 158	(-) 209
23. हनुमानगढ़	2275	2453	2297	2553	(-) 022	(-) 100
24. हिण्डौन	2380	2465	2623	2867	(-) 244	(-) 402
25. जयपुर	2245	2506	2460	2722	(-) 215	(-) 216
26. जालौर	2005	2185	2253	2518	(-) 248	(-) 333
27. झालावाड़	2192	2218	2535	2718	(-) 343	(-) 500
28. झुन्झुनू	2140	2320	2372	2647	(-) 232	(-) 327
29. जोधपुर	2003	2322	2261	2584	(-) 258	(-) 262
30. खेतड़ी	2135	2218	2370	2638	(-) 235	(-) 420
31. कोटा	2253	2343	2645	2841	(-) 392	(-) 498
32. कोटपूतली	2161	2277	2393	2737	(-) 232	(-) 460
33. लोहागढ़	2345	2442	2549	2816	(-) 204	(-) 374
34. मत्स्यनगर	2292	2505	2569	2872	(-) 277	(-) 367
35. नागौर	1898	1970	2277	2558	(-) 379	(-) 588
36. पाली	2024	2347	2393	2664	(-) 369	(-) 317
37. फलौदी	1846	2021	2206	2458	(-) 359	(-) 437
38. सांगानेर	—	—	—	—	—	—
39. सरदारशहर	1923	2056	2239	2542	(-) 316	(-) 486
40. सीकर	2136	2257	2369	2639	(-) 232	(-) 382
41. सिरोही	2110	2310	2366	2527	(-) 255	(-) 218
42. श्रीमाधोपुर	2058	2088	2328	2648	(-) 270	(-) 559
43. तिजारा	2442	2598	2432	2767	(+) 010	(-) 170
44. टोंक	2262	2345	2594	2802	(-) 332	(-) 457
45. उदयपुर	2248	2323	2417	2660	(-) 169	(-) 337
46. वैशालीनगर	2172	2434	2859	3052	(-) 687	(-) 618
47. विद्याधरनगर	2139	2223	3567	3959	(-) 1429	(-) 1736
48. जैसलमेर	—	1969	—	1976	(-) —	(-) 007
49. करौली	—	2789	—	4470	(-) —	(-) 1681
50. प्रतापगढ़	—	1787	—	2724	(-) —	(-) 936
51. राजसमन्द	—	2005	—	3497	(-) —	(-) 1491
52. सवाईमाधोपुर	—	1995	—	2897	(-) —	(-) 902
योग	2218	2467	2482	2840	(-) 264	(-) 373
समायोजन	(+) 88	(-) 22	(+) 38	(+) 175	(+) 50	(-) 197
महायोग	(-) 2306	2445	2520	3015	(-) 214	(-) 570

परिशिष्ट-13

आय प्रति कि.मी. (पैसों में) एवं यात्रीभार (प्रतिशत)

क्र.सं. आगार	संचालन आय प्रति कि.मी.(पैसों में)			यात्रीभार (प्रतिशत)		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	1862	2070	2260	71	70	71
2. अजयमेरु	1922	2205	2386	76	76	75
3. अजमेर	2028	2168	2380	79	74	75
4. अलवर	2087	2260	2377	81	78	76
5. अनूपगढ़	1706	2053	2290	67	70	73
6. बांसवाड़ा	2013	2261	2339	77	77	73
7. बारां	1876	2094	2162	74	73	69
8. बाड़मेर	1602*	1830*	2069	62*	63*	64
9. ब्यावर	1916	2073	2185	75	72	69
10. भरतपुर	1991	2204	2334	76	75	74
11. भीलवाड़ा	1912	2145	2254	73	73	70
12. बीकानेर	1654	1864	1976	63	63	62
13. बून्दी	1931	2228	2297	76	77	72
14. चित्तौड़गढ़	1820	2043	2073	71	70	66
15. चूरु	1850	2095	2272	71	71	72
16. दौसा	1994	2126	2180	80	75	69
17. डीलक्स	4219	4497	4448	81	73	74
18. धौलपुर	2064	2349	2431	75	80	76
19. डीडवाना	1722	1941	2143	66	66	67
20. डूंगरपुर	1894	2172	2272	73	75	72
21. फालना	1849	2133	2350	70	72	73
22. गंगानगर	1835	2116	2288	71	73	73
23. हनुमानगढ़	1928	2271	2440	77	79	79
24. हिण्डौन	2047	2362	2433	81	82	77
25. जयपुर	2093	2240	2491	78	75	78
26. जालौर	1845	2001	2177	69	69	69
27. झालावाड़	1950	2176	2190	76	75	69
28. झुन्झुनू	1910	2110	2268	74	72	72
29. जोधपुर	1704	1972	2275	68	67	71
30. खेतड़ी	1925	2123	2196	75	72	69
31. कोटा	2000	2232	2303	77	77	71
32. कोटपूतली	1959	2093	2238	79	74	73
33. लोहागढ़	2150	2333	2421	80	80	77
34. मत्स्यनगर	2078	2268	2473	81	78	79
35. नागौर	1627	1865	1943	63	64	60
36. पाली	1753	2000	2312	68	69	72
37. फलौदी	1642	1838	2006	65	64	62
38. सांगानेर	2597	—	—	95	—	—
39. सरदारशहर	1752	1911	2034	69	66	64
40. सीकर	1852	2109	2212	72	72	70
41. सिरोही	1806	2094	2282	69	71	71
42. श्रीमाधोपुर	1848	2053	2075	72	71	66
43. तिजारा	2247	2429	2574	88	85	82
44. टोंक	1989	2241	2310	78	78	73
45. उदयपुर	1959	2215	2285	76	76	71
46. वैशालीनगर	1910	2168	2405	76	76	78
47. विद्याधरनगर	1887	2124	2106	74	77	69
48. जैसलमेर	—	—	1970	—	—	60
49. करौली	—	—	2730	—	—	82
50. प्रतापगढ़	—	—	1791	—	—	55
51. राजसमन्द	—	—	2004	—	—	62
52. सवाईमाधोपुर	—	—	1989	—	—	61
योग	1966	2197	2340	74	73	72
समायोजन	(-) 11	(+) 4	(+) 2	-	-	-
महायोग	1955	2201	2342	74	73	72

*जैसलमेर के समंक बाड़मेर आगार के समंको में सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-14
संन्रदोष एवं दुर्घटना दर

क्र.स. आगार		संन्रदोष की दर			दुर्घटना की दर		
		(प्रति 10,000 कि.मी. पर)			(प्रति लाख कि.मी. पर)		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1.	आबूरोड़	0.14	0.19	0.30	0.12	0.09	0.05
2.	अजयमेरू	0.04	0.09	0.08	0.17	0.07	0.12
3.	अजमेर	0.02	0.04	0.04	0.07	0.05	0.08
4.	अलवर	0.16	0.18	0.25	0.10	0.04	0.06
5.	अनूपगढ़	0.09	0.39	0.61	0.07	0.08	0.05
6.	बांसवाड़ा	0.07	0.21	0.16	0.03	0.05	0.07
7.	बारां	0.08	0.10	0.11	0.08	0.08	0.11
8.	बाड़मेर	0.20	0.19	0.16	0.07	0.08	0.04
9.	ब्यावर	0.13	0.17	0.16	0.16	0.14	0.10
10.	भरतपुर	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12
11.	भीलवाड़ा	0.07	0.08	0.09	0.04	0.03	0.05
12.	बीकानेर	0.04	0.06	0.08	0.04	0.09	0.05
13.	बून्दी	0.12	0.22	0.27	0.10	0.03	0.11
14.	चित्तौड़गढ़	0.10	0.12	0.12	0.05	0.01	0.04
15.	चूरू	0.16	0.66	0.30	0.06	0.04	0.13
16.	दौसा	0.13	0.11	0.10	0.12	0.06	0.04
17.	डीलक्स	0.05	0.03	0.03	0.19	0.10	0.15
18.	धौलपुर	0.06	0.09	0.07	0.10	0.11	0.09
19.	डीडवाना	0.08	0.11	0.12	0.08	0.06	0.07
20.	डूंगरपुर	0.34	0.41	0.44	0.09	0.11	0.07
21.	फालना	0.21	0.38	0.15	0.08	0.08	0.02
22.	गंगानगर	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.02
23.	हनुमानगढ़	0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07
24.	हिण्डोन	0.20	0.25	0.17	0.19	0.12	0.09
25.	जयपुर	0.03	0.08	0.07	0.04	0.07	0.07
26.	जालौर	0.37	0.29	0.32	0.12	0.06	0.07
27.	झालावाड़	0.11	0.22	0.20	0.12	0.08	0.07
28.	झुन्झुनू	0.13	0.19	0.23	0.05	0.19	0.05
29.	जोधपुर	0.11	0.17	0.11	0.07	0.06	0.06
30.	खेतड़ी	0.56	0.58	0.31	0.08	0.08	0.07
31.	कोटा	0.14	0.15	0.22	0.12	0.05	0.07
32.	कोटपूतली	0.19	0.20	0.24	0.13	0.11	0.06
33.	लोहागढ़	0.06	0.09	0.10	0.05	0.07	0.13
34.	मत्स्यनगर	0.14	0.12	0.10	0.05	0.05	0.05
35.	नागौर	0.08	0.13	0.14	0.05	0.03	0.01
36.	पाली	0.20	0.35	0.29	0.11	0.11	0.07
37.	फलौदी	0.15	0.17	0.24	0.01	0.05	0.10
38.	सांगानेर	0.14	—	—	0.25	—	—
39.	सरदारशहर	0.08	0.23	0.35	0.09	0.08	0.10
40.	सीकर	0.03	0.03	0.08	0.03	0.05	0.04
41.	सिरोही	0.14	0.19	0.16	0.09	0.14	0.10
42.	श्रीमाधोपुर	0.24	0.21	0.61	0.09	0.09	0.08
43.	तिजारा	0.20	0.15	0.17	0.12	0.02	0.00
44.	टोंक	0.16	0.51	0.10	0.03	0.13	0.08
45.	उदयपुर	0.21	0.27	0.29	0.10	0.09	0.06
46.	वैशालीनगर	0.20	0.32	0.24	0.09	0.11	0.05
47.	विद्याधरनगर	0.18	0.26	0.22	0.05	0.02	0.04
48.	जैसलमेर	0.13	0.08	0.05	0.05	0.05	0.00
49.	करौली	—	—	0.07	—	—	0.00
50.	प्रतापगढ़	—	—	0.07	—	—	0.00
51.	राजसमन्द	—	—	0.16	—	—	0.00
52.	सवाईमाधोपुर	—	—	0.07	—	—	0.44
योग		0.13	0.18	0.18	0.08	0.07	0.07

परिशिष्ट-15
समय पाबन्दी (प्रतिशत में)

क्र.सं. आगाह	प्रस्थान			आगमन		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	100	100	100	99	99	100
2. अजयमेरु	100	99	100	100	100	100
3. अजमेर	100	100	100	100	100	100
4. अलवर	97	94	95	99	98	97
5. अनूपगढ़	99	99	98	100	99	98
6. बांसवाड़ा	100	100	100	100	100	100
7. बारां	96	97	97	96	98	99
8. बाड़मेर	99	99	99	99	99	99
9. ब्यावर	98	97	97	100	100	100
10. भरतपुर	100	100	100	100	100	100
11. भीलवाड़ा	100	100	99	100	100	100
12. बीकानेर	100	100	100	100	100	100
13. बून्दी	98	98	98	98	98	98
14. चित्तौड़गढ़	100	100	100	100	100	100
15. चूरु	97	85	98	99	98	99
16. दोसा	96	96	95	100	97	96
17. डीलक्स	100	100	100	100	100	100
18. धौलपुर	98	97	97	100	100	100
19. डीडवाना	100	100	99	100	100	100
20. डूंगरपुर	100	100	100	100	100	100
21. फालना	100	100	100	100	100	100
22. गंगानगर	100	100	100	100	100	100
23. हनुमानगढ़	100	100	100	100	100	100
24. हिण्डौन	96	95	99	100	99	100
25. जयपुर	98	98	96	98	97	95
26. जालौर	100	100	100	100	100	100
27. झालावाड़	99	96	97	100	100	100
28. झुन्झुनू	100	100	99	100	100	99
29. जोधपुर	100	100	100	100	100	100
30. खेतड़ी	92	100	100	98	99	100
31. कोटा	99	98	97	98	98	98
32. कोटपूतली	97	98	98	100	100	100
33. लोहागढ़	100	100	100	100	100	100
34. मत्स्यनगर	98	95	95	99	99	99
35. नागौर	100	100	100	100	100	100
36. पाली	98	97	95	97	97	96
37. फलीदी	100	100	100	100	100	100
38. सांगानेर	98	—	—	99	—	—
39. सरदारशहर	100	99	99	100	99	99
40. सीकर	100	100	100	100	100	100
41. सिरोही	100	100	100	100	100	100
42. श्रीमाधोपुर	97	99	100	98	99	100
43. तिजारा	98	98	98	100	100	100
44. टोंक	99	99	98	99	99	99
45. उदयपुर	99	100	99	99	100	100
46. वैशालीनगर	95	96	97	95	96	98
47. विद्याधरनगर	98	98	98	100	100	100
48. जैसलमेर	100	100	100	100	100	100
49. करौली	—	—	100	—	—	100
50. प्रतापगढ़	—	—	100	—	—	100
51. राजसमन्द	—	—	100	—	—	100
52. सवाईमाधोपुर	—	—	94	—	—	98
योग	99	98	99	99	99	99

परिशिष्ट-16

डीजल एवं आयल स्वपत दर

क्र.सं. आगार	डीजल स्वपत कि.मी. प्रति लीटर		इंजन आयल टॉप-अप कि.मी. प्रति लीटर		इंजन आयल स्वपत प्रति हजार कि.मी.	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	4.82	4.73	3804	3311	0.85	0.85
2. अजयमेरु	4.94	4.94	15377	12411	0.34	0.40
3. अजमेर	5.06	5.08	8728	9280	0.53	0.52
4. अलवर	5.04	4.98	4261	3875	0.66	0.68
5. अनूपगढ़	5.20	5.17	10573	11316	0.49	0.47
6. बांसवाड़ा	4.87	4.86	16135	16588	0.60	0.64
7. बारां	5.07	5.09	3648	4041	0.66	0.63
8. बाड़मेर	5.06	5.00	6715	5712	0.85	0.82
9. ब्यावर	4.85	4.84	3880	3948	0.69	0.69
10. भरतपुर	5.04	4.98	4070	4598	0.56	0.51
11. भीलवाड़ा	5.17	5.06	17291	15845	0.45	0.48
12. बीकानेर	5.22	5.18	11130	10275	0.42	0.41
13. बून्दी	5.06	5.03	5118	5327	0.66	0.59
14. चित्तौड़गढ़	4.98	5.02	9394	10405	0.77	0.60
15. चूरु	4.65	4.55	3715	3625	0.95	1.03
16. दोसा	5.05	4.98	4104	4051	0.71	0.80
17. डीलक्स	4.30	4.26	3621	5253	0.56	0.39
18. धौलपुर	5.04	5.00	3193	3046	0.73	0.77
19. डीडवाना	5.04	4.93	5007	2928	0.51	0.67
20. डुंगरपुर	4.69	4.70	6281	9188	0.89	0.94
21. फालना	4.82	4.88	5696	11081	0.84	0.83
22. गंगानगर	5.19	5.14	7513	7501	0.62	0.65
23. हनुमानगढ़	5.30	5.24	12256	11128	0.54	0.54
24. हिण्डौन	4.99	4.98	4370	3951	0.58	0.61
25. जयपुर	5.24	5.22	7220	6905	0.50	0.47
26. जालौर	4.91	4.87	3637	3258	0.85	0.81
27. झालावाड़	4.83	4.89	5404	5569	0.63	0.57
28. झुन्झुनू	4.91	4.80	5895	4210	0.81	0.95
29. जोधपुर	5.12	5.07	6921	7773	0.83	0.72
30. खेतड़ी	4.73	4.70	4076	4180	0.79	0.80
31. कोटा	5.03	5.04	5854	5325	0.53	0.52
32. कोटपूतली	5.06	5.00	5573	4838	0.54	0.56
33. लोहागढ़	5.02	5.06	4127	4892	0.59	0.51
34. मत्स्यनगर	5.03	4.98	6828	6385	0.59	0.57
35. नागौर	5.03	4.96	10508	8958	0.56	0.55
36. पाली	4.90	4.85	4709	4257	0.90	0.82
37. फलौदी	4.95	4.93	3238	3509	0.91	0.94
38. सांगानेर	—	—	—	—	—	—
39. सरदारशहर	5.19	5.17	7368	7651	0.55	0.55
40. सीकर	4.80	4.72	3465	2658	0.88	0.99
41. सिरोही	4.93	4.82	4905	4886	0.89	0.87
42. श्रीमाधोपुर	4.78	4.62	5040	2769	0.62	0.86
43. तिजारा	5.05	5.03	4722	4336	0.60	0.56
44. टोंक	5.01	5.00	4483	5238	0.63	0.60
45. उदयपुर	4.78	4.81	9968	11445	0.77	0.72
46. वैशालीनगर	4.96	4.80	4227	2810	0.66	0.75
47. विद्याधरनगर	4.48	4.50	1342	1440	1.45	1.33
48. जैसलमेर	5.08	5.03	8638	9304	0.64	0.37
49. करौली	—	4.96	—	3357	—	0.63
50. प्रतापगढ़	—	5.33	—	21627	—	0.42
51. राजसमन्द	—	5.14	—	10823	—	0.18
52. सवाईमाधोपुर	—	4.77	—	5933	—	0.36
योग	4.97	4.93	5328	5066	0.67	0.67

परिशिष्ट-17

टायर दक्षता

क्र.सं. आगार	नई केसिंग लाईफ (कि.मी.)		कुल केसिंग लाईफ (कि.मी.)		आर.एफ.	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1. आबूरोड़	83336	99049	178748	184530	1.74	1.59
2. अजयमेरू	68320	79784	178895	193076	2.70	2.77
3. अजमेर	76572	79453	183870	184111	2.61	2.44
4. अलवर	59973	67589	157176	162237	2.43	2.26
5. अनूपगढ़	94692	73366	209714	160156	2.20	2.07
6. बांसवाड़ा	69044	82566	148585	148046	2.04	1.79
7. बारां	61189	58144	136741	127991	2.39	2.10
8. बाड़मेर	68840*	74986	140856*	168547	1.89*	2.21
9. ब्यावर	80364	81135	176497	194725	1.95	2.20
10. भरतपुर	82229	83548	170179	178107	1.94	2.14
11. भीलवाड़ा	82328	82534	172813	156910	2.05	1.52
12. बीकानेर	98697	97828	186721	183349	1.82	1.77
13. बून्दी	55972	52370	130667	143564	2.25	2.38
14. चित्तौड़गढ़	80258	88667	149542	172323	1.61	1.77
15. चूरु	66777	78554	177843	174500	2.39	2.16
16. दौसा	56081	56978	145763	156388	2.40	2.47
17. डीलक्स	84251	80925	140752	128538	1.30	1.12
18. धौलपुर	65970	65734	134258	142710	1.82	1.91
19. डीडवाना	66187	66812	181483	183080	2.94	3.37
20. डूंगरपुर	72577	64949	140065	141697	1.74	1.70
21. फालना	66969	76045	145738	157914	2.08	1.96
22. गंगानगर	82351	86257	169587	155226	1.72	1.42
23. हनुमानगढ़	76947	82087	192953	170393	2.05	1.78
24. हिण्डौन	54918	58456	153597	139014	2.35	1.72
25. जयपुर	71388	77344	181164	178209	2.21	2.26
26. जालौर	72435	81288	148173	162175	1.93	1.94
27. झालावाड़	46896	49940	134104	126383	2.17	2.12
28. झुन्झुनू	63580	78132	166119	166733	2.50	2.33
29. जोधपुर	79333	90163	168327	186453	2.00	2.08
30. खेतड़ी	50476	56741	141302	142285	2.40	2.27
31. कोटा	57793	58614	150226	138987	2.46	2.21
32. कोटपूतली	67903	71678	151836	157056	2.30	2.56
33. लोहागढ़	69944	70450	156781	138950	1.92	1.62
34. मत्स्यनगर	75504	83011	188213	181310	2.32	1.85
35. नागौर	59655	76809	211855	198308	3.01	2.94
36. पाली	87490	92208	176428	176358	1.93	1.81
37. फलौदी	72578	74112	164291	164848	2.19	2.10
38. सांगानेर	—	—	—	—	—	—
39. सरदारशहर	71350	80450	168364	171551	2.18	2.14
40. सीकर	67665	74210	168279	187360	2.52	2.54
41. सिरोही	80493	94357	139602	158103	1.53	1.55
42. श्रीमाधोपुर	48320	60247	132897	139924	2.79	2.79
43. तिजारा	59411	70220	138390	142264	1.96	1.92
44. टोंक	51529	54474	134566	123195	2.43	2.16
45. उदयपुर	69749	82267	137400	142293	1.75	1.48
46. वैशालीनगर	50971	55445	146919	143103	2.45	2.53
47. विद्याधरनगर	39430	43807	148939	145071	2.60	2.97
48. जैसलमेर	—	80204	—	250048	—	2.25
49. करौली	—	—	—	—	—	—
50. प्रतापगढ़	—	—	—	—	—	—
51. राजसमन्द	—	—	—	—	—	—
52. सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	—	—
कै.का.अजमेर	80461	88375	148475	144670	1.94	1.87
कै.का.जोधपुर	44138	111823	-	-	0.00	-
कै.का.जयपुर	57262	-	89055	-	2.00	-
योग	68903	73878	160341	160149	2.18	2.09

* जैसलमेर आगार के समक सहित।

परिशिष्ट-18

आगारवार मेलों का विवरण वर्ष 2012-13

आगार	मेले का नाम	संचालित दिनांक	परिच्छ	कि.मी.	आय (रुपयों में)	आय प्रति किमी (पैसे)	यात्री संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
भरतपुर	झील का बाड़ा	01.04.12 से 08.04.12	743	42320	1216958	2876	39566
सीकर	जीण माता	01.04.12 से 06.04.12	106	10014	237532	2372	6338
जयपुर	ताला उर्स	12.04.12 से 15.04.12	211	8520	354772	4164	12004
अजमेर	उर्स मेला	23.05.12 से 06.06.12	3098	136851	3568719	2608	145499
दौसा	गोवर्धनजी	28.06.12 से 30.07.12	33	5506	157431	2859	3806
लोहागढ़	गोवर्धनजी	01.07.12 से 05.07.12	317	15244	565080	3707	18148
फालना	परशुराम महादेव	25.07.12 से 26.07.12	135	7013	157005	2239	11992
वैशालीनगर	डिग्गी कल्याणजी	26.07.12 से 31.07.12	512	41726	1769586	4241	37357
जोधपुर	रामदेवरा	07.08.12 से 26.08.12	1362	232316	4995597	2150	52718
सीकर	लोहागर्ल	12.08.12 से 17.08.12	337	9932	329246	3315	17351
दौसा	रणथम्बौर	17.09.12 से 20.09.12	84	4019	118465	2948	6363
टोंक	रणथम्बौर	17.09.12 से 20.09.12	399	4784	255035	5331	22930
फलोदी	रामदेवरा	17.09.12 से 27.09.12	255	55045	1339017	2433	10611
जोधपुर	रामदेवरा	17.09.12 से 25.09.12	264	52272	1341346	2566	10976
दौसा	भृतहरि मेला	21.09.12 से 24.09.12	124	10002	383669	3836	12947
मत्स्यनगर	भृतहरि मेला एवम् पाण्डूपोल	22.09.12 से 24.09.12	634	25430	1036018	4074	40199
चित्तौड़गढ़	सांवरियाजी	25.09.12 से 27.09.12	72	3404	74398	2186	3563
ब्यावर	विराटियां	26.09.12 से 27.09.12	144	4464	167936	3762	8008
उदयपुर	चारभुजाजी	26.09.12 से 27.09.12	208	11690	236478	2023	10467
भीलवाड़ा	जोगणिया माताजी	16.10.12 से 23.10.12	306	22718	777537	3423	22473
नागौर	पुष्कर	24.11.12 से 29.11.12	195	12217	365717	2994	10872
अजमेर	पुष्कर	24.11.12 से 29.11.12	1969	44926	1773980	3949	111945
ब्यावर	पुष्कर	24.11.12 से 28.11.12	80	6213	187384	3016	4522
बांसवाड़ा	वैणेश्वर	24.02.13 से 26.02.13	275	11744	369401	3145	13900
झुंजरपुर	वैणेश्वर	24.02.13 से 26.02.13	387	21743	703326	3235	12800
उदयपुर	कैलाशपुरी	09.03.13 से 10.03.13	109	2180	71606	3285	5237
सीकर	खाटूश्यामजी	20.03.13 से 25.03.13	647	66166	2065041	3121	30201
वैशालीनगर	खाटूश्यामजी	20.03.13 से 25.03.13	45	4222	147322	3489	2646
मुख्यालय	कैलादेवी	05.04.13 से 26.04.13	9183	976747	33022770	3381	433462
योग			22234	1849428	57788372	3125	1118901

परिशिष्ट-19

पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक अन्तर्राज्यीय परिवहन करार :-

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88 (5) एवं (6) में निहित प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन संचालन हेतु पारस्परिक करार करने के लिए सम्बन्धित राज्यों के परिवहन विभाग अधिकृत हैं। वर्तमान में राजस्थान का अपने पड़ोसी राज्यों यथा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चण्डीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के साथ पारस्परिक करार व सहमति है। बड़े हुए यात्रीभार एवं इन राज्यों के प्रमुख व्यवसायिक एवं पर्यटन स्थलों तक बस सेवाओं के संचालन हेतु नये पारस्परिक करार के प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक अन्तर्राज्यीय परिवहन करार के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में रही संचालन स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	राज्य का नाम	पारस्परिक करार के अनुसार दोनों राज्यों द्वारा संचालित मार्गों की संख्या	पारस्परिक करार के तहत संचालित कि.मी.	
			राजस्थान परिवहन निगम द्वारा अन्य राज्यों में संचालित कि.मी.	अन्य राज्य परिवहन निगमों द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कि.मी.
1.	हरियाणा	315	95848	112030
2.	मध्यप्रदेश	200	44680	43186
3.	उत्तरप्रदेश	128	34256	34676
4.	उत्तराखण्ड	23	2424	3417
5.	गुजरात	153	40140	40208
6.	दिल्ली	73	14486	26990
7.	पंजाब	137	26800	21770
8.	चण्डीगढ़	3	112	328
9.	हिमाचल-प्रदेश	10	1050	1280
10.	जम्मू एवं कश्मीर	7	1464	1460
11.	महाराष्ट्र	13	2950	1024
योग		1062	264210	286369



48

वर्ष विश्वास के

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन निगम की जनकल्याणकारी योजनाएँ

निःशुल्क यात्रा:-

1. कम दृष्टि निःशक्तता, मानसिक रुग्णता एवं मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का एक सहयोगी, मानसिक विमन्दित एवं मानसिक विमन्दित से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग युक्त, पत्रकार, श्रवण बाधित, विकलांग, नेत्रहीन/अंधता एवं नेत्रहीन/अंधता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी, स्वतन्त्रता सैनानी, स्वतन्त्रता सैनानी का एक सहयोगी, स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएँ एवं उनका एक सहयोगी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति मय एक सहयोगी, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएँ एवं उन पर आश्रित अव्यस्क संतानें, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा में राज्य के पदक विजेता, राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाएं कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु पाठशाला जाने व आने के लिये, राष्ट्रपति पुलिस मैडल फॉर गेलेन्ट्री एवं पुलिस मेडल फॉर गेलेन्ट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति, सेवारत नहीं होने पर एक सहयोगी।

किराये में 75 प्रतिशत की छूट:-

2. केन्सर रोगी, असंक्रामक कुष्ठ रोगी, थैलिसीमिया रोगी एवं एड्स रोगी।

किराये में 50 प्रतिशत की छूट:-

3. केन्सर रोगी, थैलिसीमिया रोगी का एक सहयोगी तथा विद्यार्थी, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक एवं निगम का लाईसेंसधारी कुली नगरीय सेवाओं में घर से बस स्टैण्ड आना एवम् जाना।

किराये में 30 प्रतिशत की छूट:-

4. 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निगम की समस्त श्रेणी की वाहनों में यात्रा करने पर।
5. महिलाओं द्वारा निगम की समस्त श्रेणियों की वाहनों में यात्रा करने पर।

यात्री सुविधाएँ:-

1. राजस्थान राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निगम की द्रुतगामी/साधारण बसों में किराये में 30 प्रतिशत की रियायत।
2. महिलाओं को सुखद व आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उपनगरीय मार्गों एवम् नगर वाहन सेवाओं में 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान।
3. महिलाओं को यात्रा करने पर किराये में 30 प्रतिशत की छूट।
4. यात्रियों को सस्ती एवं मितव्ययी यात्रा करने के उद्देश्य से मासिक पास योजना पर 01 नवम्बर, 2011 से 50 प्रतिशत की छूट।
5. वर्ष 2013 में महिला दिवस एवं रक्षाबन्धन पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई।
6. निगम वाहन में 4 से 6 यात्रियों के समूह में एक ही स्थान की यात्रा करने पर यात्री किराये में 5 प्रतिशत की रियायत।
7. निगम वाहन में वापसी यात्रा का टिकिट लेने पर यात्री किराये में जाने व आने की किराया राशि में 10 प्रतिशत की रियायत।